खण्ड-437, अंक-10
गुरूवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1923
(3 मई, 2001 ई0)

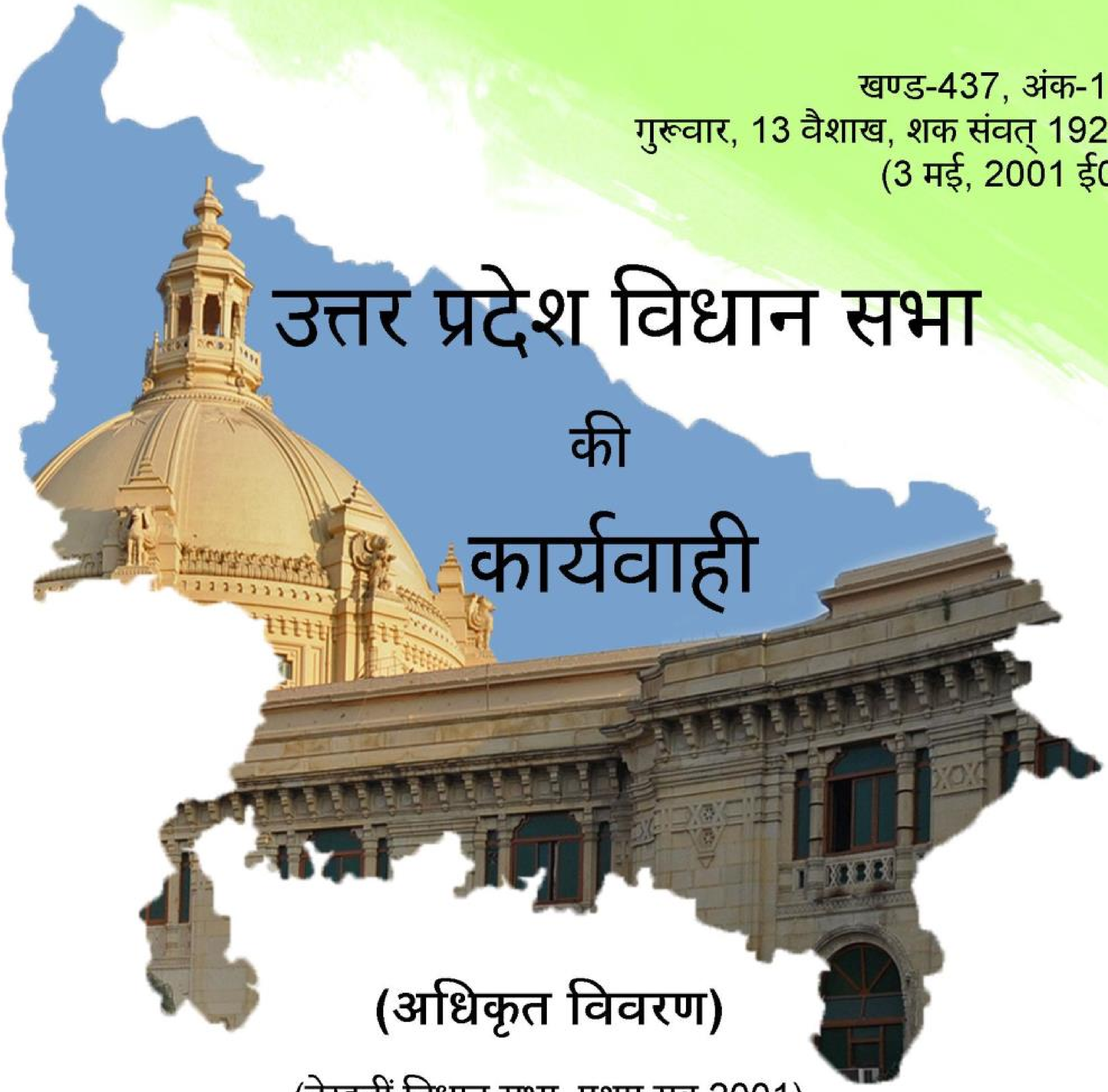

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | क–ख |
| कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने विषयक व्यवस्था का प्रश्न ... ... ... | 1 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 1-72 |
| विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठायी गयी सूचनाओं का उत्तर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... ... | 72-73 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 73-74 |
| सुभाष इण्टर कालेज मथुरा के प्राचार्य द्वारा किये गये छात्र विरोधी कार्यकलापों की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 74 |
| जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा की ग्राम सभा भटपुरवा में ग्राम समाज की आरक्षित भूमि पर ही पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 74 |
| जनपद बागपत में बिनौली से अमी नगर सरांय मार्ग के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 75 |
| जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद मकनपुर आदि कतिपय ग्रामों की आवास विकास परिषद् द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... .... ... | 75 |
| चेवालय कालोनी महानगर लखनऊ में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट का निवारण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 75-76 |
| जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील आलापुर में ट्रेजरी आफिस तथा स्टेट बैंक की स्थापना कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 76 |
| जनपद अम्बेडकरनगर के अजमेरी बादशाहपुर मार्ग की मरम्मत कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 76 |
| आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–76 के उत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है" की ओर ध्यानाकर्षण ..... ... ... ... | 76-77 |
| सदन में माननीय सदस्यों की आसन व्यवस्था के बीच स्थित गैलरी में बाड़ों को लगाये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण ... ... ... | 77 |
| नियम 300 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | |
| विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजनाओं के लेखा प्रतिवेदनों का परीक्षण विधायी समिति के क्षेत्राधिकार में न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ... ... | 78-82 |
| सदन में प्रस्तुत याचिकाओं पर शासन द्वारा कार्यवाई के समय याची से सम्पर्क न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 82 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| दिनांक 10 मई, 2000 को श्री रघुवर दयाल वर्मा के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में कृषि मंत्री का शोधन वक्तव्य | 83 |
| नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं संशोधित कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें | 84-111 |
| वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ... | 111-123 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 123-124 |
| लोक निर्माण विभाग की आर० आई० डी० एफ० योजना के फेज 5 व 6 के अन्तर्गत सड़कों की स्वीकृति में की गयी अनियमितताओं के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य ... ... | 125 |
| प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त हजारों अध्यापकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... ... | 125-126 |
| प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुविधाओं को सरकार द्वारा समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य | 126-128 |
| जनपद सहारनपुर में भू-माफियाओं द्वारा निर्बल तथा असहायों की भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 128 |
| जनपद फिरोजाबाद के थाना भटसैना में अपहरण की घटनाओं के संबंध में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ... ... | 129-130 |
| जनपद अम्बेदकर नगर के सिकन्दरपुर में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत होने तथा जमीन उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ... | 130 |
| जनपद बलिया में तहसील तथा पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से अवैध बालू खनन कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अम्बिका चौधरी द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 130-131 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकरण की समुचित व्यवस्था कराने तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर रोक लगाये जाने के संबंध में श्री रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य... ... ... ... | 132 |
| जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की दो सड़कों के एवं पुनर्निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 133-134 |
| जनपद मथुरा की बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं पुलिस द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा मनमानी के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 134-137 |
| जनपद बहराइच में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मासिक मानदेय पर निश्चित अवधि के लिये नियुक्त कतिपय शिक्षकों को वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 137-138 |
| जनपद उन्नाव में शारदा नहर उन्नाव ब्रांच व पुरवा में पानी न छोड़े जाने तथा शासन के आदेशों के बावजूद तालाबों को न भरे जाने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कृपा शंकर सिंह द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 138-139 |
| प्रदेश के पूर्व लोक निर्माण मंत्री द्वारा लोकार्पण/उद्घाटन करने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 139-140 |
| नत्थियां ... ... ... | 141-144 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 03-05-2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
3–अनिल कुमार, श्री — बलिया
4–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
5–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
6–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
7–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
8–अमर मणि, श्री — महराजगंज
9–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
10–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
11–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
12–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
13–आर० के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
14–आर्य राम शरन, श्री — हाथरस
15–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
16–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
17–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
18–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
19–ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
20–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
21–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
22–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
23–काशी नाथ, श्री — सुल्तानपुर
24–काशी राम, श्री — रामपुर
25–केशो मेहरा, श्री — आगरा
26–कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
27–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
28–गोमती यादव, श्री — लखनऊ
29–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
30–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
31–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
32–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
33–छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
34–छोटे लाल वर्मा, डा० — महोबा
35–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
36–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
37–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
38–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री — गोरखपुर
39–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
40–दीप लाल भारती, श्री — पडरौना
41–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
42–धर्मज्ञ मिश्र, डा० — हरदोई
43–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
44–नन्दराम, श्री — बरेली
45–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
46–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
47–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
48–प्रदीप कुमार यादव, श्री — इटावा
49–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — वाराणसी
50–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
51–प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
52–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
53–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
54–बाबू खां, श्री — हरदोई
55–बाबू राम, श्री — जालौन

56–बाबू लाल कुरील, श्री — उन्नाव
57–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
58–बी० आर० वर्मा, श्री — जौनपुर
59–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
60–मानिक चन्द्र यादव, श्री — मैनपुरी
61–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
62–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
63–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
64–मोतीलाल, श्री — खीरी
65–यशवन्त, श्री — आजमगढ़
66–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
67–रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भईया', कुंवर — प्रतापगढ़
68–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
69–राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
70–राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
71–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
72–राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
73–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
74–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
75–रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
76–रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
77–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
78–राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
79–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
80–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
81–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
82–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री — मैनपुरी
83–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
84–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
85–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
86–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
87–वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
88–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
89–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
90–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री — गोण्डा
91–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
92–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
93–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
94–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
95–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
96–शिव शंकर, श्री — बांदा
97–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
98–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
99–श्रीराम, श्री — मऊ
100–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
101–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
102–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
103–सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
104–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
105–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
106–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
107–सुन्दर लाल वर्मा, श्री — मेरठ
108–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
109–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
110–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
111–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
112–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
113–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
114–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## गुरूवार, दिनांक 3 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 4 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई )

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई )

श्री रामजग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपनी सूचना नियम–311 में दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

उसको नियम–56 में ले लिया गया है उसी में अपनी बात कहिएगा ।

**गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने विषयक व्यवस्था का प्रश्न**

कुँवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का सवाल है । 11.05 हो गये हैं आपको विलम्ब से इसलिए आना पड़ा क्योंकि कोरम पूरा नहीं था । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि 100 की टीम में 50 तो बैठाकर रखें । आपसे आग्रह है कि आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि कम से कम मंत्रियों को तो कहें कि सदन में उपस्थित रहें ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया थोड़ा सा इसको देख लें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

हमारा प्रयास रहता है कि कोरम रहे लेकिन समझ में नहीं आता कि न जाने सदन से महत्वपूर्ण कौन सा विषय उनके सामने आ जाता है जो वे यहां नहीं आ पाते हैं । इस चिन्ता से मैं फिर सबको अवगत करा दूँगा ।

श्री अध्यक्ष–

शायद वही कारण होगा जिसके कारण लोग कह रहे थे कि 4 तारीख को सदन की बैठक न रखी जाय ।

**प्रश्नोत्तर**

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1

(प्रश्न पुकारे जाने पर श्री राम औतार शाक्य उपस्थित नहीं थे )

**अल्पसूचित तारांकित प्रश्न**

**प्रदेश में आलू की सरकारी खरीद**

** 1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार प्रदेश में आलू की सरकारी खरीद करने की कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

** नोटः–यह प्रश्न नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त लिया गया जिसके उपरान्त प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में आलू का बाजार भाव सामान्य है अतएव सरकारी खरीद नीति की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं उत्तर पढ़ देता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा "जी नहीं" मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इस वर्ष आलू का कुल कितना उत्पादन हुआ ? आलू का उत्पादन न होने के कारण वर्तमान में स्थिति संतोषजनक है यह कोई जवाब नहीं हुआ मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आलू का इस वर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ ?

श्री हुकुम सिंह–

2001 में आलू का उत्पादन 85 लाख मीट्रिक टन हुआ । 2000 में आलू का उत्पादन 104.55 लाख मीट्रिक टन हुआ था ।

श्री लालजी वर्मा–

इस बार आलू का उत्पादन कम होने के कारण भंडारण कम हुआ है ? 60 प्रतिशत से ज्यादा भंडारण नहीं हुआ है । इस परिस्थिति में आलू का अधिक उत्पादन हो सके और किसान के साथ पिछले सालों की तरह अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े जैसे पहले तमाम आलू किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में छोड़ दिया ऐसी स्थिति न हो । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या आलू किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे गेहूं और धान के क्रय केन्द्र खोले जाते हैं क्या शासन अपने स्तर से कोई क्रय केन्द्र खुलवाने का प्रयास करेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

आलू में किसान का शोषण न हो और दिक्कत न आए सबसे पहले बात आई कि भंडारण की क्षमता बढ़े । आलू पैदा होता है, गेहूं धान में तो दिक्कत नहीं आती है लेकिन आलू बाहर रह जाए तो किसानों का शोषण होता है । क्षमता हमने बढ़ाई है । 1997–2001 तक का बता दूं । 1997 में 42 लाख मीट्रिक टन थी, 1998 में बढ़कर 43 लाख मीट्रिक टन की हो गई, 1999 में 51 लाख मीट्रिक टन हो गई और 2000 में यह क्षमता बढ़कर 59 लाख मीट्रिक टन हो गई 2001 में 61 लाख मीट्रिक टन हो गई । बराबर क्षमता बढ़ रही है । जब सरप्लस आलू होगा तो उसको देखेंगे । इस साल आलू ज्यादा नहीं हुआ है पिछले वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन का भंडारण कर सके इस बार 36 लाख 90 हजार मीट्रिक टन के भंडारण की आवश्यकता पड़ी ।

श्री लालजी वर्मा–

भण्डारण इसलिए नहीं हो रहा है कि भाव ठीक है । किसी ने खरीदा होता तो भण्डारण करते । इस बार पैदा ही नहीं हुआ तो भण्डारण कैसे होगा ? सरकार ने क्या उपाय किये हैं जिससे भण्डारण बढ़े ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, हर वर्ष बढ़ रहा है। जब पांच रुपये से सात रुपये किलो का भाव है तो भण्डारण वही करेगा जो बीज के रूप में रखेगा। मान्यवर, हमारी आवश्यकता है 50 लाख मीट्रिक टन और पैदा हुआ है 85 लाख मीट्रिक टन तो भी सरप्लस है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इन्होंने स्वीकार किया कि पचास लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है और पचासी लाख मीट्रिक टन पैदा हो रहा है ? लेकिन उत्तर प्रदेश देश में चालीस प्रतिशत आलू पैदा करता है तो यह आलू उत्पादक प्रदेश है। यहां पर दो कैश क्राप हैं एक तो गन्ने की और एक आलू की तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भण्डारण करे, मार्केटिंग करे और विपणन करे ? इस बार उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन में घटोत्तरी हुई है। यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए क्योंकि जो कैश क्राप है उस कैश क्राप में उत्पादन के बजाय घटोत्तरी हो रही है। तो आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार कोई प्रोत्साहन देने के लिए कोई उपाय करेगी कि उसका उत्पादन ज्यादा हो, उसका विपणन और भण्डारण के लिए कोई चिन्ता करेगी ? दूसरी बात समर्थन मूल्य पर खरीददारी की बात कही गयी है ? बंगाल और मीडिल ईस्ट में इसकी आवश्यकता है, तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आलू के उत्पादन में घटोत्तरी न हो उसके लिए क्या उपाय यह सरकार करेगी और उसके भण्डारण की क्षमता को बढ़ाने और विपणन हेतु क्या कदम यह सरकार उठाने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आज से पहले भी यह प्रश्न उभरकर आया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने टिप्पणी यह की थी कि यह सरकार का प्रयास था कि उत्तर प्रदेश के बाहर दस लाख मीट्रिक टन भेजा गया। तो जो आलू की स्थिति हो रही थी, किसानों का शोषण हो रहा था सरकार के प्रयास पर आलू का भाव ऊपर आ गया। सबसे बड़ी कठिनाई विपणन की होती है। लेकिन हमने वैगन उपलब्ध कराये और यही नहीं हमने ट्रक के किराये में अनुदान के रूप में पैसा दिया तो इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं। यह सरकार की सोच समझ थी कि किसानों का शोषण नहीं हुआ वरना किसान शोषण का शिकार हो जाते और आलू सड़ता। एक प्रश्न यह किया गया कि इस बार आलू पैदा क्यों ज्यादा नहीं हुआ, तो वह साइकिल है। कभी उत्पादन बढ़कर 104 लाख मीट्रिक टन हो गया और कभी घटकर 85 लाख मीट्रिक टन आ गया। क्योंकि पिछली बार सरकार से अच्छा मूल्य नहीं मिल पाया इसलिए स्वाभाविक था कि इसका प्रभाव पड़ता। लेकिन फिर भी प्रदेश की आवश्यकता से डेढ़ गुना ज्यादा पैदा हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अभी दो कैश क्राप है इसका जिक्र आया और यह गन्ना और आलू है। आलू जब बढ़ जाता है तो बाजार में सड़ जाता है। मान्यवर, जब कमी पैदा होती है तो सामान्य जन की तो पहुँच से बाहर हो जाता है दोनों स्थितियों में जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जो चीजें बन सकती हैं आलू से, उसमें आप कोई नीति बनायेंगे ताकि किसान को उपज का पर्याप्त धन मिल सके जैसे चिप्स है, पापड़ है आदि। दूसरे जैसे गन्ना विकास मंत्री हैं उसी तरह से आलू मंत्री बना दिया जाये जो व्यापक रूप से विभाग की देखभाल कर सकें। दिवाकर विक्रम सिंह जी सबसे पुराने मंत्री हैं इनके नाम पर विचार हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस बात पर सरकार सतत् विचार करती रही है कि आलू का डायवर्जन कहीं हो। कठिनाई मान्यवर, कहां है जब भी परीक्षण कराया गया जितना आलू का उत्पादन होता है सिवाय पहाड़ से जो पैदा होता है, उसका साइज, कलर वह कम्पलीट नहीं कर पाता है जो चिप्स आदि बनती है। उत्तर प्रदेश में कई किसान हैं जिन्होंने अपने प्रयास से नयी–नयी किस्में विकसित की है और उन्हें दुगुना दाम मिल रहा है मल्टी नेशनल कम्पनी उनसे सीधे आलू खरीद रही हैं और आलू बना रही है जो सेन्ट्रल यू०पी० में आलू पैदा होता है वह कम्पनी नहीं खरीदती है हम यह कोशिश करें कि आलू की किस्म को डेवलप करें और अच्छे किस्म का आलू पैदा हो।

**प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों को कर मुक्त किये जाने का विवरण**

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या कृषि मंत्री कृपर्या बतायेंगे कि प्रदेश में कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रासायनिक उर्वरकों को कर मुक्त करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा जिंक सल्फेट उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रियन्ट मिश्रणों तथा निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों के पोटाश एवं फास्फेटिक कम्पोनेन्ट को व्यापार कर से मुक्त किया जा चुका है :–

| उर्वरक का नाम | ग्रेड |
|---|---|
| 1–डी०ए०पी० | 18:46:0 |
| 2–एम०ओ०पी० | |
| 3–एस०एस०पी० | |
| 4–एन०पी०के० | 12:32:16 |
| 5–एन०पी०के० | 20:20:0 |
| 6–एन०पी०के० | 15:15:15 |
| 7–एन०पी०के० | 23:23:0 |
| 8–एन०पी०के० | 14:35:14 |
| 9–एन०पी०के० | 20:20:10 |
| 10–एन०पी०के० | 15:15:7.5 |
| 11–एन०पी०के० | 10:10:10 |
| 12–एन०पी०के० | 12:6:0 |
| 13–एन०पी०के० | 16:9:0 |

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है और खेती खाद पर निर्भर है । मैंने इसीलिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जो कृषि पर आधारित लोग हैं उनको कृषि कार्य पर प्रोत्साहित करने के लिये सरकार खाद में किसी प्रकार की छूट दे रही है तो उससे सीधे तौर पर कृषक कैसे लाभान्वित हो रहे हैं ? माननीय मंत्री जी ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों को व्यापार कर से मुक्त कर दिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने रासायनिक खादों की संख्या बताई कि इनको हमने व्यापार कर से मुक्त कर दिया है । तो इस तरह से व्यापार कर से मुक्त करने पर सीधे तौर पर कृषकों का जो लागत मूल्य है वह किसी भी तरह से प्रभावित हो रहा है कि नहीं, उसमें किसी तरह से कमी आ रही है, वे प्रोत्साहित हो रहे हैं कि नहीं । ऐसा तो नहीं है कि इन रासायनिक उर्वरकों, जिनको व्यापार कर से मुक्त करने पर कृषकों को लाभ होना चाहिए था, व्यापारी लाभान्वित हो रहे हैं । दूसरा प्रश्न मेरा यह है, हालांकि मैं कृषक नहीं हूं और बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं रखता हूं लेकिन जो एक खाद है, यूरिया जो कि बहुतायत से प्रयोग में आती है । वह भी इसमें सम्मिलित है कर से मुक्त है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, वर्ष 91–92 तक सभी रासायनिक उर्वरकों का प्राइज कन्ट्रोल था । श्रीमन् 25–8–92 को एन०ए०डी० कन्ट्रोल कर दिया गया यूरिया को छोड़कर । यूरिया का प्राइज कन्ट्रोल नहीं किया गया था । फास्फोरस और पोटाश को भारत सरकार ने डिकन्ट्रोल कर दिया था । श्रीमन्, किसी भी फसल में, खासतौर से मैं गेहूं और धान की बात करता हूं जो आइडियल रेशियो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का वह वैज्ञानिकी 9:4:1 माना गया है । मान्यवर, 1991–92 तक उत्तर प्रदेश में जो बिक्री हो रही थी न्यूटियन्ट, पोटास फास्फेटिक की 17.1 ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसका कोई संबंध तो है नहीं, जो मंत्री जी बता रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं, लेकिन जो प्रश्न आया है मैं उसी के सम्बन्ध में बता रहा था । डी कन्ट्रोल होने से रासायनिक बढ़कर 37.2, 7.21 हो गई । भारत सरकार ने पुनः इसे प्राइज कन्सेशन देकर नियंत्रण करने का प्रयास किया, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा जो छूट दी जा रही है उससे किसानों को लाभ हो रहा है या नहीं ? भारत सरकार डी०ए०पी० पर एन०पी० पर कन्सेशन देती है यह साथ-साथ प्राइज को डाउन करते हैं जो मार्केट प्राइज आता है वह नीचे हो जाता है तो इससे किसान लाभान्वित होता है । मैंने इसलिए बताया जब यह फिर से प्राइज कन्सेशन देने पर 26.5 और 5.1 पर आ गया । आज 21.1 और 6.8 है जहां तक यूरिया की बात है यूरिया में साढ़े 6 प्रतिशत सेल्सटैक्स या ट्रेड टैक्स दिया जाता है । न्यूटियन्ट, पोटाश, फास्फेटिक पर प्रयास किया कि छूट रखी जाए । छूट रही है दो प्रान्त ऐसे हैं जहां छूट रही है, हरियाणा और पंजाब हैं जो किसी भी फर्टिलाइजर से ट्रेड टैक्स नहीं लेते हैं बाकी जगह सेल्स टैक्स और ट्रेड टैक्स लेते हैं । अभी वित्त मंत्रियों का दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि साढ़े चार प्रतिशत सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स केमिकल फर्टिलाइजर पर लगाया जाए । ट्रेड टैक्स विभाग ने कहा था कि साढ़े 6 के बजाये यूरिया पर साढ़े चार परसेन्ट कर दिया जाए । न्यूटियन्ट पोटाश फास्फेटिक पर चार परसेन्ट लगा दिया जाए ताकि कैमिकल्स का बैलेन्स सही रहे और इस सरकार की वित्तीय स्थिति भी संतुलित रहे । आवश्यक समझा गया यूरिया का घटाकर चार परसेन्ट कर दें और न्यूटियन्स पोटाश फास्फेटिक पर चार परसेन्ट लगा दिया जाए इसलिए यह हुआ ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं किसान हैं और यह अलग बात है कि उनको समय न मिलने की वजह से उनकी खेती मैनेजर देखते हों । एक बड़ा सीधा सा प्रश्न किया गया था कि जो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली यूरिया है उस पर टैक्स में छूट देंगे और क्या इस पर सरकार विचार कर रही है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि रासायनिक खाद उत्तर प्रदेश में जो किसान इस्तेमाल करता है क्या यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली खाद है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में बताया गया है यूरिया सबसे अधिक इस्तेमाल होती है । यूरिया 9 और फास्फेट 4 होती है और बैलेन्स में भी इसका 9 और फास्फेट का चार रहेगा । लेकिन जो बैलेन्स मेनटेन करने का प्रयास किया था, क्योंकि अपने यहां बेलेन्स बिगड़ गया था केवल यूरिया इस्तेमाल हो रही है जिसका प्रभाव मिट्टी और फसलों पर पड़ा है । इसलिए आवश्यकता समझी गयी कि यूरिया के साथ फास्फेट और पोटाश इस्तेमाल हो । इसमें छूट दी गयी । यूरिया में साढ़े छः प्रतिशत टैक्स लग रहा है वह बढ़ाया नहीं गया है लेकिन फास्फेट और पोटाश को फ्री किया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्षों से खाद में रासायनिक खाद के प्रयोग के लिए कृषि विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न समयों पर हर खाद के बारे में प्रयोग के बारे में प्रचार और प्रसार किया जाता है । मैं पहला प्रश्न यह कहना चाहूंगा कि जो नियंत्रित खाद है और जो अनियंत्रित खाद है इसकी प्राइज में क्या फर्क है ? अनियंत्रित खाद के प्रयोग में वृद्धि हुई है और इसकी कीमत बाजार में घटी है ? दूसरा यह है कि जो नियंत्रित खाद है आपके प्रयासों के बाद इसका प्रयोग हो रहा है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यूरिया पर सेल्स टैक्स को खत्म करने का सरकार विचार करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, उत्तर में सम्भवतः मैं स्पष्ट नहीं कर पाया । मैंने यह कहा था कि वर्ष 91-92 में पूर्ण रूप से प्राइज कंट्रोल था । 91-92 में फास्फेट और पोटाश को प्राइज कंट्रोल से मुक्त किया गया । परन्तु यह देखा गया कि यूरिया का प्रयोग बढ़ने लगा और फास्फेट और पोटाश का घटने लगा । तो भारत सरकार ने पुनः कंट्रोल नहीं किया । लेकिन कन्सेशन शुरू कर दिया 94-95 से और इसका नतीजा यह हुआ कि पुनः फास्फेट और पोटाश का जो रेट बढ़ रहा था उसमें नियंत्रण हो गया । मान्यवर, माननीय सदस्य अगर जानना चाहते हैं तो मैं फीगर देना चाहूंगा । हर तीन महीने में भारत सरकार जो कन्सेशन देती है उसको रिवाइज करते हैं । मान्यवर, जो प्राइज कन्सेशन देती है उसे रिवाइज करके भारत सरकार और 1-1-2001 से 31-3-2001 तक जो रियायती दर है स्वदेशी डी० ए० पी० प्रति मीट्रिक टन 4100 और आयातित पर 2,5501 और इस तरह से एम०ओ०पी० और मिश्रण और अलग-अलग मिश्रणों पर अलग-अलग दर है । मान्यवर, इस समय जो आज किसानों को मिल रही है रियायत वह रियायत डी०ए०पी० पर 22.35 रुपये प्रति बोरी की रियायत भारत सरकार देती है आयातित पर 22.35 रुपये दोनों दाम का कैलकुलेट करके यह है एम०ओ०पी० पर 13.84 रुपये प्रति बोरी भारत सरकार देती है । मान्यवर, व्यापार कर से राहत हम लोग दे रहे हैं प्रति मीट्रिक टन और प्रति बोरी वह अलग है । हम व्यापार कर में उत्तर प्रदेश सरकार राहत किसानों को दे रही है । एस० एस० पी० (दानेदार) व्यापार कर से राहत प्रति मीट्रिक टन 202.80 रुपये और प्रति बोरी 10.14 रुपये, एस०एस०पी० पाउडर प्रति बोरी राहत 9.36 रुपये, एन०पी०के० प्रति बोरी राहत 22.12 रुपये, एन०पी०के० 20:20:0 प्रति बोरी 16.12 रुपये, एन०पी०के० 15:15:15 प्रति बोरी राहत 16.83 रुपये है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस प्रश्न का जो उत्तर आया है उसमें वाक् के चातुर्य का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को दाद देता हूं। मान्यवर, जो तथाकथित व्यापार कर में छूट की बात है क्या व्यावहारिक रूप से उसका असर पड़ रहा है ? 13 प्रकार के उर्वरकों पर आपने कहा है क्या किसानों को इसकी कीमत कम देनी पड़ रही है ? व्यापार कर हटने के पहले और व्यापार कर हटने के बाद जो व्यापार कर घटने का लाभ मिला है वह उत्पादकों को मिला है किसानों को नहीं मिला है। क्या किसानों को कुछ आर्थिक लाभ हुआ है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने वाक्य चातुर्य माननीय सदस्य से ही सीखा है और उसका प्रयोग कर रहा हूं। मान्यवर, जो व्यापार कर में छूट दी जाती है वह सीधे किसान को दी जाती है और प्राइज कन्सेशन मैनुफैक्चरर को भारत सरकार देती है और जो मैनुफैक्चरर रिटेल करता है उसमें वह प्राइस निकलकर आती है तो जो कन्सेशन दिया जा रहा है वह किसानों को दिया जा रहा है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यावहारिक रूप से एक भी पैसे की कीमत नहीं गिरी किसान को उतना ही देना पड़ रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, फास्फेट और डी०ए०पी० पर जो व्यापार कर का प्रस्ताव था वह लागू हुआ नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने छूट रखी हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए पोटाश युक्त और फास्फेटिक युक्त खादें हैं उनके दामों में कमी करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार छूट देगी। दूसरे यूरिया, नाइट्रोजन युक्त खादों, जिनका प्रयोग भी ज्यादा हो रहा है उनका उत्पादन लागत घटने के लिए क्या उन उर्वरकों पर भी व्यापार कर घटाने के लिए सरकार विचार करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यूरिया पर कास्ट आफ प्रोडक्शन घटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर नहीं सकती क्योंकि यह भारत सरकार का मामला है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैंने पूँछा है कि किसान के उत्पादन का कास्ट आफ प्रोडक्शन घटाने के लिए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, फास्फोरस और पोटाश के इस्तेमाल करने पर बढ़ावा दिया जाय इसलिये यह निर्णय लिया गया कि फास्फोरस और पोटाश पर व्यापार कर नहीं लिया जायेगा और उस पर छूट देने का कभी कोई प्रश्न नहीं आया। मान्यवर, भारत सरकार सीधे छूट दे रही है किसी प्रदेश सरकार को छूट देने का प्रश्न नहीं उठता।

(उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री लाल जी वर्मा ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अमेरिका और यूरोप मिलकर साढ़े तीन सौ अरब की छूट किसानों को देते हैं और आपने कुछ पैसे और रुपयों में बताया तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल डाई फास्फेट और यूरिया की क्या कीमत थी और इस साल क्या कीमत है ? इस छूट के बाद और दूसरा पंजाब और हरियाणा हमारे देश में कृषि में नम्बर एक पर प्रदेश है और उन्होंने अपने किसानों को व्यापार कर से पूरा कर मुक्त कर रखा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ? मान्यवर, 72 फीसदी किसान हैं जहां 72 फीसदी, 75 फीसदी लोग किसानी पर आधारित हों तो मैं दो चीजें जानना चाहता हूँ एक तो पिछले साल क्या कीमत थी इन खादों की और इस साल क्या है और दूसरा क्या, पंजाब और हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश के किसानों को व्यापार कर से मुक्त करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, क्षमा करेंगे पिछले वर्ष और इस वर्ष के रेट का चार्ट मेरे पास नहीं है, छूट का प्रश्न था वह मैं ले आया था । उर्वरक का मूल्य प्रति मीट्रिक टन मैं बता सकता हूं । श्रीमन्, डीएपी 8900 और केन्द्र सरकार द्वारा छूट दी जाती है 2880 पिछले साल और इस साल का कम्परेटिव फीगर मैं नहीं लाया हूं ।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, व्यापार कर माफ करेंगे या नहीं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, व्यापार कर से फास्फेट और पोटाश को मुक्त रखा गया है ।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यूरिया के ऊपर से बिक्रीकर हटायेंगे या नहीं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जब तक माननीय सदस्य इधर बैठते हैं तब तक उनका चरित्र दूसरा रहता है और इधर से जाने के बाद उनका मूल चरित्र ही परिवर्तित हो जाता है । मान्यवर, कृषि मंत्री जी गत 20 वर्षों से हम लोगों के साथ बैठते रहे और खाद और बीज की लड़ाई लड़ते रहे और उधर जाकर कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है उधर जा कर किसान विरोधी काम शुरू कर देते हैं ।

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार यूरिया के ऊपर 50 रुपया प्रति बोरी और डीएपी पर 100 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से सब्सिडी देने का विचार कर रही है और नहीं कर रही है तो यह सरकार किसान की शुभचिन्तक नहीं है तो क्या यह सरकार विचार करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर भारत सरकार कन्सेशन दे रही है अतः प्रदेश सरकार को इस पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं बनता ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सरकार किसान विरोधी है, इनकी नीति से प्रदेश के किसानों का संरक्षण नहीं हो पायेगा। आप कृषि मंत्री को इंगित करें, मैं और मेरा दल सरकार की इस किसान विरोधी नीति के विरोध में सदन का त्याग करता है।

(श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जैसा कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में बताया था उर्वरक और अन्य जो खादें हैं, उस पर कृषकों की जो निर्भरता है, उसको कम करने के लिये, बैलेन्स करने के लिये, रासायनिक उर्वरकों में व्यापार कर की छूट दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कि यह जो उद्देश्य था, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छूट देने के पहले और छूट देने के बाद किसान की आत्मनिर्भरता में क्या फर्क आया है, इसका तुलनात्मक आंकड़ा क्या उनके पास है और सरकार का जो उद्देश्य था वह पूरा हो रहा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

मेरे ख्याल से सूचना हो तो बता दें, यह अनुपूरक मूल प्रश्न से नहीं निकलता।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

निर्भरता की फीगर तो मेरे पास नहीं है, रेशियो का फीगर जरूर है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इनकी स्वयं चिन्ता है और बार–बार यह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि संतुलित रासायनिकों का प्रयोग हो और इसीलिये छूट की बात की है, लेकिन आज भी किसान नाइट्रोजनयुक्त खादों पर ज्यादा निर्भर है, क्योंकि किसान के रकबे कम हो रहे हैं, खेती का क्षेत्रफल कम हो रहा है और उसका पैदावार बढ़ाना लाजिमी है। प्रदेश का किसान आज भी यूरिया, नाइट्रोजनयुक्त खादों पर मुनस्सर है। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस नाइट्रोजन युक्त खादों पर सब्सिडी देने पर कोई विचार करेगी ? यदि हां तो कितना सब्सिडी देगी ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय में सबसे महत्वपूर्ण पद डिप्टी डायरेक्टर, फर्टिलाइजर का होता है वह पद खाली है, इस संबंध में सरकार की नीति क्या है, उसे कब तक भर दिया जायेगा ?,

श्री अध्यक्ष–

पहले का उत्तर आ चुका है, दूसरे का उत्तर दे दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, डी०डी०एफ०एम० रिटायर हो गये हैं, जो प्रमोशन हो रहे हैं, उसमें पोस्टिंग हो जायेगी।

(श्री जगदम्बिका पाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न से निकलता हुआ अनुपूरक करें तो अच्छा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सरकार किसान की मदद नही करना चाहती और किसानों के प्रति इनकी मंशा साफ नहीं है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, अभी एक सम्मानित सदस्य के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृषि उत्पादन की जो लागत है, जो फर्टीलाइजर और दूसरी चीजे हैं, उन्हें कम करने को तैयार नहीं है । उधर सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 2000–2001 में जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, 2007–2008 में हम उसको दुगुना करने पर विचार कर रहे हैं । अगर यह स्थिति है कि आप उत्पादन लागत कम करने को तैयार नहीं है, छूट देने को तैयार नहीं है तो वह कौन सी जादू की छड़ी है जिसके आधार पर वह उत्पादन को दुगुना कर देगी ? सरकार के पास कोई योजना नहीं है । मान्यवर, इस पर मैं सरकार का उत्तर चाहता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार छूट नहीं दे रही है । मैं बार–बार आपके समक्ष रख रहा हूं कि भारत सरकार यूरिया के प्राइज को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखती है और उस पर सब्सिडी और जो भी आवश्यकता होती है वह देती है । फास्फेट और पोटाश के दाम में कन्सेशन का उल्लेख मैंने कर दिया कि भारत सरकार कितना कन्सेशन दे रही है, प्राइज कन्सेशन दे रही है, रियायत दे रही है । मैंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने जो ट्रेड टैक्स में छूट दिया है, फास्फेट और पोटाश में उससे प्रति बोरी कितना लाभ किसान को हो रहा है । माननीय राम नरेश जी का मैं आदर करता हूं । इस तरह की बात मैंने न कही है और न कोई शासन की नीयत है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, बजट भाषण में भी यह आया है कि 2007–2008 तक जो खाद्यन्न का उत्पादन है उसको दुगुना कर देंगे । सरकार का जो उत्तर आया है उससे लगता है कि सरकार जनता को धोखा देने का काम कर रही है । मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राम नरेश यादव ने सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न नत्थी "ख" । मंत्री जी को विधान परिषद् में अभी जाना है इसलिए हम प्रश्न सं०–7 को पहले ले लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न

**प्रदेश में किसानों को सस्ते दर पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विशेष कार्य योजना**

*1–श्री राम औतार शाक्य–(अनुपस्थित)

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों को सस्ते दामों पर खाद (फर्टिलाइजर) उपलब्ध कराने हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार द्वारा यूरिया पर अनुदान, फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर मूल्य सहायता प्रदान कर सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के कारण विशेष कार्य योजना की आवश्यकता नहीं है ।

---

नोटः– नत्थी 'क' के अल्पसूचित ता० प्र० सं०–2 के उपरान्त ता० प्र० सं०–7 लिया गया ।

*2–श्री विजय पाल सिंह–

(2रे शुक्रवार में ता०प्र०सं०–18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**प्रदेश में प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था**

*3–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा पैदा किये गये उन्नत एवं प्रमाणित बीजों के विक्रय की कोई समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यह था कि विभाग किसानों से अपनी देखरेख में उन्नत और प्रमाणित बीजों का उत्पादन कराकर वही बीज बोने के लिए किसानों को दे तो कुछ सस्ता बीज मिलेगा । सरकारी संस्थाओं के माध्यम से बीज महंगा मिलता है और वह समय पर मिल भी नहीं पाता है । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जी नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि किसानों की हितकारी सरकार है किसानों को अपना बीज बोने व उत्पादन करने पर क्यों प्रतिबन्ध है और उन्हें बीज सरकारी व अर्द्ध सरकारी केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डब्लू०टी०ओ० और विश्व व्यापार संगठन से हुए समझौते के आधार पर या भारत सरकार से प्राप्त किसी निर्देश के आधार पर किसानों को अपना बीज उत्पादित करने और बोने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्या ऐसी कोई बाध्यकारी योजना है ? किसान को अपने द्वारा स्वयं प्रमाणित और उन्नतिशील बीज का उत्पादन कराकर उसको बोने की स्थिति पर क्यों नहीं विचार करना चाहते हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, किसान अपने द्वारा उत्पादित बीज बोये इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । प्रमाणित बीज उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से तराई बीज विकास निगम, भारत सरकार का नेशनल सीड कारपोरेशन और भारत सरकार का ही स्टेट्स फार्म कारपोरेशन उपलब्ध कराता है । स्टेट फार्म कारपोरेशन अपने खुद के फार्म पर प्रमाणित बीज पैदा करता है । उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग भी अपने निजी फार्मों पर बीज पैदा करता है और उसे प्रमाणित कराकर बीज तैयार करता है । नेशनल सीड कारपोरेशन भी बीज पैदा करता है । लेकिन उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम किसानों के माध्यम से प्रमाणित बीज पैदा कराकर किसानों को बीज देता है । इसमें डब्लू०टी०ओ० कहां से आ गया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश तराई बीज विकास निगम मुद्दत से बीज पैदा करवा रहा है । यह संस्था किसानों से बीज पैदा करवाती है और बीज प्रमाणीकरण निदेशालय से प्रमाणित कराती है और वही किसानों को वितरित करती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न देख लीजिये । डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने लघु और सीमान्त किसानों की बात पूछी है । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि लघु और सीमान्त कृषकों की श्रेणी में किसानों के कितने प्रमाणित बीज इन संस्थाओं द्वारा खरीदे गये । जो प्रमाणित बीज इन संस्थाओं द्वारा खरीदे जा रहे हैं वह बड़े किसानों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं, उन्हीं बीजों की खरीददारी की जाती है ।

लघु और सीमान्त कृषक सस्ते दामों पर बीज उत्पादित करते हैं, उन्हें शोषण से मुक्ति नहीं मिल रही है और वह सस्ते दामों पर बीज बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं क्योंकि उनके पास होर्डिंग कैपसिटी नहीं है और उस बीज को प्रमाणित कराने की क्षमता नहीं है क्योंकि जहां बीज प्रमाणित किये जा रहे हैं वहां करेप्शन हो रहा है। माननीय मंत्री जी यह बता दें कि लघु सीमान्त कृषकों के कितने प्रमाणित बीज लिए गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगर सूचना हो तो बता दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, लघु एवं सीमान्त कृषकों के बारे में मूल प्रश्न भी पूछा गया है इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कहीं प्रतिबन्ध नहीं है कि लघु और सीमान्त कृषक उत्तर प्रदेश तराई बीज विकास निगम को बीज नहीं दे सकते। हमारे पास ऐसे कृषकों की पूरी सूची है वह मैं सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं। इसमें कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रतिबन्ध यह रहता है कि जो भी छोटे-छोटे किसान बीज बोये वह सब एक किलोमीटर के रेडियस में हो ताकि जो बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी जाते हैं उसका आसानी से निरीक्षण कर सकें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न केवल इतना है कि लघु और सीमान्त कृषकों द्वारा उत्पादित जो बीज पैदा किया गया है उसके आंकड़े आपके पास हो तो बता दीजिये।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि लघु और सीमान्त कृषकों की बीज उत्पादन क्षमता नहीं होती है और न वे खरीद सकते हैं तो पूर्व में जिस प्रकार तराई एवं बीज विकास निगम द्वारा जो किट दिये जाते थे उसको इस सरकार ने बन्द कर दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लघु एवं सीमान्त कृषकों को मुफ्त ऐसे प्रमाणित बीजों के वितरण पर विचार करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, बीजों के मिनी किट दिये जाते हैं ऐसी बात मेरे सामने नहीं आयी। लेकिन किसान की फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिनी किट दिये जातें हैं, यह लघु और सीमान्त कृषकों को भी दिये जाते हैं इस पर आज भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, तराई एवं बीज विकास निगम भी बीज नहीं बनाता है, यह बड़े किसानों से बीज खरीदता है, यदि लघु एवं सीमान्त कृषक बीज उत्पादन करते हैं तो क्या निगम उनका क्रय करने के लिए तैयार है। उसका बीज क्रय करने की कोई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

लघु एवं सीमान्त कृषक अगर उत्पादन करते हैं तो उसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है । जो टी०डी०सी० है वह प्रमाणीकरण संस्था से बीज प्रमाणित कराती है और किसानों में वितरित करती है, हम जो बीज वितरित करते हैं वह किसानों द्वारा ही पैदा किया गया बीज है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, लघु और सीमान्त कृषक यदि बीज का उत्पादन करते हैं तो अगर वह बीज खरीदा जाता है तो उनको दोगुना दाम मिलता है तो सरकार को उनका बीज लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इसमें कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, बीज उत्पादन कराने की जो प्रक्रिया है सरकार उसमें कुछ इस प्रकार का संशोधन कराने पर विचार करेगी कि लघु और सीमान्त कृषक भी बीज उत्पादित कर सकें और वह इस दौड़ में शामिल हो सकें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा है कि इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । वह बीज उत्पादित कर सकते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, क्या सरकार और कृषि विभाग इस प्रक्रिया में संशोधन करने पर विचार करेंगे कि लघु और सीमान्त कृषक बीज उत्पादित कर सकें और उनका प्रमाणीकरण हो सके और टी० डी० सी० के माध्यम से वह भी इस दौड़ में शामिल हो सकें । उनकी सोसायटी बनाने पर विचार करेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । सोसायटी जो बनाना चाहे वह बना सकता है ।

**प्रदेश में गरीबों के आय प्रमाण–पत्र की सीमा बढ़ाने की मांग**

*4–श्री भीम प्रसाद सोनकर–(अनुपस्थित)

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गरीबों के लिये आय प्रमाण–पत्र पुराने समय की मजदूरी 950 रुपया प्रति माह आय के आधार पर बनाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये मासिक आय सीमा रु० 950 से बढ़ाकर 1500 करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**प्रदेश में राजस्व बन्दी गृहों के सुधार हेतु जारी शासनादेश**

*5–डा० धर्मज्ञ मिश्र–(अनुपस्थित)

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजस्व बन्दी गृहों के सुधार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासनादेश सं०–349/1–7–326/2000 दिनांक 1–3–2001 एवं 597/1–7–326/2000 दिनांक 8–3–2001 द्वारा प्रसारित किये गये हैं ।

*6–श्री बी०-आर० वर्मा–

[4 थे सोमवार में ता०प्र०सं०–09 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक पाउच में शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की योजना**

*7–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषण को रोकने हेतु प्लास्टिक पाउच की थैली में शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा कब से उस पर अमल किया जायेगा ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां । पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पाली पाउचों से शराब की बिक्री को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । वर्तमान वर्ष में देशी शराब की 30 प्रतिशत आपूर्ति अनिवार्य रूप से कांच की बोतलों में की जा रही है तथा जैसे–जैसे आसवनियों में बोतलों की भराई की क्षमता उपलब्ध होती जायेगी, पाउचों में आपूर्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इससे प्रदूषण फैल रहा है । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आसवनियों में केवल कांच की बोतलों से आपूर्ति का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा और पाउचों से शराब की बिक्री समाप्त हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह उत्तर जो आया है यह स्वयं में पूर्ण है कि जैसे-जैसे आसवनियों में बोतलों की भराई की क्षमता उपलब्ध होती जायेगी, पाउचों में आपूर्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभी तक अधिकांश आपूर्ति पाउचों में की जा रही थी । माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, इसे सरकार स्वयं जानती रही है इस कारण हमने फैसला किया है कि चरणबद्ध ढंग से पाउच में बिक्री बन्द किया जाय और वर्तमान वर्ष में देशी शराब की 30 प्रतिशत आपूर्ति अनिवार्य रूप से कांच की बोतलों में की जा रही है और प्रयास है कि चरणबद्ध रूप से 2002 तक हम पाउचों से शराब की बिक्री को समाप्त कर देंगे ।

**प्रदेश में रबी की कुल उत्पादन का लक्ष्य एवं प्राकृतिक समस्या के निराकरण हेतु योजना की जानकारी**

*8–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 में रबी की कुल पैदावार का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या इस वर्ष जनवरी, फरवरी, 2001 में पछुवां हवा चलने के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में कमी को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थिति से निपटने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 2000-2001 में रबी की कुल उत्पादन का लक्ष्य 316.44 लाख मी० टन निर्धारित किया गया था ।

जनवरी में नहीं, बल्कि फरवरी, 2001 में पछुआं हवा का वेग सामान्य से अधिक रहा, हवा जैसी प्राकृतिक प्रतिकूल दशा के लिए कोई योजना नहीं बनायी जा सकती है, बल्कि प्राकृतिक समस्या के

निराकरण हेतु कृषकों को परामर्श दिया गया कि जिस समय दिन में तेज हवा हो उस समय खेतों को पानी न लगाकर, रात्रि में पानी लगायें।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हवा जैसी प्राकृतिक समस्या के निराकरण हेतु कृषकों को परामर्श ही दिया जा सकता है, कोई योजना बनाया जाना सम्भव नहीं है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी खेती करती है पर आये दिन किसी न किसी प्राकृतिक आपदाओं से किसान और कृषि प्रभावित होती है। मंत्री जी ने किसानों को परामर्श दिया है कि इसके निदान की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। कभी पाला, कभी ओला, कभी कोहरा और कभी अन्धड़ से तमाम फसलें बर्बाद होती हैं। इसके लिए पूर्व में कुछ न कुछ व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाती थी। इस बार पछुवा हवा फरवरी में बहुत चली जिससे किसान की फसल प्रभावित हुई है। माननीय मंत्री जी ने सुझाव दिया है कि रात में सिंचाई करें। बिजली की समस्या है, नलकूप नहीं चलते हैं, नहरों में पानी नहीं है तो रात में कैसे सिंचाई की जा सकती है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे किसान की उपज प्रभावित न हो सके ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पछुवा हवा से नुकसान हुआ है और मेरा उत्तर पछुवा हवा से सम्बन्धित है। यह सही है कि पछुवा हवा चलती है तो पैदावार प्रभावित होती है। श्रीमन्, दो समस्यायें जरूर आ रही हैं एक तो किसान बुवाई लेट करता है और हर फसल की उगने की एक अवधि होती है। अगर पकने की अवधि में पछुवा हवा चलने लगती है तो फसल निश्चित रूप से प्रभावित होती है। माननीय सदस्य ने बिजली की बात कही है तो वह अपनी जगह पर समस्या है और उससे पूरा सदन परिचित है। लेकिन जहां पर डीजल पम्पसेट हैं और जहां पर नहरों में पानी है वहां पर किसान रात की सिंचाई कर सकता है। केवल इलेक्ट्रिक पम्प सेट में जरूर बिजली की कठिनाई सामने आती है। उसमें भी ऐसा रहता है कि बिजली कभी दो पारी में रहती है एक हफ्ता दिन में और एक हफ्ता रात में, जब बिजली हो तो किसान खेत की सिंचाई करे। पछुवा हवा के लिए कोई निराकरण सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

पछुवा हवा से जो क्षति हो रही है उस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ? जनवरी का मध्य और फरवरी का प्रथम न तो लेट कहा जा सकता है न जल्दी कहा जा सकता है। हवायें कोई एक-दो दिन नहीं चलतीं जब चलतीं हैं तो 15-15 दिन तक चलती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी हो जाएं, बिजली की व्यवस्था रात को हो जाए ताकि किसान रात को सिंचाई कर सकें। क्या इस तरह की व्यवस्था भविष्य में करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैंने पहले ही कहा कि एक हफ्ते दिन और एक हफ्ते रात का रोस्टर चलता है जब रात का रोस्टर हो तब किसान खेत की सिंचाई करे डीजल इन्जन और नहर से तो हमेशा रात को सिंचाई हो सकती है। जहां तक बुआई की बात है आजकल दिन-प्रतिदिन यह प्रक्रिया चलती जा रही है कि जनवरी माह में गेहूं बोते हैं। जब तक किसान सचेष्ट नहीं होगा वह नुकसान उठाता रहेगा। गेहूं की 15 दिसम्बर के बाद बोने से हमेशा नुकसान रहता है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

बिजली न रात को रोस्टर के हिसाब से आती है न दिन में । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक टाइम टेबुल फिक्स हो जाए ताकि किसान को मालूम रहे कि हमें कब बिजली मिलेगी ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कार्यवाही की जायगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं माननीय सदस्य की भावनाएं ऊर्जा मंत्री तक पहुंचा दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी के ऊर्जा मंत्री जी से मतभेद हैं । यह उनसे कुछ नहीं कह सकते यह असहाय हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

आप तो मित्र हैं आप बता दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की कि बिजली की समस्या है आप भी भिज्ञ हैं जिस तरह से ऊर्जा की कमी है आनपरा में उत्पादन कम होने से राजधानी में 4-4 घंटे बिजली की कटौती हो रही है । ग्रामीण अंचलों में रोस्टर के हिसाब से 15 दिन, दिन में और 15 दिन, रात को बिजली दी जायेगी लेकिन वहां दो-तीन घंटे से ज्यादा बिजली देने का औसत नहीं है । बिजली की कमी के कारण पछुवा हवा चलने के कारण फसल को नुकसान हुआ अभी फसल तैयार होने के बाद तूफान और बरसात के कारण 20 से 30 प्रतिशत फसल को नुकसान हुआ, गेहूं की क्षति हुई है । क्योंकि फसल कट गयी थी खेत खलिहान में वह पड़ी थी इस तरह से प्राकृतिक कारणों से फसल की क्षति हुई है । तो सरकार इस तरह की फसलों की क्षति पूर्ति देने पर विचार करेगी । क्योंकि यह विगत कई सालों से इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है जब किसान की फसल तैयार होती है और वह घर ले जाने की स्थिति में होती है, हर साल कभी ओला का प्रकोप कभी बरसात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान होता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे प्रश्न पूछें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

क्या सरकार किसानों को क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न पछुवा हवा चलने के कारण जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जो भी किसानों का नुकसान हो चाहे वह पछुवा हवा के चलने से हो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, किसान यदि अपनी गलती से नुकसान करता है तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कृषि विभाग द्वारा क्या ऐसा कोई प्रयास किया जायेगा कि ऐसे बीज की खोज की जाय जिस पर पछुवा हवा का असर न पड़े ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, गेहूं की वैराइटी अलग-अलग होती है एक लेट मेच्योर और अर्ली मेच्योर । हम इसका प्रचार-प्रसार भी करते हैं । अब यह तो सम्भव नहीं है कि ऐसा बीज बनाया जाय जो 10 दिन में पककर गेहूं दे दे ।

**जनपद अलीगढ़, सेन्ट्रल डेरी फार्म के छंटनी शुदा कर्मचारी**

*9—श्रीमती विजमा यादव (अनुपस्थित)–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० पशुधन उद्योग निगम सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें निगम को बन्द करने के उपरान्त समाप्त कर दी गयी हैं? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि प्रदेश में पूर्व बन्द किये गये निगमों के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किये जाने की नीति शासन द्वारा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां ।

उ० प्र० पशुधन उद्योग निगम सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ के विगत कई वर्षों से निरन्तर घाटे पर चलने के फलस्वरूप उसे बन्द कर दिये जाने के कारण ।

जी हां । परन्तु उ० प्र० पशुधन उद्योग निगम के समस्त कर्मचारियों की छंटनी कर दिये जाने तथा इन छंटनी शुदा कर्मचारियों को रिट्रेंचमेंट मुआवजा दिये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है । ऐसी स्थिति में इन छंटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन पर विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मुरादाबाद में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना**

*10—मेजर जगतपाल सिंह–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जी, हां ।

नई औद्योगिक नीति के तहत अन्य जनपदों की ही भांति जनपद मुरादाबाद में भी नई इकाइयों की स्थापना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं । वर्ष 1999-2000 में 750 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 811 एवं वर्ष 2000-2001 में 750 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी, 2001 तक 720 नई इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेजर जगतपाल सिंह–

मान्यवर, मुरादाबाद जनपद से लगभग 2000 करोड़ रुपये की वस्तुओं का प्रतिवर्ष निर्यात होता हैं साथ ही यहां पर 750 यूनिट निर्यातकों की लगी हुई हैं तो क्या जनपद मेरठ में और औद्योगिक इकाई की स्थापना यह सरकार करेगी ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत समग्र औद्योगिक विकास हेतु जनपदों में नई इकाइयों की स्थापना की गयी है वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है ।

मेजर जगतपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पेसिफिकली मुरादाबाद जनपद को लेकर है । मंत्री जी ने जवाब दिया कि 99-2000 में 750 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 811 एवं वर्ष 2000-2001 में 750 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 2001 फरवरी माह तक 720 नई इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं । तो वहां पर अब नई यूनिट स्थापित की जायेगी या नहीं । मुरादाबाद से 40 किलोमीटर तक 700–800 इकाइयां जो स्थापित की गयी हैं वे सब निर्यातकों द्वारा स्वयं की गयी हैं लेकिन औद्योगिक विभाग की तरफ से क्या कोई नई यूनिटों की स्थापना की जायगी या की गई है । ऐसा भी सुनने में आया है कि वहां ग्रोथ सेन्टर बनाया जा रहा है । तो क्या 750 से अधिक की यूनिट के लिए कोई विशेष लाभ दिया जायेगा ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

जनपद मुरादाबाद-मेरठ मार्ग पर नयी औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जा रही है । औद्योगिक गलियारे मुरादाबाद मेरठ मार्ग पर विकसित किये जा रहे हैं । जहां तक इनका प्रश्न है नई औद्योगिक इकाइयां खोलने का । तो इसमें नई इकाइयों का ही समावेश विचाराधीन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता सदस्य ने पूछा है कि नई औद्योगिक नीति के तहत अन्य जनपदों की भांति मुरादाबाद में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है मुरादाबाद में नई इकाइयों की स्थापना हो रही है । माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि जो नई औद्योगिक नीति है उसमें क्या-क्या सुविधाएं उद्योगपतियों को दी जा रहीं हैं और उसमें कितने इन्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं ? जिस तरह से पहले प्रेस्टीज इश्यू लागू था वह अब नहीं है क्या इसको लागू करके छूट देने पर विचार करेगी । श्री राम प्रकाश गुप्त, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने की बात कही थी और वे मुम्बई भी गये थे वहां पर 20 हजार करोड़ के लेटर आफ इन्टेंड पर हस्ताक्षर भी किये थे । लेकिन आज प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगते नहीं दिखाई दे रहे हैं । मुरादाबाद में खुद एक्सपोर्टर अपनी निर्यात की इकाइयां लगा रहे हैं और वह भी मर रही हैं क्योंकि सरकार उन्हें कोई इन्सेन्टिव नहीं दे पा रही है । दिल्ली से मुरादाबाद की सड़क भी इन्होंने नहीं बनवाई हैं । लोग वहां न लगाकर दूसरे जगहों पर उद्योग लगा रहे हैं । वहां पर कोई हैलीकाप्टर सेवा नहीं है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या नई औद्योगिक नीति के तहत इन सब सुविधाओं को भी देने पर विचार करेंगे ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है वह नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में है । इस सम्बन्ध में मुझे इतना कहना है कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी पुस्तिका दी जा चुकी है । फिर भी संक्षेप में .....

श्री अध्यक्ष–

पढ़कर न बताइये । वैसे बताइये । जहां पर आंकड़े देने होते हैं वहां पर पढ़कर बताने की आवश्यकता होती है ।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

मान्यवर, जहां तक इस में सुविधाएं दिये जाने की बात कही है । सड़कों की बात कही है, कुछ सड़कों का उच्चीकरण किया जाना है । हवाई सेवा की जो बात कही कि हैलीकाप्टर या हवाई जहाज तो यह सेवा न वहां उपलब्ध है न इसका विचार है । यह भारत सरकार का काम है । यह केन्द्र सरकार प्रबन्ध करती है । कुन्दरकी मार्ग पर नई इकाईयां लग रही हैं जिसके लिये 650 एकड़ भूमि ली गई है....

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के ऊपर एक घन्टे की चर्चा ही करा ली जाय ।

(मेजें थपथपाई गई)

लालजी वर्मा जी आप किस प्रश्न के बारे में कह रहे थे ?

श्री लालजी वर्मा–

श्रीमन्, नत्थी (क) है अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 *

(माननीय उद्यान मंत्री जी के उपस्थित न होने पर)

मान्यवर, मंत्री जी हैं नहीं इसको स्थगित कर दीजिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वह कहीं उद्यान में भ्रमण कर रहे होंगे उनको चेतावनी दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

हो सकता है अम्बेडकर उद्यान में गए हों ।

(हंसी)

श्री लालजी वर्मा–

इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

उस समय तो मंत्री जी बैठे थे इस समय नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

हमारी रुचि थी अब मंत्री जी नहीं हैं, 12.20 के पहले फिर सवाल किया जा सकता है लेकिन मंत्री जी नहीं तो इसको स्थगित कर दें ताकि रुचि के अनुसार अनुपूरक पूछे जा सकें ।

---

* अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (क) ।

नोट :–1–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं०–10 के उपरान्त नत्थी 'क' का अल्पसूचित ता० प्रश्न संख्या–1 लिया गया । तत्पश्चात् प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

2–नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का प्रश्नोत्तर क्रमानुसार यथास्थान छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

*11–श्री जगदम्बिका पाल–

[9वें सोमवार में ता० प्र० सं०–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**भारतीय संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के अनुच्छेद में चकबन्दी कार्य पंचायत के अधीन किये जाने का प्रकरण**

*12–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में "भारतीय संविधान के तिहत्तरवें" संशोधन द्वारा बढ़ाये गये अनुच्छेद 243(जी) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार चकबन्दी कार्य पंचायत के अधीन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

चकबन्दी योजना के विभिन्न स्तर के कार्यों के सम्पादन हेतु चकबन्दी समिति के परामर्श से ग्राम पंचायतों की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है ।

## अतारांकित प्रश्न

**जनपद तहसील एटा, के ग्राम गंगनपुर मजरा में श्री अब्बल सिंह पुत्र श्री लज्जाराम द्वारा अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

1–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–एटा परगना एवं तहसील एटा की ग्राम पंचायत–भगीपुर के ग्राम गंगनपुर मजरा में गाटा संख्या–1430 ग्राम सभा की भूमि पर श्री अब्बल सिंह पुत्र श्री लज्जाराम द्वारा अवैध कब्जा करके मकान/दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटवाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अनधिकृत कब्जेदार के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार एटा वाद संख्या–4 सन् 2001 सरकार बनाम अब्बल सिंह बेदखली हेतु संस्थित किया गया है ।

**जनपद अम्बेडकर नगर, परगना व तहसील टाण्डा के ग्राम "माझा नैपुरा" के मानचित्र में सभी भूखण्डों की दर्शाई गयी स्थिति**

2–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व ग्राम "माझा नैपुरा" परगना व तहसील टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर के मानचित्र में खतौनी खसरा नम्बर 1 से 55 तक जो कि खतौनी में विभिन्न काश्तकारों के नाम दर्ज है, नहीं दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए मानचित्र में उक्त नम्बरों का सीमांकन कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

ग्राम के भू-चित्र में 01 से 55 तक के सभी भूखण्डों की स्थिति दर्शाई गयी है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मिर्जापुर के प्रभारी बन्दोबस्त अधिकारी के भ्रष्टाचारों की जांच**

3–इ० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसान कल्याण मंच, मीरजापुर के संयोजक राम सिंह बागीश के शिकायती-पत्र दिनांक 27-11-2000 के साथ संलग्न श्री राम शरण दास अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, उ०प्र० का पत्र सं० 2142/2000, दिनांक 28-11-2000 जो प्रभारी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मीरजापुर के न्यायिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने विषयक है, मा०मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी । शिकायत गलत एवं निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्राम घरवासपुर में पुनरीक्षित खतौनी निर्माण व धारा के प्रकाशन की कार्यवाही**

4–इ० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मीरजापुर जनपद के चुनार तहसील अन्तर्गत ग्राम घरवासपुर में द्वितीय चक्र की चकबन्दी योजनान्तर्गत वार्षिक पुनरीक्षित खतौनी का निर्माण और धारा 10 का प्रकाशन दिनांक 31-12-96 को हो गया है ? यदि हां, तो क्या संशोधित नियोजित कार्यक्रम वर्ष 2000 के अनुसार प्रश्नगत ग्राम में धारा–20 का प्रकाशन माह–अगस्त, 2000 तक सुनिश्चित कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

ग्राम की नवगठित चकबन्दी समिति का सहयोग न प्राप्त होने के कारण ग्राम में धारा–20 का प्रकाशन माह–अगस्त, 2000 तक नहीं किया जा सका ।

**जनपद फिरोजाबाद तहसील जसराना के मौजा नगला में भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण के विरुद्ध हर्जाना वसूली की कार्यवाही**

**5–श्री संजय गर्ग–**

**विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के छठें गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–73 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सियाराम से हर्जाने की वसूली कब**

और कितनी की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त को स्थल से बेदखल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री सियाराम पुत्र बलवन्त सिंह द्वारा ग्राम नगला धीर के खसरा संख्या–2660 मध्ये रकबा 1.20 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया है ।

अवैध कब्जे के कारण सियाराम के विरुद्ध तहसीलदार जसराना के न्यायालय में बेदखली वाद सं०–116/94 योजित हुआ । उक्त वाद तहसीलदार द्वारा दिनांक 30-9-95 को निर्णीत करके सियाराम के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित किये गये व 5000.00 रुपये अर्थ दण्ड भी लगाया गया ।

परन्तु सियाराम ने उक्त आदेश के विरुद्ध एक निगरानी वाद सं०–37/96 योजित किया गया । जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा निगरानी वाद सं०–37, दिनांक 18-12-97 को निर्णीत करके अवर न्यायालय का बेदखली आदेश ही बहाल रखा । सियाराम द्वारा पुनः एक पुनर्विचार प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया । पुनर्विचार प्रार्थना-पत्र भी सुनवाई के उपरान्त जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 12-5-2000 को अस्वीकार किया गया है । इस प्रकार सियाराम के विरुद बेदखली आदेश बहाल रखा गया ।

श्री सियाराम से हर्जाना वसूली की कार्यवाही व स्थल से बेदखली की कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद गोण्डा, तहसील करनैलगंज के ग्राम परसपुर की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग**

6–डा० वकार अहमद शाह तथा श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम परसपुर तहसील करनैलगंज जिला–गोण्डा के गाटा संख्या–1124 एवं सड़क पर लालू लोहार पुत्र रामनरायन द्वारा अवैध अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमण को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम परसपुर, परगना ग्वारिच, तहसील कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा में स्थित गाटा सं०–1124/0.43 आबादी के खाते की भूमि है । इस की पैमाइश करके देखा गया इसी भूमि में लालू लोहार पुत्र राम नारायन मड़ूहा रखकर 1985 के पूर्व से ही लोहार गीरी का कार्य करते चले आ रहे हैं ।

सड़क की भूमि पर इनके द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है । आबादी की भूमि पर से कब्जा हटवाना न्याय संगत नहीं है ।

**जनपद गोण्डा, परगना ग्वारिज के ग्राम परसपुर में वारिसान के नाम दर्ज वरासत की जानकारी**

7–डा० वकार अहमद शाह तथा श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम परसपुर, परगना ग्वारिज जिला–गोण्डा में कुछ काश्तकारों जिनकी मृत्यु हुये 05 वर्ष से अधिक समय हो गया है, के वारिसान के नाम अभी तक वरासत दर्ज नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर वरासत दर्ज कराते हुये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम परसपुर, परगना ग्वारिज, तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा की खतौनी वर्ष 1403 से 1408 फसली का सत्यापन कराया गया । सभी मृतक खातेदारों की वरासत उनके जायज वारिसानों के नाम दर्ज पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांचोपरान्त कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं आया जिसकी वरासत न हुई हो ।

**जनपद शाहजहांपुर में उप निदेशक प्रसार को कृषकों के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त धनराशि के व्यय का विवरण**

8–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारा० प्रश्न संख्या–90 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषकों के प्रशिक्षण हेतु कुल कितना रुपया उप निदेशक प्रसार, शाहजहांपुर को दिया गया था और उक्त धनराशि कहां-कहां व्यय की गयी ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

आई०सी०डी०पी०/आई०पी०एम० योजनान्तर्गत कृषकों के प्रशिक्षण हेतु कुल रु० 4,90,000.00 की धनराशि वर्ष 1997-98 में उप निदेशक (प्रसार) शाहजहांपुर को दी गयी थी। उक्त धनराशि में से रु० 3,79,772.60 जनपद शाहजहांपुर के सात ब्लाकों में आयोजित प्रशिक्षण पर व्यय किया गया।

जी हां।

पूर्ण विवरण निम्नवत है :–

| क्र० सं० | विकास खण्ड का नाम | सूक्ष्म जलपान | आई०पी०एम० किट | साहित्य | अन्य व्यय (पी०मे०एल आदि मद में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | तिलहर | 16,480 | 30,000 | 6825 | |
| 2 | निगोही | 15,455 | 27,900 | 6825 | |
| 3 | जैंतीपुर | 15,195 | 30,000 | 6825 | |
| 4 | खुदागंज (कटरा) | 8,000 | 30,000 | 6825 | |
| 5 | जलालाबाद | 16,325 | 27.900 | 6825 | |
| 6 | मिर्जापुर | 15,750 | 27,900 | 6825 | |
| 7 | कलान | 15,870 | 27,900 | 6825 | |
| | व्यय धनराशि का योग | 1,03,075 | 2,01,600 | 47775 | 27322.60 |

सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु० 379772.60

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद मैनपुरी, ब्लाक सुल्तानगंज के ग्राम व गांव पंचायत धनमऊ में चुनी गयी पंचायत सदस्य के नाम के स्थान पर अन्य नाम अंकित करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही**

9–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती मीना कुमारी निवासिनी ग्राम धनमऊ ब्लाक सुल्तानगंज जनपद–मैनपुरी के गांव पंचायत धनमऊ में पंचायत सदस्य के पद पर चुने जाने के बावजूद ब्लाक में भेजी गई सूची में उनके स्थान पर दूसरे का नाम अंकित कर दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में उनका शिकायती प्रार्थना-पत्र जो कि जिलाधिकारी मैनपुरी को दिया गया था, उनके पत्रांक–632,

दिनांक 24-7-2000 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी, हां ।

जी, हां ।

संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत धनमऊ की सूची को दिनांक 24-7-2000 द्वारा संशोधित कर दिया गया है एवं शिकायत तद्नुसार निस्तारित कर दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में पुलिस कर्मियों द्वारा मवेशी वाहन व मवेशी मालिकों का चालान किये जाने की जानकारी**

10–श्री विजय पाल सिंह–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशुओं को लाने एवं ले जाने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि पुलिस कर्मियों द्वारा मवेशी वाहन तथा मवेशी मालिकों का चालान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुलिस उत्पीड़न की रोकथाम के लिये कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

प्रदेश में पशुओं को लाने एवं ले जाने पर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960, ट्रांसपोर्ट आफ एनीमल रुल्स 1978, उ० प्र० गोवध निवारण अधिनियम, 1955, मोटर वाहन अधिनियम एवं उ० प्र० गोवध निवारण नियमावली, 1964 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस विभाग द्वारा चालान की कार्यवाही की जाती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद बलरामपुर तहसील उतरौला में भूमि आवंटन व तालाबों की नीलामी में अनियमितता की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही**

11–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में भूमि आवंटन व तालाबों की नीलामी में की गयी अनियमितता की जांच विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी० एम० वी० को०/एम०/3155 गोण्डा दिनांक 22-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील उतरौला में भूमि आवंटन एवं तालाब की नीलामी में की गयी अनियमितता की जांच विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी० एम० वी० को०/एम०/3155 गोण्डा दिनांक 22-2-2000 का प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच करायी गयी, जांच आख्या के अनुसार 15-1-98 को गाटा संख्या–204/0–18 में से 0–05 डि० का आवासीय पट्टा पांच पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को दिया गया है सभी व्यक्ति पात्र है । दिनांक 2-4-97 को गाटा संख्या–363 ड०/9–58 में से 3–57 एकड़ व 333/0–20 में से 0–03 एकड़ जल मग्न भूमि जो मौके पर समतल हो गया है श्रेणी परिवर्तन करते हुए कृषि भूमि आवंटन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के तीन सामान्य जाति के दो व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर नियमानुसार स्वीकृत किया गया है । उक्त सभी व्यक्ति पात्र है । दिनांक 25-10-99 को गाटा संख्या–

50क/1–00, 61/0–52 कुल 1–52 एकड़ तालाब का 10 वर्ष का पट्टे पर श्री दीन दयाल पुत्र शारदा प्रसाद जाति कहार के पक्ष में नियमानुसार पात्रता के आधार पर किया गया है।

**जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला के अन्तर्गत विगत कई वर्षों में 122 बी०एल०आर० ऐक्ट के अन्तर्गत नोटिस तामील का प्रकरण**

12–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 व 1998-99 तथा 1999-2000 में कितने व्यक्तियों को 122 बी०एल०आर० ऐक्ट के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी उतरौला तथा तहसीलदार उतरौला द्वारा नोटिसें जारी की गयी हैं ? यदि हां, तो जारी नोटिसों में से कितनों का निस्तारण किया गया तथा कितनी शेष हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वित्तीय वर्ष 1997-98 (1-4-97 से 31-3-98) में 37 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी की गयी. जिसमें से 24 नोटिसों का निस्तारण हुआ तथा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस निस्तारण हेतु अवशेष रहा है।

वित्तीय वर्ष 1998-1999 (1-4-98 से 31-3-99) में 107 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी की जिसमें से 83 नोटिसों का निस्तारण हुआ तथा 24 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस निस्तारण हेतु अवशेष रहा है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 (1-4-99 से 31-3-2000) में 281 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी की गयी जिसमें से 87 नोटिसों का निस्तारण किया गया तथा 194 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस का निस्तारण हेतु अवशेष है।

**जनपद गौतमबुद्ध नगर का जिला मुख्यालय सूरजपुर ग्रेटर नोएडा का निर्माण**

13–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर का जिला मुख्यालय सूरजपुर ग्रेटर नोयडा में बनवाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो उस पर कितना पैसा अब तक खर्च हो चुका है ? क्या निर्माण कार्य इस समय रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार निर्माण कार्य पुनः कब तक शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

दिनांक 31-1-2000 तक 27.75 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

जी हां।

जनपद गौतमबुद्धनगर के मुख्यालय स्थल के सम्भावित परिवर्तन के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था। अब मुख्यालय स्थल का निर्णय हो चुका है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा।

**प्रदेश में सरकारी पशु चिकित्सालयों में विगत दो वर्षों से दवाओं की आपूर्ति न होने की शिकायत**

14–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी पशु चिकित्सालयों में दवाओं की आपूर्ति क्या पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विगत

दो वर्षों से सरकारी पशु चिकित्सालयों में पशुपालन विभाग ने दवाओं की आपूर्ति नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ? उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में विगत वर्ष पंचायत चुनाव में जमानत की जमा धनराशि हेतु आवश्यक निर्देश**

15–श्री तौफीक अहमद–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंचायत चुनाव वर्ष 2000 (ग्राम/क्षेत्र पंचायत) में जमा जमानत राशि की वापसी (भुगतान) कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2000 में निक्षेप की धनराशि वापसी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने परिपत्र संख्या–10263/रा०नि०आ०अनु०–3/2000, दिनांक 2-12-2000 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेजे जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद गोरखपुर कलेक्ट्रेट में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग**

16–श्री तौफीक अहमद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोरखपुर के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात कितने वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक/सहायक एक ही पटल अनुभाग में पांच या पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण अन्य पटल/अनुभाग में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद गोरखपुर कलेक्ट्रेट में दिनांक 28-2-2001 तक कुल 5 वरिष्ठ लिपिक व 2 कनिष्ठ लिपिक पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । इनका स्थानान्तरण अन्य पटल/अनुभाग में वार्षिक स्थानान्तरण के समय किया जायेगा ।

**जनपद अम्बेडकर नगर क्षेत्र जहांगीरगंज के पशु चिकित्सालयों में दवाओं की व्यवस्था**

17–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जहांगीरगंज में पशुओं के उपचार हेतु पशु अस्पतालों पर दवा की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पशुओं के उपचार के लिये दवा की समुचित मात्रा में व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में चक मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही**

18–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चक मार्गों से अतिक्रमण हटाने हेतु त्वरित कार्यवाही किये जाने के लिये प्रभावी कदम उठाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी, हां ।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सतत् की जाती है तथा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड के साथ ही कारावास का भी प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बलिया, सीयर के बाढ़ प्रभावित ग्रामों में पीड़ित परिवारों को वितरित सामग्री की जानकारी**

19–श्री अफजाल अहमद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन 292 परिवारों की अहेतुक सहायता दी गयी थी उनकी सूची क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1998 की बाढ़ से प्रभावित पात्र व्यक्तियों/परिवारों को तैयार की गई सूची में से राहत सहायता वितरण सूची मा० सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है । उक्त सूची किसी भी कार्य दिवस में मेरे कार्यालय में भी देखी जा सकती हैं ।

**जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम के ग्राम भटियामऊ में मीनार गिरने से हुए नुकसान व पीड़ित को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

20–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-7-2000 जो मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–354287/हरदोई/2000 द्वारा आयुक्त को भेजा गया था और जो 4 जुलाई, 2000 को अधिक वर्षा होने के कारण ग्राम भटियामऊ में मीनार गिर जाने के कारण हुये नुकसान से पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मा० सदस्य का पत्र दिनांक 25-7-2000 नहीं बल्कि दिनांक 13-7-2000 प्राप्त हुआ हैं । प्रकरण में उप जिलाधिकारी बिलग्राम से जांच कराई गई, जांच आख्या के अनुसार दिनांक 4/5 जुलाई, 2000 को रात लगभग 1.00 बजे आबादी के अन्दर निर्माणाधीन मस्जिद की मीनार नींव मजबूत न होने तथा मीनार निर्माण में कमी के कारण गिर गई । इस घटना में साबिरा बेवा कमरूद्दीन की मृत्यु हो गई जिसका कोई जायज वारिस नहीं है । शेष घायल व्यक्ति प्राथमिक उपचार के बाद ठीक हो गये हैं । प्रश्नगत प्रकरण दैवी आपदा के अन्तर्गत न होने के कारण कोई राहत सहायता प्रदान नहीं की गई ।

21–श्री अब्दुल मन्नान–

[दिनांक 2-5-2001 को अता०प्र०सं०–174 द्वारा उत्तरित]

**जनपद संत रविदास नगर भदोही, विकास खण्ड सुरियावां में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु भवन निर्माण**

22–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि०खं० सुरियावां स्थित दुर्गागंज में राजकीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत हो चुका है तथा उक्त चिकित्सालय हेतु भूमि की भी व्यवस्था की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय के भवन का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

जी हां ।

जिला योजना में बजट उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद संत रविदास नगर भदोही में विगत वर्षों में किसानों को मुफ्त बीज वितरण**

23–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1999-2000, 2000-2001 में चने का कितना बीज किसानों में मुफ्त वितरित किया गया तथा किन-किन किसानों को कितने हेक्टेयर के लिये बीज दिया गया है ? क्या सरकार उक्त किसानों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद संत रविदास नगर में वर्ष 99-2000 में किसानों को 40 कुं० चना बीज मिनीकिट मुफ्त वितरित किया गया है एवं 2000-2001 में मुफ्त बीज वितरित नहीं किया गया है ।

कृषकों की सूची माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में लेखपाल, रजिस्ट्रार, कानूनगो व भूलेख लिपिक के प्रोन्नति व वेतन विसंगति का शासन के विचाराधीन प्रकरण**

24–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायक रजिस्ट्रार, कानूनगो तथा भूलेख लिपिक का पद क्या लेखपाल से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है ? यदि हां, तो क्या लेखपाल पद के

वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान से सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो एवं भूलेख लिपिक का पद का वेतनमान कम है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस वेतन विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(1) शासनादेश संख्या 3214/1-9-94–राजस्व–9, दिनांक 17-6-94 निर्गत होने के पूर्व सहायक रजिस्ट्रार, कानूनगो के पदों पर पदोन्नति लेखपाल संवर्ग से की जाती थी । वर्तमान में यह पदोन्नति पूर्णतया बन्द है ।

(2) भूलेख लिपिक के पद पर अभी भी पदोन्नति लेखपाल संवर्ग से की जाती है । सहायक रजिस्ट्रार, कानूनगो का वेतनमान 4000-6000 तथा भूलेख लिपिक का वेतनमान 3050-4500 है । लेखपालों को राजस्व परिषद् द्वारा 4500-7000 का वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया है जिस पर शासन द्वारा आपत्ति की गयी है । नियमानुसार लेखपाल पद का वैयक्तिक प्रोन्नत वेतमान 1200-2040 (पुनरीक्षित 4000-6000) होना चाहिए जिससे उक्त विसंगति नहीं रहेगी ।

शासन स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद, तहसील रूदौली में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त कर धारा 52 के प्रकाशन व लम्बित वादों के निस्तारण की जानकारी**

25–श्री शिव सिंह चक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद की तहसील–रूदौली में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त कर धारा 52 का प्रकाशन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? चकबन्दी अधिकारी रूदौली के न्यायालय में इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 2000 तक कौन-कौन से वाद कितने वर्षों से लम्बित है ? धारा 52 प्रकाशन के बाद भी वादों को लम्बित रखने का औचित्य क्या है ? उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में द्वितीय चक्र की चकबन्दी में कुल 194 ग्राम लिये गये थे जिनमें से 178 ग्रामों में उ०प्र० जो च०अ० की धारा 52(1) की विज्ञप्ति दिनांक 20-4-2000 तक जारी की जा चुकी है । शेष 16 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रियायें चल रही हैं ।

चकबन्दी अधिकारी रूदौली के न्यायालय में दिसम्बर, 2000 तक धारा 9 क(2) के 772 तथा धारा–12 के 303 वाद इस प्रकार कुल 1075 बाद लम्बित थे, जिनमें सबसे पुराने 29 वाद वर्ष 1984 के हैं ।

पूर्व में निस्तारित वादों में पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्रों के प्रस्तुत होने, न्यायालय उप संचालक चकबन्दी तथा न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी से प्रत्यावर्तित होने के कारण वाद चकबन्दी अधिकारी न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत लम्बित है ।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत लम्बित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में समय सीमा का निर्धारण करना सम्भव नहीं है । वादों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु चकबन्दी अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है ।

**जनपद कन्नौज में मण्डी परिषद् द्वारा विकास कार्यों हेतु कथित धनराशि उपलब्ध कराने का प्रकरण**

26–श्री गजेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कन्नौज में वर्ष 1997 से वर्ष 1999-2000 तक मण्डी परिषद् द्वारा भेजी गयी विकास कार्यों की धनराशि से मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज द्वारा जनपद में क्या-क्या विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या कराये गये विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी है ? क्या इसकी स्थलीय जांच टी०ए०सी० से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1997 से 1999-2000 तक विकास कार्यों हेतु कोई धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को नहीं उपलब्ध करायी गयी है । अतः विकास कार्य कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गोपाल कृष्ण निवासी मथुरा रोड, बहेड़ी, जनपद बरेली का जमीन अभिलेख खतौनियों को गायब करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग**

27–श्री उदय राज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गोपाल कृष्ण, निवासी-मथुरा रोड, बहेड़ी जनपद बरेली का पत्र जो उनकी जमीन के अभिलेख खतौनियों को गायब कर अवैध रूप से उनका नाम हटा कर अन्य के नाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में था, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-12-2000 के साथ विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद अम्बेडकरनगर के जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल अधिकारी द्वारा जवानों की क्रय की गयी वर्दी के भुगतान की मांग**

28–श्री तेजभान सिंह–

क्या युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–अम्बेडकरनगर के जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल अधिकारी द्वारा पी० आर० डी० जवानों के लिये 111 सेट वर्दी फर्म मे० जायसवाल ग्रुप, सुल्तानपुर से क्रय की गयी थी ? यदि हां, तो इसका भुगतान महानिदेशक, युवा कल्याण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०–2790 दो–74/प्रा० वि० द/1998 दि० 24 सितम्बर, 1998 के द्वारा आदेशित किये जाने के बाद भी अभी तक न किये जाने के क्या कारण है ? उक्त क्रय की गयी वर्दी का भुगतान न करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल कूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह)–

जी हां ।

पी०एल०ए० में रखी धनराशि के आहरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका । फर्म्स को मु० 54,945/- का एकाउन्टपेयी चेक दिनांक 12-3-2001 को पंजीकृत डाक से भेजा जा चुका है । महानिदेशक के पत्र दिनांक 22-3-2001 द्वारा जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया जा चुका है । यदि कोई दोषी पाया गया तो जिलाधिकारी उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सुल्तानपुर में जिला योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति सदस्यों को समितियों में पशु आहार वितरण में की गयी धांधली विषयक जांच में दोषी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही**

29–श्री तेजभान सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की दिनांक 29-5-2000 को जिला योजना में अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को समितियों में पशु आहार वितरण में की गयी धांधली के जांच के सम्बन्ध में बनाई गई समिति की जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर के पत्रांक-आ०सं० 927 दिनांक 15-12-2000 द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट के आधार पर अब तक किसी अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जय पाल सिंह)–

जी हां ।

जांच में दोषी पाये गये कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पी०सी०डी०एफ० द्वारा कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**प्रदेश में मछली पालन हेतु तालाबों के पट्टे का नवीनीकरण**

30–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन तालाबों का मछली पालने हेतु पट्टा अनुसूचित जाति के लोगों को हुआ है तथा मछली पालने के लिये प्रशिक्षित है, को पट्टे की नियत अवधि को बढ़ाते हुये नियमित रूप से पट्टा जारी रखने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

भूमि प्रबन्धक समिति मैनुअल के पैरा–62(3) (1) के अन्तर्गत गांव सभा में निहित तालाब एवं पोखरों में मछली के शिकार करने का 10 वर्ष का पट्टा दिये जाने का प्राविधान है । 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर यदि पट्टेदार का व्यवहार ठीक रहा है तो उसी के पक्ष में दुबारा पट्टा दिया जायेगा । यदि निर्धारित वरीयता क्रम में उससे वरीयता श्रेणी का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है । 10 वर्षीय पट्टे के शर्तनामा की शर्त संख्या–12 व 13 में नवीनीकरण का उक्त प्राविधान समाहित हुआ है ।

उपरोक्तानुसार ।

**जनपद शाहजहांपुर के दुग्ध विकास कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

31–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-10-98 जो जनपद शाहजहांपुर के दुग्ध विकास कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, सचिव, दुग्ध विकास उ०प्र० शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर दुग्ध आयुक्त उ०प्र० के माध्यम से जांच कराई गयी । जांचाख्या शासन को प्राप्त हो गयी है, जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद मऊ में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला**

32–श्री समर पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मऊ में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है ? यदि नहीं, तो उक्त जनपद में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना की योजना को मैक्रोमोड मैनेजमेन्ट/डास्प के माध्यम से वित्त पोषण कराने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

**जनपद मैनपुरी, ब्लाक–बेवर के पंचायत चुनाव में निर्विरोध बी०डी०सी० चुने जाने में हुई अनियमितताओं की जांच**

33–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में जून, 2000 में हुये त्रिस्तरीय क्षेत्र पंचायत के चुनाव में 10 निर्विरोध बी०डी०सी० चुने जाने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ख–2 नं० 493444 दिनांक 20-6-2000 राज्य निर्वाचन आयोग (त्रिस्तरीय गांव पंचायत) लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किये गये नामांकन पत्रों में अनियमितता होने की शिकायत क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 43, 44 में थी, जिसकी जांच कराई गयी ? तथ्य सही पाये जाने पर विकास खण्ड बेवर में तैनात प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पं०) श्री राकेश बाबू एवं श्री बहोरी सिंह सहायक निर्वाचन अधिकारी (पं०) को उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) बेवर द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी (पं०) श्री बहोरी

सिंह के विरुद्ध थाना बेवर में एफ०आई०आर० करा दी गयी । क्षेत्र पंचायत के अन्य वार्डों से निर्विरोध चुने गये सदस्यों के नामांकन आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद व तहसील मैनपुरी के ग्राम नौनेर में चकबन्दी प्रक्रिया हेतु धारा–4(2) व प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् धारा–52 के प्रकाशन की जानकारी**

34–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील मैनपुरी के ग्राम नौनेर की चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ कराने के लिये धारा–4 का प्रकाशन कब किया गया था ? क्या चकबन्दी पूर्ण होने के उपरान्त उक्त ग्राम का धारा–52 का प्रकाशन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम नौनेर, परगना, तहसील व जिला मैनपुरी का जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4(2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 15-9-79 को हुआ था ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार ग्राम नौनेर के विभिन्न मजरों को 11 राजस्व ग्रामों में विभाजन का विवाद मा० उच्च न्यायालय में चलने, ग्राम में घोर पार्टी बन्दी गुटबन्दी तथा धरना प्रदर्शन होने के कारण इस ग्राम का धारा–52(1) का प्रकाशन लम्बित है ।

**प्रदेश के कृषि विभाग में कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने सम्बन्धी शासनादेश**

35–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि विभाग की सप्लाई स्कीम के कर्मचारियों को विभाग से अलग करके अन्य विभागों में समायोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और उसके शासनादेश का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि कृषि विभाग के बीज भण्डारों की संख्या 750 के सापेक्ष कर्मचारियों की संख्या 3000 है और उसमें कुछ कर्मचारियों के डिप्लोमा प्राप्त होने के कारण समायोजन में विसंगतियां पैदा हो रही हैं ? यदि हां, तो उसका क्या समाधान है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मुख्य सचिव स्तर से जारी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–1–1463/दस–2000 दिनांक 02-05-2000 के क्रम में कृषि सप्लाई योजना में कार्यरत कर्मचारियों को सरप्लस मानते हुये जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की व्यवस्था की गई है । इनको अन्य विभागों में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त सरप्लस कर्मचारियों के समायोजन/रिडिप्लायमेन्ट होने तक उनके वेतन–भत्तों की व्यवस्था सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी । इस संबंध में विस्तृत प्रक्रियात्मक विवरण शासनादेश दिनांक 2-5-2000 में उपलब्ध है ।

जी नहीं, बीज भण्डार 914 हैं और इनके सापेक्ष 3434 कार्मिक कार्यरत हैं । वर्ग–3 के उक्त कार्मिकों की शैक्षिक व प्राविधिक योग्यता हाईस्कूल कृषि डिप्लोमा/इण्टर कृषि डिप्लोमा, बी०एस-सी० (एजी०) है । समायोजन में कोई विसंगति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36–श्री राम औतार शाक्य–

[ निदेश संख्या–26(1) के अन्तर्गत उत्तरित ]

**जनपद फिरोजाबाद, ब्लाक टूण्डला के ग्राम रसूलाबाद में कृषि विज्ञान केन्द्र की मांग**

37–श्री शिव सिंह चक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला ब्लाक अन्तर्गत ग्राम रसूलाबाद में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की योजना पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा यह योजना स्वीकृत नहीं की जाती है । राज्य सरकार के आदेशानुसार चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत फिरोजाबाद जनपद में एक कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी है, जिसके द्वारा कृषकों के सहायतार्थ प्रसार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

38–डा० वकार अहमद शाह–

[ दिनांक 22-3-2001 को अता०प्र०सं०–150 द्वारा उत्तरित ]

39–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[ पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ]

**जनपद कन्नौज, ब्लाक सौरिख के ग्राम बहेड़ी में मवेशी अस्पताल खोलने का प्रकरण**

40–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बहेड़ी ब्लाक सौरिख जनपद कन्नौज में क्या कोई मवेशी अस्पताल स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में मवेशी अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

ग्राम बहेड़ी के आस-पास के ग्रामों की पशुओं की संख्या–10,000 से कम होने तथा 8 कि०मी० के अन्दर अन्य स्थल पर पशु चिकित्सालय स्थापित होने के कारण मानक के अनुसार प्रश्नगत ग्राम में नया पशु चिकित्सालय खोला जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर के कतिपय ग्राम प्रधान के चुनाव में मतदान केन्द्र बनाये जाने विषयक पत्र**

41–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक बेबर जनपद मैनपुरी के कतिपय ग्रामों को ग्राम प्रधान के चुनाव में मतदान केन्द्र बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी०एम०वि०को० एम०/32043, 32044/मैनपुरी/2000, दिनांक 15-3-2000 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेबर की ग्राम पंचायत जमौरा में बनी पंचायत भवन की भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने की जानकारी**

42–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेबर की गांव पंचायत जमौरा में बनी पंचायत भवन के भूमि का खसरा नम्बर एवं रकबा क्या है ? क्या पंचायत घर का इन्दराज राजस्व अभिलेखों में करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

पंचायत भवन भूमि का खसरा नम्बर 162 तथा रकबा 0.020 है ।

जी हां ।

पंचायत भवन का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में दिनांक 5-5-98 के पूर्व करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्राम नागनार–हरैया में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं पर पुनः चकबन्दी कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग**

43–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नागनार–हरैया, परगना अहरौर तहसील चुनार, जनपद–मिर्जापुर में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के कारण पुनः चकबन्दी कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०वि०को/एम–/35997/मैनपुरी/2000, दिनांक 27-7-2000 के साथ चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार शिकायती-पत्र निराधार पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बरेली के सैदपुर बुजुर्ग में फसली के खतौनी राजकीय अभिलेखागार बहेड़ी से गायब किये जाने की जानकारी**

44–श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रश्नगत प्रकरण पर सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद कुशीनगर के नौकाघाट–कपरधीक्का घाट का नीलामी/ठेका निरस्त करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र**

45–श्री बादशाह सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दीपलाल भारती स०वि०स० का पत्र दिनांक 25-7-98 जिला पंचायत अध्यक्ष कुशीनगर को प्राप्त हुआ है जो नौकाघाट कपरधीक्का घाट का 09-7-98 को किया गया नीलामी/ठेका निरस्त करने के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का प्रकरण**

46–चौधरी रिफाकत हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के उपयोग हेतु स्व० बलदेव प्रसाद, निवासी मोहल्ला, राजगढ़ शहर लखीमपुर की भूमि कई वर्षों पूर्व अधिग्रहीत की गयी थी ? क्या उक्त भूमि का मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त भूमि का मुआवजा उनके उत्तराधिकारियों को ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, [illegible] ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में न्यूनतम वेतन दिये जाने के मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन**

47–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि रिट पिटीशन सं०–1019/एस०अस/1994 में दिनांक 3-3-2000 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचियों को नियमित करते हुये न्यूनतम वेतनमान दिये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन याचियों को नियमित कर न्यूनतम वेतन दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जी हां ।

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3-3-2000 के विरोध हेतु शासन की स्वीकृति उपरान्त विशेष अपील माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 25-4-2000 को दाखिल की गयी है जो मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

**लखनऊ, थाना चिनहट के ग्राम सहापुर में ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर कार्यवाही**

48–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री "पर्यटन" का पत्र संख्या–2752, दिनांक 30-7-99 जो जनपद लखनऊ के ग्राम सहापुर थाना चिनहट में ग्राम सभा की सम्पत्ति पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**प्रदेश के आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक पद के चयन हेतु विज्ञापन में अनुसूचित जाति आदि का आरक्षण कोटा पूर्ण करने की जानकारी**

49–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तृतीय गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–92 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समूह "ग" के अन्तर्गत वर्ष 1998 में उप आबकारी निरीक्षक पद के विज्ञापन में कितने पद अनुसूचित जाति/अति पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के थे ? क्या यह सही है कि अति पिछड़े जाति का आरक्षण कोटा नियमानुसार नहीं था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर इसके लिये दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उत्तर प्रदेश (उ० प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के रिक्त पदों को भरने के लिए अगस्त, 1998 में उप आबकारी निरीक्षक के पद पर चयन हेतु विज्ञापित 21 रिक्तियों में अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 01 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 09 पद विज्ञापित हुए थे, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए कोई पद नहीं था ।

अति पिछड़ी जाति के लिए कोई पृथक आरक्षण कोटा निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के आबकारी विभाग में कतिपय पदों पर कार्यरत अधिकारियों के द्वारा चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा**

50–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, सहायक/जिला आबकारी अधिकारी के कितने-कितने पद सृजित हैं ? उक्त पदों पर तैनात अधिकारियों में से कितने अधिकारियों द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति को घोषित किया गया है ? क्या पूर्व आबकारी आयुक्त बसन्त बल्लभ पाण्डेय तथा पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त श्री मोतीलाल वर्मा, श्री एस० एन० पाण्डेय द्वारा उक्त पदों पर सेवाकाल के दौरान अपनी-अपनी सम्पत्ति की घोषणा की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

प्रदेश में 08 संयुक्त आबकारी आयुक्त, 29 उप आबकारी आयुक्त एवं 122 सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पद सृजित हैं ।

उक्त पदों पर तैनात अधिकारियों में से 02 संयुक्त आबकारी आयुक्तों, 05 उप आबकारी आयुक्तों एवं 13 सहायक आबकारी आयुक्तों द्वारा अपनी आबकारी निरीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान चल/अचल सम्पत्तियों की घोषणा की गयी है ।

पूर्व आबकारी आयुक्त श्री बसन्त बल्लभ पाण्डेय एवं श्री एस० एन० पाण्डेय (तत्कालीन अपर आबकारी आयुक्त) (प्रशासन) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं । नियुक्ति विभाग की सूचनानुसार श्री बसन्त बल्लभ पाण्डेय वर्ष 1992 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनकी परिसम्पत्ति सम्बन्धी विवरण विषयक कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं । श्री एस०एन० पाण्डेय द्वारा अपनी पी०सी०एस० सेवाकाल का सम्पत्ति विवरण घोषित किया गया है ।

श्री मौजी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त, उन्नाव के पद पर तैनाती के दौरान परिसम्पत्ति की घोषणा की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सन्त कबीर नगर, तहसील धनघटा के ग्राम दुबौली में ग्राम समाज की भूमि को देने आबादी पट्टे के लिए निर्देश**

51–चौधरी रिफाकत हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त कबीर नगर के तहसील धनघटा के अन्तर्गत ग्राम सभा गोन्दौरा के ग्राम दुबौली में ग्राम समाज के गाटा संख्या 84 पर अनाधिकृत रूप से कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त गाटा संख्या से तत्काल कब्जा हटवाकर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से पट्टा किये जाने हेतु आदेशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

आबादी पट्टे के लिए सम्बन्धित को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

52–श्री उबैर्दुरहमान–

[दिनांक 1-5-2001 को अता० प्र० सं०–188 द्वारा उत्तरित ]

53–54–श्री अफजाल अहमद–

[3रे सोमवार में अता० प्र० सं०–76 व 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद मुरादाबाद के कृषि प्रक्षेत्रों के दैनिक मजदूरों के बकाया भुगतान**

55–श्री मूल चन्द–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में कृषि विभाग के कृषि प्रक्षेत्रों पर काम करने वाले दैनिक मजदूरों को उनकी मजदूरी सितम्बर, 1998 से मार्च, 1999 तक का भुगतान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

अवशेष मजदूरी का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त तर्कसंगत पाये जाने पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

**जनपद सन्त कबीर नगर, ग्राम सभा गोन्दौरा के ग्राम दुबौली में ग्राम समाज की भूमि पर लगे कथित पेड़ों के काटने सम्बन्धी प्रकरण**

56–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त कबीर नगर के अन्तर्गत ग्राम सभा गोन्दौरा के ग्राम दुबौली में ग्राम समाज के भूखण्ड संख्या–84 पर लगे बरगद, पीपल तथा ताड़ के पेड़ों को श्री विश्वनाथ पुत्र स्व० श्री सुखराज द्वारा वर्ष 1999-2000 में अनधिकृत रूप से कटवा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं पेड़ों की कीमत वसूल कर ग्राम सभा निधि में जमा करवाने हेतु जिलाधिकारी जनपद सन्त कबीर नगर को आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

भूखण्ड संख्या 84 पर बरगद, पीपल एवं ताड़ के पेड़ नहीं थे, अतः उनके काटने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़, तहसील लालगंज अझारा के ग्राम रामपुर खुर्द में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का प्रकरण**

57–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर खुर्द, थाना जेठवारा तहसील लालगंज अझारा, जिला प्रतापगढ़ में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 91, 92, 93 तथा 117 पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत गाटा संख्या की भूमि ग्राम समाज की भूमि न होकर खातेदारों की भूमि है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के कतिपय ग्रामों में अवैध शराब की बिक्री पर कार्यवाही की मांग**

58–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत जहांगीरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के देवरिया पदुमपुर, साबितपुर, गड़वल, कम्हरियाघाट, ससना, गिरैया, सरजू नगर, मकरही, सेलबजवा, गोविन्द सहाय आदि स्थानीय कस्बों में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है ? क्या सरकार उक्त कस्बों में अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगायेगी एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत जहांगीरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के केवल ग्राम ससना व कम्हरियाघाट जो सरयू नदी के किनारे बसे हैं, में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत मिली थी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए छापे मारे गये और अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 के बीच 18 अभियोग

पकड़े गये । शेष देवरिया, मधुमधुर, [illegible], पढ़वल, गिरैया, [illegible] [illegible], गोविन्द सहाय में अवैध शराब की बिक्री की कोई शिकायत नहीं मिली है । जहां से अवैध शराब की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी, वहां पर सरकारी आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही के अन्तर्गत छापे मारे गये और 18 व्यक्तियों पकड़े गये । इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर में क्षेत्र समिति के सदस्यों के नामांकन पत्रों में [illegible] की जांच में दोषी एवं निलम्बित अधिकारी**

59–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी ब्लाक बेवर में क्षेत्र समिति के सदस्यों के नामांकन पत्रों में गड़बड़ी कराये जाने से बी०डी०सी० हेतु निर्विरोध चुनाव की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20-6-2000 को दिया गया पत्र निर्वाचन आयोग (त्रिस्तरीय पंचायत) उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किये गये नामांकन पत्रों में अनियमितता होने की शिकायत क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 43, 44 में थी, जिसकी जांच कराई गई । तथ्य सही पाये जाने पर विकास खण्ड बेवर में तैनात प्रभारी सहायक निर्वाचन अधिकारी (पं०) को उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) बेवर द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी (पं०) बहोरी सिंह के विरुद्ध थाना बेवर में एफ०आई०आर० करा दी गई है । क्षेत्र पंचायत के अन्य वार्डों से निर्विरोध चुने गये सदस्यों के नामांकन आदि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्राम धरवासपुर में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा चक निर्माण में विलम्ब संबंधी शिकायती-पत्र**

60–इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम धरवासपुर, प० हवेली, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर के कृषकों का प्रत्यावेदन दिनांक 12-12-2000 के साथ संलग्न अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, उ० प्र० का पत्र संख्या–2193/2000 दिनांक 14-12-2000 जो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मिर्जापुर के न्यायिक भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक था, चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में मुख्य बिन्दु यह है कि उक्त ग्राम में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा चक निर्माण कार्य में विलम्ब किया गया है । प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, मिर्जापुर से कराई गई है । जिलाधिकारी ने यह बताया है कि ग्राम की प्रबन्धित चकबन्दी समिति द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य में

अपेक्षित सहयोग न दिये जाने के कारण विलम्ब हुआ । उक्त ग्राम के चक निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बरेली व तहसील नवाबगंज में कब्जा परिवर्तन के पश्चात् जारी एवं वितरित आकार-पत्र**

61–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बरेली में चकबन्दी कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या कृषकों को आकार-पत्र 26 व आकार-पत्र 35 जारी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या तहसील नवाबगंज के कृषकों को उपरोक्त आकार-पत्र वितरित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?-

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जिन ग्रामों में कब्जा परिवर्तन व धारा–27 पूर्ण हो चुका है उन ग्रामों में आकार पत्र-26 व आकार-पत्र–35 जारी कर दिये गये हैं ।

तहसील नवाबगंज के 13 ग्रामों में कब्जा परिवर्तन व धारा–27 पूर्ण हो चुका है उन ग्रामों में आकार-पत्र–26 व आकार-पत्र–35 वितरित कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बरेली के उप निदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् का ग्राम सुन्दरी देशनगर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

62–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् बरेली का पत्र दिनांक 19-12-2000 जो ग्राम सुन्दरी देशनगर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में था, का प्राक्कलन उप निदेशक (प्रशासन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?-

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मथुरा के ग्राम सांसा में पंचायत घर के निर्माण में अनियमितता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी**

63–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सांसा, जनपद मथुरा में पंचायत घर के निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितता की जांच कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम०/37833/मथुरा/2000, दिनांक 21-9-2000 प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) मथुरा से कराई गई । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचायत भवन निर्माण में पुरानी ईंट, पत्थर एवं किवाड़ के

प्रयोग किये जाने से पंचायत भवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिसके लिये तत्कालीन प्रधान एवं सचिव को नोटिस निर्गत की गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

**जनपद कन्नौज, विकास खण्ड छिबरामऊ की ग्राम माधौनगर में अवैध निर्माण का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण**

64–श्री विजय पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड छिबरामऊ जनपद कन्नौज की ग्राम सभा मिधौली के ग्राम माधौनगर में गाटा संख्या–509 पर गांव के किन-किन व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है ? क्या कराये गये अवैध निर्माण कार्य को हटवाने की कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवैध निर्माण कार्य न रोकने में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा संख्या–509 ग्राम माधौनगर मौजा मिधौली परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज का स्थल निरीक्षण किया गया गाटा संख्या–509 रकबा 1.15 एकड़ अभिलेख में अंकित है जिसमें से 0.90 एकड़ तालाब व 0.25 एकड़ आबादी श्रेणी 6 अंकित है तालाब के चारों तरफ आबादी बनी है तालाब के चारों ओर निवास कर रहे व्यक्तियों द्वारा चबूतरा बना कर एवं दीवाल खड़ी कर कब्जा कर लिया है, यह कब्जा धीरे-धीरे श्री सोवस सिंह प्रधान तत्कालीन द्वारा कराया गया है । कब्जा लगभग वर्ष 1994–1995 का है, इस समय श्री गंगाराम व देवदत्त पुत्रगण श्री प्रीतम सिंह व जानकी प्रसाद पुत्रगण श्याम लाल व महाराम व इतवारी पुत्रगण श्री सुमेर व सुखवासी पुत्र पन्टू निवासी माधौनगर मौजा मिधौली द्वारा कब्जा किया हुआ है । उस समय श्री भूप सिंह लेखपाल थे जो जनपद फर्रुखाबाद में स्थानान्तरित हो चुके हैं तथा एक वर्ष पूर्व सेवा से पृथक किये जा चुके हैं । रा०नि० श्री शम्भू दयाल तिवारी 4 वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं । कब्जेदारों को धारा–441 को नोटिस दे दिया गया तथा तहसीलदार छिबरामऊ के न्यायालय में 122 बी का वाद विचाराधीन है ।

**जनपद सीतापुर, तहसील लहरपुर के संग्रह अमीन श्री छोटे लाल पुत्र जोधे के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् समस्त देयों के भुगतान की जानकारी**

65–श्री रमेश राही–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के छोटे लाल पुत्र जोधे संग्रह अमीन तहसील लहरपुर से दिनांक 31 जनवरी, 1998 को सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो आज तक उन्हें पेंशन आदि का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार पेंशन आदि का भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अन्तिम पेंशन का निस्तारण परिषदादेश सं० 3813/पें०से०/सं०–27964/2000–2001 दिनांक 19-4-2001 द्वारा किया जा चुका है । शेष अन्य देयों का भुगतान भी किया जा चुका है ।

**जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला के ग्राम सोंडा का भूमि गाटा संख्या 1929 खातेदार श्री लालाराम व संरक्षिका के नाम दर्ज की जानकारी**

66–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुन्नी लाल पुत्र चेता (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम जगदीशपुर तहसील सण्डीला जनपद हरदोई की ग्राम सोंडा दर्खलौल परगना गोडवा स्थित खसरा नं० 1929 रकबा 13 बिस्वा 7 बिस्वांसी पर वहां के सवर्ण श्री महेश ग्राम मैलमपुर निवासी ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जे को हटा कर भूमि स्वामी को कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 1929 रकबा 13 बिस्वा 7 बिस्वांसी ग्राम सोंडा दखलौल की खतौनी वर्ष 1404 फ० से० 1409 फसली के खाता संख्या 433 पर खातेदार लालाराम नाबालिग आयु 13 वर्ष पुत्र मुन्नी लाल संरक्षिका श्रीमती जैराना माता स्वयं व श्रीमती जैराना बेवा मुन्नीलाल निवासी ग्राम जगदीशपुर तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ के नाम संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में अंकित है और अभिलिखित खातेदार काबिज हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बाराबंकी, विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत धौखरिया में सड़कों के किनारे नालियों के निर्माण की मांग**

67–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर अन्तर्गत ग्राम पंचायत धौखरिया में निर्मित सड़कों के किनारे नाली का निर्माण न किये जाने के कारण जल भराव बना रहता है ? यदि हां, तो निर्मित सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

समय सीमा निर्धारित नहीं है। ग्राम पंचायत निधि में उपलब्ध धनराशि से आवश्यकतानुसार निर्माण समिति के अनुमोदन से निर्माण कार्य कराने का दायित्व ग्राम पंचायतों में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मुरादाबाद की पराग फैक्ट्री दलपतपुर के घाटे को दूर करने की योजना**

68–श्री मेजर जगतपाल सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में पराग फैक्ट्री दलपतपुर भारी घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो सरकार घाटे को पूरा करने के लिए क्या कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

दुग्ध संघ, मुरादाबाद को आत्म निर्भर बनाने के लिये एक लघु कालीन तथा दूसरा दीर्घकालीन आपरेशन प्लान बनाये गये हैं । उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की योजना सेन्ट्रल प्लान स्कीम "सहकारिताओं को सहायता" के अन्तर्गत प्रस्ताव राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से बनाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री जय प्रकाश–

[2सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–129 के अन्तर्गत स्थनान्तरित ]

**जनपद मिर्जापुर तहसील व क्षेत्र पंचायत लालगंज में अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की मांग**

70–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील दिवस के अवसर पर दिनांक 7 सितम्बर, 1999 को क्षेत्र पंचायत लालगंज में क्षेत्र पंचायत निधि से कराये गये अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अधूरे कार्यों को पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद सीतापुर, तहसील लहरपुर के ग्राम पोखरा में आम रास्ते को खुलवाने की मांग**

71–श्री रमेश राही–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव तहसील लहरपुर के ग्राम पोखरा में क्या राजू पुत्र जगुनन्दन आदि ने पोखरा गांव के अन्दर आम रास्ता बन्द कर दिया है ? क्या सरकार उक्त रास्ता खुलवाये जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । ग्राम पोखरा विकास खण्ड हरगांव तहसील लहरपुर जिला सीतापुर के राजू पुत्र जगुनन्दन ने गांव के अन्दर आम रास्ते पर धूरा एवं पाती रखकर बन्द कर दिया है ।

ग्राम पोखरा उपरोक्त के पुरानी आबादी में स्थित आम रास्ते को दिनांक 16-3-2001 को खुलवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सीतापुर विकास खण्ड एलिया के ग्राम एलगवां की ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग**

72–श्री रमेश राही–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड एलिया की ग्राम पंचायत कमोलिया के ग्राम एलगवां की ग्राम पंचायत की भूमि गाटा संख्या–104 पर रामेश्वर सिंह पुत्र हरबक्श सिंह तथा रामकुमार पुत्र जगनू ने जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर भूमि को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम एलगंवा, परगना व जिला सीतापुर विकास खण्ड एलिया की भूमि गाटा सं० 104 क्षेत्रफल 0.356 हे० पर श्री रामेश्वर सिंह पुत्र हरिबक्श सिंह ने एक माह पूर्व अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे

तहसीलदार सीतापुर ने नायब तहसीलदार व पुलिस बल लेकर कब्जा हटवा दिया है । श्री राम कुमार पुत्र जगनू ने इस भूमि पर कब्जा नहीं किया था ।

जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करा दी गई है । भूमि खाली करा ली गई है । यह भूमि रास्ते के रूप में प्रयोग हो रही है ।

अनुपालन किया जा चुका है और कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

**जनपद हरदोई में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर प्रचलित जांच**

74–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जय प्रकाश, स०वि०स० का पत्र दिनांक 3-8-2000 तथा श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 5-8-2000 जो जनपद हरदोई में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

श्री जय प्रकाश, मा० सदस्य लोक सभा का पत्र दिनांक 3-8-2000 एवं श्री राजकुमार अग्रवाल मा० सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 5-8-2000 प्राप्त हुआ है ।

जांच प्रचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मथुरा के मै० फतेहचन्द्र लक्ष्मण प्रसाद, नवीन मण्डी स्थल सोंख रोड को आवंटित दुकान निरस्त फर्म का लाइसेंस बहाल करने विषयक मण्डी परिषद् के विचाराधीन प्रकरण**

75–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मै० फतेहचन्द्र लक्ष्मण प्रसाद–7-ए, नवीन मण्डी स्थल सोंख रोड, बाईपास, मथुरा को आवंटित दुकान को निरस्त करने व फर्म का लाइसेंस बहाल करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम०–/35830/ मथुरा/2000, दिनांक 21-7-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मै० फतेहचन्द्र लक्ष्मण प्रसाद द्वारा लाइसेंस बहाल करने आदि से समस्त विवादित प्रकरण के संबंध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–28577/2000 एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन

मण्डी अधिनियम 1964 की धारा–25 के अन्तर्गत अपील संख्या–3स/2000 निदेशक, मण्डी परिषद् के समक्ष विचाराधीन है ।

**जनपद मथुरा, ग्राम व पो० औरंगाबाद के श्री बसन्त लाल गुप्ता का वोटर लिस्ट में नाम न होने की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

76–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बसन्त लाल गुप्ता आदि ग्राम व पो०–औरंगाबाद जिला मथुरा के वोटरों की लिस्ट में नाम न होने की जांच कराकर कार्यवाही करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम०–/35829/मथुरा/2000, दिनांक 21-7-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन में चकबन्दी न कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग**

77–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम-मुखराई, ब्लाक तहसील जिला मथुरा में चकबन्दी न कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम०–/35928/मथुरा/2000, दिनांक 21-7-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम मुखराई ब्लाक, तहसील व जिला मथुरा में चकबन्दी न कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को/एम–35928/मथुरा/2000 दिनांक 21-7-2000 का नहीं अपितु विधायक कोष्ठक का पत्रांक 35828/मथुरा/2000 दिनांक 21-7-2000 प्राप्त हुआ है ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मेरठ, तहसील मवाना के ग्राम खानपुर बांगर में पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक आयुक्त मेरठ मण्डल के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी**

78–श्री परवेज हलीम खां–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ का पत्रांक 3360/दो/विविध/96-98, दिनांक 26-6-97 जो ग्राम खानपुर बांगर परगना किठौर तहसील मवाना में पट्टे की भूमि पर श्री मरगूब पुत्र रागिब अली को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उप जिलाधिकारी, मवाना, जनपद मेरठ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक कब्जा न दिलाने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त पत्र पर दिये गये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में तहसीलदार द्वारा पुलिस बल के सहयोग से प्रयास किया गया । मौके पर काबिज लोगों ने न्यायालय सिविल (जू०डि०) मवाना में वाद 39/2001 योजित

किया जिसमें न्यायालय द्वारा 19-3-2001 को प्रतिवादी को वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया गया है । पट्टा निरस्तीकरण के संबंध में जिलाधिकारी न्यायालय में वाद सं० 1025/01 विचाराधीन है । अतः फिलहाल किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

**जनपद आजमगढ़ के ब्लाक तरवा में भूमि सुधार निगम द्वारा नोनी ड्रेन पर प्रस्तावित पुल का प्रकरण**

79–श्री राम जग–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि सुधार निगम द्वारा मेहनगर एवं तरवा ब्लाक, जनपद आजमगढ़ में नोनी ड्रेन पर किन-किन स्थानों पर पुल निर्माण प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित स्थानों पर पुल का निर्माण कब तक कराया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा मेहनगर एवं तरवा ब्लाक, जनपद–आजमगढ़ में नोनी ड्रेन पर कोई पुल निर्माण प्रस्तावित नहीं है । इस ड्रेन पर ई०ई०सी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में केवल मृदा का कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मिर्जापुर, तहसील लालगंज के ग्राम पातुलकी का नाम "स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवमूर्ति नगर" रखने की मांग**

80–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सरकार जनपद मिर्जापुर में तहसील लालगंज के पातुलकी ग्राम जो स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय शिवमूर्ति दुबे की जन्म स्थली है, का नाम बदल कर शिवमूर्ति नगर करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि ग्राम के नाम परिवर्तन के लिये भारत सरकार ने अपने परिपत्र संख्या–130/53–पब्लिक दिनांक 11-9-1953 में स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि :–

1—जब तक कोई अपरिहार्य कारण न हो, नाम परिवर्तन न किये जायें ।

2—स्थानीय व्यक्ति, राष्ट्रीय नेता को इज्जत देने आदि के लिये नाम परिवर्तन न किये जायें । इसी कारण जिलाधिकारी मिर्जापुर ने पातुलकी का नाम बदलकर "शिवमूर्ति नगर" करने की संस्तुति नहीं की है । निर्धारित मानक की पूर्ति न होने की वजह से उक्त नाम परिवर्तन संभव नहीं है ।

**प्रदेश में प्रत्येक ग्राम को यूनिट मानकर आदर्श राजस्व ग्राम घोषित करने की योजना**

81–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम को एक यूनिट मानकर राजस्व प्रशासन के समस्त कार्यों को एक साथ पूर्ण करने हेतु आदर्श राजस्व ग्राम योजना कार्यान्वित की गयी है जिसके सम्बन्ध में आदेश संख्या–82(1)/1–161 जी/98, दिनांक 18 जून, 1998 निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत प्रदेश में कितने ग्रामों को उसका लाभ प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

आदर्श राजस्व ग्राम योजना के अन्तर्गत मार्च, 2001 तक तृतीय चरण की योजना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत माह फरवरी, 2001 तक 25123 लेखपाल हल्कों के सापेक्ष 18959 ग्रामों को आदर्श राजस्व ग्राम घोषित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मिर्जापुर विकास खण्ड लालगंज के क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव के मतपत्र व मतगणना में धांधली सम्बन्धी शिकायती-पत्र**

82–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज के क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड 10 तुलसी के प्रत्याशी श्री शशि भूषण दुबे (पत्रकार) का एक शिकायती-पत्र फैक्स दि० 26/27 जून, 2000 को पंचायत चुनाव आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र में आरोपित बिन्दुओं की जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सच है कि बी०डी०सी० वार्ड 10 तुलसी में कुल आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और सैकड़ों मतपत्र केवल सात चुनाव चिन्ह का प्रयुक्त किया गया है ? क्या मतपत्रों पर वार्ड संख्या न होने से मतगणना में व्यापक धांधली की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत बिन्दुओं के आधार पर पुनर्मतदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र सहित प्रदेश में मत्स्य पालन हेतु मछुआ समुदाय के लोगों को आवंटन योजना के ताल पोखरों के आवंटन की योजना**

83–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को आवंटन किये जाने की योजना के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कितने मछुआ परिवारों को मत्स्य पालने हेतु तालाब और पोखरों का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से 142 मछुआ समुदाय के परिवारों को मत्स्य पालन हेतु पट्टा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ में पुराना किला कैण्ट रोड में मन्दिर के बगल में शराब (बीयर) की दुकान के स्थानान्तरण का प्रकरण**

84–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या आबकारी मंत्री को यह जानकारी है कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के परिपत्र संख्या-0509-614/दस-97बी/लाइसेन्स-3/86-87, दिनांक 13 मार्च,1986 तथा आबकारी नियमावली के नियम 328(4) के प्राविधानों के विरुद्ध जनपद लखनऊ के पुराना किला, कैन्ट रोड, लखनऊ स्थित श्री राम जानकी मन्दिर के ठीक बगल 25 फिट के भीतर बीयर (शराब) की नई दुकान खोले जाने हेतु लाइसेन्स दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर के ठीक बगल में स्थित बियर (शराब) की नई दुकान को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गलत स्थान पर लाइसेन्स जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

पुराना किला, कैण्ट रोड, लखनऊ स्थित कथित रामजानकी मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर नहीं, अपितु वर्ष 1938 में निर्मित स्व० श्री गंगादीन, ठेकेदार के रिहायशी भवन सं०–12/20 में स्थित है। उक्त आवासीय भवन में 4 किरायेदार भी रहते हैं। बीयर की नई दुकान उक्त भवन के बिल्कुल सन्निकट न होकर लगभग 45 फीट की दूरी पर स्थित है, जो संगत आबकारी नियमों के विपरीत नहीं है।

प्रश्नगत बीयर की दुकान की स्थिति संगत आबकारी नियमों के विपरीत नहीं है। अतः दुकान स्थानान्तरण का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

85–श्री कृपा शंकर सिंह–

[ दिनांक 1-5-2001 को अता० प्र० सं०–180 द्वारा उत्तरित ]

**जनपद गोण्डा क्षेत्र मनकापुर में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग**

86–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में कुल कितने नये पशु चिकित्सालय स्थापित किये गये ? उनमे से मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में कितने नये पशु चिकित्सालय खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

कोई नहीं।

कोई नहीं।

जिला योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में कोई नया पशु चिकित्सालय खोले जाने हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्ताव/धनराशि स्वीकृत नहीं किया गया है।

**जनपद मथुरा में अग्निकाण्ड से हुई क्षति/सहायता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग**

87–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सौदान सिंह, निवासी चुरमुरा गढ़ी थाना फरह, जिला मथुरा व अन्य की अग्निकाण्ड में हुई क्षति के कारण सहायता करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक -सी०एम०/वि०को०/एम-/34280/मथुरा/2000, दिनांक 24-5-2000 प्रमुख सचिव राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जिलाधिकारी मथुरा की जांच आख्या के अनुसार प्रकरण दैवी आपदा के अन्तर्गत न आने के कारण प्रभावितों को कोई राहत सहायता प्रदान नहीं की गयी।

**जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर की कतिपय ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

88–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत करनपुर, महरागौरा बभनी, डठौवा, मेहनिया फुलवापुर की ग्राम सभा की भूमि पर बभनान शुगर मिल द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि खाली कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम पंचायत करनपुर में ग्राम सभा की भूमि रास्ता के गाटा संख्या–326 मि० रकबा 0.05 एकड़ पर शुगर मिल का अनधिकृत रूप से कब्जा है। ग्राम सभा बभनीखास, महरागौरा, ढढौवा मेहनिया फुलवापुर (फूलपुर) में ग्राम सभा की भूमि पर बभनान शुगरमिल का कोई कब्जा नहीं है।

अवैध अतिक्रमणी बभनान सुगर मिल के विरुद्ध जेड० ए० एल० आर० एक्ट की धारा–122 बी के अन्तर्गत गाटा संख्या–326 मि० रकबा 0.05 एकड़ की बेदखली हेतु वाद संख्या–254 न्यायालय तहसीलदार मनकापुर में संचालित है।

**जनपद हरदोई तहसील सण्डीला के ग्राम ककराली में आबकारी मानकों के अनुरूप संचालित शराब ठेका**

89–श्री राम जग–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला स्थित ग्राम ककराली में भुल्लू पुत्र मुन्ना लाल द्वारा नियम विरुद्ध धार्मिक स्थल (मन्दिर) एवं प्राइमरी पाठशाला के बिल्कुल निकट शराब ठेका गत कई वर्षों से चलाया जा रहा है जिससे नागरिकों एवं बच्चों पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त गांववासियों का प्रार्थना-पत्र श्री शिव सिंह चक, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ अक्टूबर, 2000 के अन्तिम सप्ताह अथवा नवम्बर, 2000 के प्रथम सप्ताह में मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जांच से यह ज्ञात हुआ है कि ग्राम ककराली, तहसील सण्डीला जनपद हरदोई में कोई प्रमुख धार्मिक स्थल नहीं है। इस ग्राम में देशी शराब की दुकान प्राइमरी स्कूल से एक किमी० दूर स्थित है।

जी हां।

प्रश्नगत दुकान आबकारी मानकों के अनुरूप अनुमोदित परिसर में संचालित की जा रही है। अतएव किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

90–श्री राजपाल सिंह–

[दिनांक 2-5-2001 को अता० प्र० सं०–177 द्वारा उत्तरित]

**जनपद कन्नौज में मण्डी समितियों द्वारा गत वर्ष कराये गये विकास कार्यों की जांच की मांग**

91–श्री राजपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज में कितनी कृषि मण्डी हैं तथा उन मण्डियों का चार्ज किस अधिकारी के अन्तर्गत आता है ? वर्ष 2000-2001 में उक्त जनपद में मण्डी परिषद् द्वारा कितनी धनराशि से कितना विकास कार्य कराया गया है ? क्या सम्पन्न कराये गये कार्यों की स्थलीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद कन्नौज में दो मण्डी समितियां विनियमित है । इन मण्डियों का चार्ज जिलाधिकारी कन्नौज के अन्तर्गत प्रशासक की हैसियत से आता है ।

वर्ष 2000-2001 में रु० 83.81 लाख के विकास कार्य कराये गये हैं । कराये गये विकास कार्यों की सूची संलग्न है ।

कार्यों की जांच नियमानुसार करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 141 पर ।)

**जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र शोहरतगढ़ में विगत वर्ष आयी बाढ़ हेतु स्वीकृत धनराशि के आवंटन का विवरण**

92–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 से अब तक प्रश्नकर्ता के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शौहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर में आयी बाढ़ में शासन द्वारा राहत हेतु कितनी अनुदान राशि स्वीकृत हुई थी ? उसमें से अनुदान की कितनी धनराशि का वितरण किया गया ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद सिद्धार्थ नगर को दैवी आपदा राहत निधि से वित्तीय वर्ष 98-99 में रु० 7,41,15,000/- वर्ष 99-2000 में रु० 5,10,45,360/- एवं वर्ष 2000-2001 में रु० 1,27,17,500/- की धनराशि आवंटित की गयी । विधान सभावार धनराशि आवंटित नहीं की जाती हैं ।

जी हां ।

वर्ष 1998-99 में विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के कुल 173 ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को रु० 2,57,50,431.50 तथा वर्ष 2000 की बाढ़ से कुल 133 ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को रु० 29,35,583/- की राहत सहायता का वितरण किया गया ।

**जनपद हरदोई की तहसील/विकास खण्ड सण्डीला से गदौरा तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग**

93–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील व विकास खण्ड सण्डीला स्थित सण्डीला से गदौरा तक जाने वाला मार्ग गत 10 वर्ष पूर्व मण्डी परिषद्, डामर युक्त निर्मित कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर मरम्मत कार्य न होने के कारण मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और आवागमन में नागरिकों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य कराया जायेगा ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

10 वर्ष पूर्व नहीं बल्कि 6 वर्ष पूर्व निर्मित कराया गया था।

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मण्डी समिति सण्डीला से नियमानुसार प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा, तहसील सदर के रजिस्ट्रार कानूनगो के भ्रष्ट आचरण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग**

94–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-1-2000 जो जनपद एटा की तहसील सदर में कार्यरत जमशेद आलम रजिस्ट्रार कानूनगो के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी बिन्दुवार जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जिलाधिकारी, एटा से जांच करायी गयी। जांच में शिकायतें निराधार पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के समस्त ग्राम पंचायतों में युवक मंगल दल का गठन व उसमें कार्यरत अधिकारियों के विवरण की जानकारी**

95–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के युवक एवं युवतियों को व्यक्तित्व विकास तथा उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से गठित किये जाने वाले युवक मंगल दल का गठन समस्त ग्राम पंचायतों में किया गया है ? यदि हां, तो जनपद के किन-किन विकास खण्डों में कौन-कौन क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि युवक मंगल दल का गठन केवल कागजों में दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां।

1–श्री विजय शंकर सिंह, बी० ओ०, माल एवं काकोरी।

2–श्री अरुणवीर सक्सेना, बी० ओ०, सरोजनीनगर एवं मलिहाबाद।

3–श्री विपिन कुमार तिवारी, बी० ओ०, गोसाईगंज।

4–श्री श्रीधर गुप्ता, बी० ओ०, बक्शी का तालाब।

5–श्री मुन्नू लाल रमन, बी० ओ०, मोहनलालगंज।

6–श्री राजीव कुमार खरे, बी० ओ०, चिनहट।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

96, 97, 98, 99 व 100–श्री उबैदुर्रहमान–

[ दिनांक 1-5-2001 को अता० प्र० सं०–181, 182, 183, 184 व 185 द्वारा उत्तरित ]

**जनपद आजमगढ़ तहसील बूढ़नपुर के कतिपय ग्रामों में अनधिकृत रूप से अवरुद्ध किये गये चक मार्ग को खाली कराने की मांग**

101–श्री उदयराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–गजन्धर, पट्टी अजगरा (हटिया), तहसील बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ के अनाधिकृत रूप से अवरुद्ध किये गये चक मार्ग संख्या–501 एवं 549 को मुक्त कराने विषयक पत्र संख्या–716/रा०म०/श्रम/2000, दिनांक 24-3-2000, पत्र संख्या–273/मंत्री खेलकूद एवं युवा कल्याण/2000, दिनांक 24-3-2000 राजस्व मंत्री का पत्र संख्या–1603, दिनांक 4-4-2000 तथा मा० मुख्य मंत्री को जनता दर्शन में दिया गया पत्र दिनांक 12-6-2000 जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सन्दर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक मार्ग संख्या–501 पर अवैध रूप से रखी गयी हरीराम पुत्र शिवरती की मण्डई हटवाकर चकमार्ग खाली करा दिया गया तथा चकमार्ग सं०–549 का सीमांकन किया गया । इस चकमार्ग में स्थित मोहित सोहित द्वारा अवैध रूप से लगाये गये केला, आम, सफेदा आदि के छोटे पेड़ों को कटवाकर चकमार्ग खाली कराया गया । इसी चकमार्ग के पूरब के कास्तकारों द्वारा अवैध रूप से बोयी गयी गेहूं की फसल को साफ कराकर चकमार्ग के दोनों तरफ का मेड़ बनवा दिया गया । चकमार्ग के पूरब के चकदारों द्वारा पूर्वी मेड़ पुनः तोड़ कर अपने चक में मिला लिया गया तथा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया जिसके लिये उनके विरुद्ध लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० के तहत थाना अतरौलिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17–3-2000 को दर्ज करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में कृषकों की समस्याओं के त्वरित निदान की राहत देने हेतु तहसील दिवस आयोजन में अनुपस्थित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी**

102–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जन सामान्य एवं कृषकों की समस्याओं के त्वरित निदान करके उनको राहत देने के लिए तहसील दिवस आयोजित किये जाने के लिए सरकार ने आदेश निर्गत किये थे ? क्या सम्बन्धित अधिकांश अधिकारीगण निश्चित दिवस पर वहां नहीं पहुंचते हैं जिससे जन समस्याओं के निदान में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस हेतु कोई ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सामान्यतया अधिकारी उपस्थित होते हैं । यदि कोई अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के नवसृजित जनपदों/मण्डलों में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि**

103–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 में नवसृजित 15 जनपदों तथा 5 मण्डलों को बनाये रखने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उनके लिए वांछित व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के साथ राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां । सभी मण्डलों एवं जनपदों में मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी की नियुक्ति एवं उनके लिये आवश्यक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी है और शासन अपने संसाधनों के अनुसार शेष आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों पर विचार कर रहा है । भवन निर्माण के लिये एक मण्डल (चित्रकूट) एवं दो जनपद (गौतमबुद्धनगर एवं हाथरस) के लिये आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मथुरा, तहसील छाता की ग्राम पंचायत उमरायां को पृथक गांव घोषित करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी**

104–श्री अजय कुमार पोइया––

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत उमरायां, तहसील छाता, मथुरा को पृथक रूप से गांव पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–33897/मथुरा/2000, दिनांक 13-5-2000, जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र में ग्राम उमरायां एवं खानपुर को पृथक-पृथक ग्राम पंचायत बनाने की अपेक्षा की गई है, जिसके लिये उन्होंने उमरायां ग्राम को ग्राम पंचायत की वर्तमान आबादी 2500 से ज्यादा बताते हुए इसके पात्रता रखने का उल्लेख किया है और पृथक ग्राम पंचायत घोषित करने की अपेक्षा की गई है । जांच के माध्यम से तथ्यों का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि 1991 की जनगणना के अनुसार खानपुर की जनसंख्या 952 तथा उमरायां की आबादी 1048 है । इस प्रकार खानपुर की जनसंख्या मानक से कम होने के कारण उसे समीप की ग्राम पंचायत उमरायां में मिलाया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियत समिति ने आपत्ति को निरस्त किया है, जो उचित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ग्राम निजामुद्दीनपुर पूरे कोंदा के श्री ईश्वरदीन की भूमि का जालसाजी कर बैनामा कराने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

105–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-1-2001 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो श्री ईश्वरदीन निवासी ग्राम निजामुद्दीनपुर पूरे कोंदा, तहसील–मिल्कीपुर, जनपद–फैजाबाद की भूमि को श्रीमती करुणा देवी, निवासी ग्राम उपाध्यायपुर (चरकवा) परगना–पश्चिमराठ, तहसील–मिल्कीपुर,

जिला–फैजाबाद द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी करके बैनामा करा लिए जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे तथा दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जांच में यह पाया गया कि चकबन्दी अधिकारी हरिंग्टनगंज के न्यायालय के वाद सं० 3367/856 में पारित आदेश दिनांक 6-11-95 द्वारा अभयराजी बेवा प्रभु को 1/3 भाग का आदेश हुआ था जिसका बैनामा दिनांक 19-8-2000 को श्रीमती करुणा देवी के पक्ष में किया गया है जिसके नामान्तरण का वाद धारा–12 के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी, हरिंग्टनगंज के न्यायालय में विचाराधीन है । इस वाद में खाते के सहखातेदारान मनीराम आदि द्वारा प्रतिवाद दाखिल किया गया है । प्रश्नगत आराजी पर हृदयराम, मनीराम पुत्रगण बेंचू का कब्जा है . मनीराम आदि द्वारा चकबन्दी अधिकारी, हरिंग्टनगंज के उक्त निर्णय दिनांक 16-11-95 के विरुद्ध पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है । वाद न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चकब ी न्यायालय में विचाराधीन है । ऐसी दशा में जब तक न्यायालय में विचाराधीन वाद का अन्तिम निस्तारण नहीं हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना या उसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद, थाना–खण्डासा के ग्राम टडवा के निवासियों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर जबरन कब्जा**

106–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के निवासीगण ग्राम–टडवा, थाना–खण्डासा, जनपद–फैजाबाद का पत्र दिनांक 4-8-99 एवं 5-10-2000 मण्डलायुक्त, फैजाबाद जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुए हैं जो उनके कब्रिस्तान पर जबरन बनाये जा रहे मकान को रोकने के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या कब्रिस्तान की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को हटवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री अब्दुल जब्बार आदि निवासीगण टडवा की शिकायत पर जांच कराकर कब्रिस्तान के खाते में अंकित गाटा सं०–93 रकबा 1 बीघा में श्री काशीराम पाण्डेय द्वारा पुनः किये गये अवैध कब्जे में पक्के बने कमरे को छोड़कर, शेष अवैध कब्जा हटवा दिया गया है । पक्के निर्माण को हटाने के लिये बेदखली का वाद तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री काशी राम पाण्डेय द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाया गया था । पुनः अवैध निर्माण कर लिया गया, जिसकी बेदखली का वाद तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मथुरा के छोटे काश्तकारों के उत्पीड़न की जांच**

107–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के छोटे काश्तकारों का उत्पीड़न व पूरा रकबा न दिये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–31976/मथुरा/2000, दिनांक 10-3-2000, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर के ग्राम कुन्दा भैरोपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा**

108–श्री राम औतार मिश्रा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुन्दा भैरोपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में चरागाह, चकरोड, बंजर, आबादी आदि ग्राम समाज की भूमि पर किन-किन लोगों के अवैध कब्जे हैं ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–कुन्दा भैरोपुर में ग्राम समाज के समस्त भूखण्डों की स्थलीय जांच क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा कराई गई ।

गाटा सं०–07 रकबा 2-516 हेक्टेयर चरागाह खाते में अंकित है, जिसमें से 0-2-8 पर श्री राम अवध सुत रामसुन्दर, राम नरायन, जैसराज, सुतगण कन्हई, इन्द्रदेव सुत बंशराज, बाबूराम सुत जगई, रामअचल सुत रामकिशोर, रामराज सुत लौटू, राजबहादुर सुत होंसिला प्रसाद नि०–ग्राम का अवैध कब्जा पाया गया जो स्थल पर तत्काल कार्यवाही करके हटवा दिया गया ।

इसके अतिरिक्त राम अकबाल सुत बासदेव कृष्णाचारी सुत शम्भू, ब्रह्मादयाल सुत पटेश्वरी, भगौतीदीन, देवीदीन सुतगण ओरी, जैसराज व रामनरायन सुतगण कन्हई, इन्द्रदेव सुत बंशराज, अच्छेलाल सुत जयश्री, रामभजन सुत पयाग, सूर्यनाथ सुत छब्बू, राम अछैबर सुत रामभरोस, राम अकबाल सुत बासदेव मंगल सुत पयाग, संतराम सुत जैतून, राजाराम सुत त्रिभुवन, कृष्ण कुमार सुत पदेश्वर विनय कुमार सुत शिव बक्श, होंसिला सुत रामलौटू, रामलाल सुत सीताराम, बृजमोहन सुत बालादीन, बेचन सुत लोकई, नरेन्द्र बहादुर सुत त्रिभुवन के पुराने मकान बने हैं । मकान स्वामियों द्वारा अपने स्वत्व के संबंध में श्रीमान मुंसिफ उत्तरी सुल्तानपुर के न्यायालय में वाद सं०–18/87 रामदुलार आदि बनाम–भू० प्र० समिति का वाद योजित किया है । माननीय न्यायालय स्थगन आदेश दिनांक 6-1-92 द्वारा विवादित निर्माण को नष्ट करने से प्रतिवादी गण को मना किया गया था । वर्तमान में उक्त स्थगन आदेश प्रभावी न होने के कारण नियमानुसार ज० वि० अधि० की धारा 122–बी बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का वाद अतिक्रमणी व्यक्तियों के विरुद्ध योजित कर दिया गया है ।

**जनपद सुल्तानपुर, विकास खण्ड लम्भुआ के ग्राम बेलाही में भूमि एवं तालाब का आवंटन**

109–श्री सूर्यभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड लम्भुआ के अन्तर्गत ग्राम बेलाही में चकबन्दी के दौरान पंचायत भवन (गाटा सं० 528) खलिहान (गाटा सं० 28) हड़वारा (गाटा सं० 72) क्रीड़ास्थल, होलिका दहन के लिए आवंटित भूमि एवं तालाब सं०–326, 391, 632, 722 एवं 488 को पूर्व प्रधान द्वारा स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पट्टा आवंटित किया गया है ?

यदि हां, तो क्या उक्त पट्टे निरस्त करके पूर्व ग्राम प्रधान व लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि व तालाब को पूर्ववत् दर्ज कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जांच कराई जा रही है ।

जांच परिणाम आने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

**प्रदेश में उप आबकारी निरीक्षण परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी द्वारा पद भार न ग्रहण करने से रिक्त पद पर प्रतीक्षा सूची से की गयी नियुक्ति का प्रकरण**

110–श्री राम सेवक सिंह पटेल–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा में दिनांक 23-07-1999 को नियम 301 के अन्तर्गत मा० सदस्य लालमणि प्रसाद द्वारा दी गयी सूचना पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा 1990 में सभी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पद्भार ग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप गोपनीय प्रतीक्षा-सूची निष्प्रभावी हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या तत्पश्चात एक अभ्यर्थी के त्याग-पत्र देने के उपरान्त उपलब्ध हुई एक रिक्ति के प्रतीक्षा सूची से एक अभ्यर्थी की नियुक्ति कर भरा जाना जांच में आये तथ्यों के प्रकाश में पूर्णतः अनियमित था ? यदि हां, तो दोषी नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त कर क्या विधिक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पद भार ग्रहण कर लेने के उपरान्त प्रतीक्षा सूची से एक अभ्यर्थी की अनियमित नियुक्ति किये जाने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त (कार्मिक) दिनांक 31-12-94 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं । अतएव उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

जी हां ।

चूंकि उत्तरदायी अधिकारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर दिनांक 31-12-94 को सेवानिवृत्त हो गये । अतः उक्त अनियमितता के लिए उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना संभव नहीं पाया गया ।

**जनपद अलीगढ़ में उप संचालक चकबन्दी के नियुक्ति का प्रकरण**

111–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में उप संचालक (चकबन्दी) का पद कब से रिक्त है ? उप संचालक चकबन्दी की नियुक्ति वहां कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद अलीगढ़ में उप संचालक चकबन्दी का पद वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिये आवंटित न होने के कारण तैनाती नहीं की गयी । इस जनपद का उप संचालक चकबन्दी स्तर का कार्य देखने के लिये उप संचालक चकबन्दी बुलन्दशहर को अधिकृत किया गया है ।

पद आवंटित न होने के कारण तैनाती का प्रश्न नहीं उठता ।

112–श्री अजय कुमार पोइया–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं०–55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद संत कबीर नगर, विकास खण्ड नाथ नगर की ग्राम सभा गोन्दौरा की बैठक में गत वर्ष स्वीकृत योजनाएं**

113–श्री राम शंकर पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्तकबीर नगर विकास खण्ड नाथ नगर के अन्तर्गत ग्राम सभा गोन्दौरा की बैठक में पारित कौन-कौन सी कार्य योजनायें स्वीकृति हेतु डी०पी०आर०ओ० सन्तकबीर नगर को वर्ष 2000-2001 में प्राप्त हुई है ? क्या उक्त कार्य योजनाओं की स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली के रजिस्ट्रार कानूनगो का स्थानान्तरण**

114–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके आदेश संख्या–6190/14-12-2000, 6535/वी०आईपी०/4-1-2001 एवं 142/ वी०आई०पी०/18-1-2001 जो जनपद फैजाबाद की तहसील–रूदौली में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो का स्थानान्तरण अन्यत्र जिले में करने तथा उनके विरुद्ध लगाये आरोपों की जांच विषयक था, सचिव राजस्व परिषद्, जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री प्रह्लाद मिश्र, रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील रुदौली को जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-2-2001 के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115 व 116–श्री उबैदुर्रहमान–

[ दिनांक 1-5-2001 को अता० प्र० सं०–186 व 187 द्वारा उत्तरित ]

**जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में भूमि संरक्षण इकाई राष्ट्रीय जलागम द्वारा विगत कई वर्षों में कराये गये कार्यों की जांच को पूर्ण करने का निर्देश**

117–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक के पत्रांक सं०-सी० एम०/वि०को०/एस०/39521/ गोण्डा/2000 दिनांक 18-11-2000 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है जो उतरौला विधान सभा क्षेत्र जनपद बलरामपुर में भूमि संरक्षण इकाई राष्ट्रीय जलागम द्वारा वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कराये गये निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप न कराये जाने की जांच टी०ए०सी० द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच प्राविधिक सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 10-4-2001 से 13-4-2001 के मध्य की गयी । शिकायतकर्ता मा० विधायक द्वारा जांच पर संदेह व्यक्त करते हुए उनके समक्ष जांच कराने हेतु दिनांक 12-4-2001 को लिखा गया है । शासन स्तर से मा० विधायक से शिकायती-पत्र में इंगित बिन्दुओं पर सम्पर्क करके अग्रेतर जांच सम्पादित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

118–श्री उबैदुर्रहमान–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

119–श्री उबैदुर्रहमान–

[ दिनांक 1-5-2001 को अता० प्र० सं०–189 द्वारा उत्तरित ]

120–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

**जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम प्रधान सैदपुर द्वारा जनपद उन्नाव व फतेहपुर के भूमि सीमांकन विषयक प्रमुख सचिव को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

121–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13-8-97, जो ग्राम प्रधान सैदपुर, विकास खण्ड सुमेरपुर जनपद उन्नाव व फतेहपुर की जमीन के सीमांकन के संबंध में था और जो उनके कार्यालय के पत्र संख्या 2637, दिनांक 14-8-97 द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद शाहजहांपुर की पशु डिस्पेंसरी बरुआ (धीरई) के बन्द रहने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

122–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-12-1996 जो पशु डिस्पेंसरी बरूआ (धीरई) पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा डिस्पेंसरी बन्द रहने की शिकायत के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

प्रश्नकर्ता का प्रश्न में उल्लेखित आशय का दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है ।

शिकायती-पत्र की जांच उप निदेशक, बरेली के माध्यम से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा की गयी । जांचोपरान्त उक्त डिस्पेन्सरी पर कार्यरत कर्मचारी श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला, पशुधन प्रसार अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद इलाहाबाद, तहसील फूलपुर के कतिपय ग्रामों में चक परिवर्तन के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

123–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर अन्तर्गत मौजा एखलासपुर एवं इब्राहिमपुर में चक परिवर्तन का कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील–फूलपुर, जनपद–इलाहाबाद के ग्राम–एखलासपुर में दि० 15-5-93 व ग्राम–इब्राहिमपुर में दि० 25-7-94 को कब्जा परिवर्तन का कार्य किया गया था, किन्तु जांच कराने पर यह पाया गया कि सभी चकदार कब्जा परिवर्तन के अनुसार काबिज न रहकर अपने-अपने पुराने नम्बरों पर ही काबिज चले आ रहे हैं ।

उपरोक्त दोनों ग्रामों में रबी की फसल की कटाई के बाद पुनः सीमांकन नये नम्बरों के अनुसार कराने की कार्यवाही की जायेगी एवं पूर्व में कब्जा परिवर्तन स्थल पर न कराने के निमित्त जांच कर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"––

[ दिनांक 22-3-2001 को अता० प्र० सं०–157 द्वारा उत्तरित ]

**जनपद शाहजहांपुर में मत्स्य विभाग द्वारा की गयी अनियमितता की जांच**

125–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पांचवे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच के समय किन-किन कृषकों से साक्ष्य लिये गये ? क्या जांच में प्रश्नकर्ता को भी साक्ष्य हेतु बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पत्र की जांच फिर से किसी अन्य उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

प्रश्नगत जांच के समय सर्वश्री जलालुद्दीन, रोशन लाल, बालक राम, अस्मत उल्लाह कृषकों से साक्ष्य लिये गये ।

प्रश्नकर्ता को नहीं बुलाया गया, बल्कि प्रश्नगत शिकायत की जांच के क्रम में प्रश्नकर्ता मा० विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" एवं उनके प्रतिनिधि से सम्पर्क कर वार्ता की गई । उपर्युक्त शिकायत के संबंध में मा० विधायक जी के प्रतिनिधि ने अपने पत्र दिनांक 16-2-2001 द्वारा अवगत कराया है कि अब उपरोक्त शिकायत में जांच की आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकरण में अब किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्नकर्ता मा० विधायक जी के प्रतिनिधि ने लिखित रूप में सूचित किया है कि अब प्रकरण में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

126–श्री अजय कुमार पोइया–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद बलरामपुर में पंचायती राज विभाग से मार्ग निर्माण हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी**

127–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में वर्ष 1998-99 में शासन द्वारा परसपुर गनेशपुर मार्ग जिसकी लम्बाई–2 कि०मी० पर ईंट सोलिंग लगाने के लिये पंचायती राज विभाग से लगभग 7.40 लाख रुपया आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो क्या वह कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर मार्ग से खड़ंजा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि**

128–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में वर्ष 1998-99 में शासन द्वारा रमवापुर–विश्रामपुर मार्ग जिसकी लम्बाई–2 कि०मी० है, पर ईंट सोलिंग लगाने के लिये पंचायती राज विभाग से लगभग 7.40 लाख रुपया आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं । शासनादेश दिनांक 24-3-99 द्वारा बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग से विश्रामपुर वाया रमवापुर 2 कि०मी० खड़ंजा हेतु रुपये 7.00 लाख आवंटित हुआ था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद व तहसील फैजाबाद के ग्राम द्वारिकापुर की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाने की मांग**

129–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम द्वारिकापुर तहसील व जिला फैजाबाद की सार्वजनिक भूमि गाटा संख्या 225 एवं 266 पर दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सार्वजनिक भूमि को मुक्त कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम द्वारिकापुर, परगना अमींसन तहसील सदर, जनपद फैजाबाद की भूमि संख्या 225 खतौनी में खातेदार अवतार पुत्र रामसमुझ के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है ।

ग्राम द्वारिकापुर परगना अमींसन तहसील सदर की गाटा संख्या–225 व 266 नवीनपर्तो के खाते में अंकित है । उप जिलाधिकारी सदर के आदेश दिनांक 15-7-97 के द्वारा 122 बी(4एफ) का लाभ अनुसूचित जाति के राम अंजोर आदि को दिया गया था, जो अपर आयुक्त (प्र०) के आदेश दिनांक 05-05-2000 के परिप्रेक्ष्य में पुनः गांव सभा के खाते में कराकर अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर गांव सभा को कब्जा दिला दिया गया है । प्रश्नगत भूमि से संबंधित आदेश नयायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित किये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

**उत्तर प्रदेश तराई बीज विकास निगम द्वारा विगत वर्ष कृषकों से क्रय किये गये धान के बीज के भुगतान की जानकारी**

130–श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० तराई बीज विकास निगम द्वारा प्रदेश के बीज उत्पादक कृषकों से धान का बीज वित्तीय वर्ष 2000-2001 में क्रय किया गया है ? यदि हां, तो उक्त बीज के मूल्य का भुगतान कृषकों को कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

लगभग 95 प्रतिशत भुगतान हो गया है, शेष 5 प्रतिशत भुगतान की व्यवस्था यथाशीघ्र किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर में सीजनल संग्रह अमीनों को मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्त करने की कार्यवाही**

131–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में सरकारी सेवा से मुक्त किये गये सीजनल संग्रह अमीनों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-1-2000 के अनुसार नियुक्तियां दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-2-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बरेली, राजकीय जिला पशु चिकित्सालय में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन**

132–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय जिला पशु चिकित्सालय, बरेली में तरल नत्रजन संयंत्र स्थापित है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त संयंत्र से तरल उत्पादित की जा रही है ? यदि हां, तो प्रति माह कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी खराबी के कारण ।

**जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज रोड पर हथियापुर के पास उपमण्डी स्थल बनाने का प्रकरण**

133–श्री नरेन्द्र सिंह यादव तथा श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज रोड पर हथियापुर के पास उपमण्डी स्थल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज रोड पर हथियापुर के पास उपमण्डी स्थल बनाये जाने का प्रस्ताव संबंधित मण्डी समिति से प्राप्त न होने के कारण ।

**जनपद शाहजहांपुर के मत्स्य विकास निगम की शाखा खुदार द्वारा मछलियों के बच्चे कम किये जाने की जांच का प्रकरण**

134–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–24 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच सहायक निदेशक मत्स्य शाहजहांपुर से करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच के समय प्रश्नकर्ता से भी साक्ष्य लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त जांच किसी अन्य से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता को नहीं बुलाया गया, बल्कि प्रश्नगत शिकायत की जांच के क्रम में प्रश्नकर्ता एवं उनके प्रतिनिधि से सम्पर्क कर वार्ता की गई । उपर्युक्त शिकायत के संबंध में मा० विधायक जी के प्रतिनिधि ने अपने पत्र दिनांक 16-2-2001 द्वारा अवगत कराया है कि अब उपरोक्त शिकायत में जांच की आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकरण में अब किसी अन्य अधिकारी से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्नकर्ता के प्रतिनिधि ने लिखित रूप में सूचित किया है कि अब प्रकरण में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

**जनपद शाहजहांपुर में मछली पालकों को मत्स्य दिये जाने में की गयी अनियमितताओं की जांच का प्रकरण**

135–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–137 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कब और कहां करायी गयी ? क्या जांच के समय प्रश्नकर्ता से भी साक्ष्य लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

प्रश्नगत शिकायत की जांच सहायक निदेशक, मत्स्य, शाहजहांपुर द्वारा जनपद शाहजहांपुर के खुटार हैचरी पर माह फरवरी, 2000 में कराई गई ।

उक्त जांच अधिकारी द्वारा प्रश्नकर्ता से सम्पर्क स्थापित कर वार्ता की गई और मा० विधायक जी के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 16-2-2001 को लिखित रूप में अवगत कराया गया है कि अब उक्त शिकायत में जांच की आवश्यकता नहीं है ।

**जनपद सुल्तानपुर, तहसील लम्भुआ की ग्राम सभा बेलाही में चकरोड प्रकरण पर नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही**

136–श्री जोखू लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर, तहसील–लम्भुआ के अन्तर्गत ग्राम सभा बेलाही में चकबन्दी के अभिलेख एवं नक्शे में दर्ज चकरोड संख्या–497 को मौके पर जोत कर कुछ लोगों ने अपने चकों में मिला लिया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त चकरोड को पुनः सुरक्षित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । नक्शा दुरुस्ती के बाद मिला लिया गया था । पुनः उसे नाप जोख करके बनवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । सुरक्षित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बाराबंकी, तहसील नवाबगंज के ग्राम शुकलाई में धारा–12 की कार्यवाही**

137–श्री कमला प्रसाद रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 जनवरी, 2001 को ग्राम शुकलाई, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में चकबन्दी अधिनियम की धारा–52 की कार्यवाही किये जाने हेतु चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आदेश दिये गये है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बाराबंकी, परगना व तहसील नवाबगंज के ग्राम शुकलाई के चकों की पैमाइश कराकर कब्जा परिवर्तन कराने संबंधी कार्यवाही**

138–श्री कमला प्रसाद रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरवर अली खां, विधायक का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2000 जो ग्राम शुकलाई, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के चकों की पैमाइश कराकर कब्जा परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में था, उप संचालक चकबन्दी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम शुकलाई परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के कृषकों से बगैर उनके चकों की पैमाइश कराये हुये चकबन्दी खर्चा वसूला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 16-12-2000 का पत्र नहीं बल्कि दिनांक 17-12-2000 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में प्रश्नगत ग्राम को चकबन्दी क्रियाओं से पृथक करने हेतु उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–6(1) की विज्ञप्ति जारी करने की संस्तुति की गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद लखनऊ में वरिष्ठतानुसार निजी सचिव की तैनाती की मांग**

139–डा० कौशल किशोर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व परिषद् में अध्यक्ष तथा सदस्य–2 के निजी सचिव में वरिष्ठता की अनदेखी करके निजी सचिवों की जगह कनिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की तैनाती की गई है और निजी सचिवों को कनिष्ठ अधिकारियों के स्टाफ में तैनात किया गया है ? यदि हां, तो अध्यक्ष तथा सदस्य–2 के निजी स्टाफ में निजी सचिवों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रारम्भ में मा० अध्यक्ष एवं मा० सदस्य–2 के कैम्प में निजी सचिवों के साथ-साथ वैयक्तिक सहायकों की तैनाती की गई थी, कालान्तर में उक्त कैम्पों के निजी सचिव सेवानिवृत्त हो गये, फलस्वरूप उक्त वैयक्तिक सहायकों के निजी स्टाफ के रूप में लगातार कार्यरत रहते हुये, अर्जित अनुभव एवं कार्य-कुशलता पर, संबंधित अधिकारियों की संस्तुष्टि के कारण, यथा अपेक्षित तैनाती नहीं हो सकी।

वर्तमान में मा० सदस्य का एक पद रिक्त होने एवं दूसरे पदधारक(मा० सदस्य) के आसन्न सेवानिवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुये निजी सचिवों की तैनाती में फिलहाल ऐसी कठिनाई हो रही है। मा० सदस्य की नियुक्ति के पश्चात समस्या के निदान हेतु संबंधित वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों के परामर्श से अपेक्षित तैनाती सम्पन्न की जा सकेगी।

उपर्युक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता है।

**जनपद हरदोई के ग्राम सुमेरगंज पोस्ट बांसा के सेवा निवृत्त लेखपाल श्री राधेलाल को पेंशन प्रदान करने की मांग**

140–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ग्राम सुमेरगंज, पो० बांसा निवासी श्री राधेलाल सेवानिवृत्त लेखपाल को पेंशन प्रदान किये जाने सम्बन्धी माननीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इन्द्राभवन, लखनऊ के आदेश दि० 11-1-2001 का अनुपालन जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के आदेश दिनांक 11-1-2000 द्वारा प्रोविजनल पेंशन दिये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं। श्री राधेलाल को उनकी सेवाओं के आधार पर पेंशन दिये जाने हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई से नियमों के अन्तर्गत वित्तीय परामर्श लिया गया। जिसके अनुसार श्री राधेलाल की सेवाओं के नियमित न होने के कारण सिविल सर्विस रेगुलेशन

के अनुच्छेद–408, 419 बी तथा 487 में दिये गये नियमों के अनुसार श्री राधेलाल को किसी भी प्रकार के पेंशन लाभों को नहीं दिया जा सकता है ।

**लखनऊ सरोजनी नगर व चिनहट के पंचायत उद्योगों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा विषयक होर्डिंग बोर्ड हेतु व्यय धनराशि तथा एवरेस्ट ट्रेडर्स को किये गये भुगतान की जांच**

140–(अ) श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि पंचायत उद्योग सरोजनी नगर, लखनऊ एवं पंचायत उद्योग चिनहट, लखनऊ द्वारा वर्ष 1992 से अब तक पर्यावरण की सुरक्षा एवं जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए होर्डिंग बोर्ड की स्थापना पर वर्षवार कितना धन किस दर से खर्च किया गया है ? उसमें से कितना एवरेस्ट ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है ? क्या यह सही है कि बिना बोर्ड लगे ही एवरेस्ट ट्रेडर्स निशातगंज लखनऊ को भुगतान ऊंची दरों पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करा कर जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद शाहजहांपुर के जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा विगत कई वर्षों में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि का विवरण**

141–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी शाहजहांपुर को 1 अप्रैल, 1998 से दिसम्बर, 2000 तक उ०प्र० शासन तथा जिला योजना से प्रत्येक वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में प्राप्त हुई ? उक्त धनराशि कब-कब कहां-कहां व्यय की गयी ? क्या सरकार उपरोक्त विवरण की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद शाहजहांपुर के जिला मत्स्य अधिकारी, शाहजहांपुर को 1 अप्रैल, 1998 से दिसम्बर, 2000 तक आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत रु० 2.15 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष्य रु० 2.15 लाख की धनराशि व्यय की गई एवं जिला योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना हेतु रु० 7.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष्य रु० 9.65 लाख की धनराशि व्यय की गई ।

1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2001 तक आयोजनेत्तर पक्ष में विभिन्न मदों के लिए कुल रु० 36.557 लाख की धनराशि स्वीकृति की गई जिसके सापेक्ष्य रु० 31.61 लाख की धनराशि व्यय की गई । अलग-अलग योजना हेतु वर्षवार किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उसके सापेक्ष्य कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई, इससे संबंधित सूची विवरण संलग्न है ।

(विवरण हेतु देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 142-143 पर ।)

142–श्री विजय पाल सिंह–

[ दिनांक 22-3-2001 को अता० प्र० सं०–124 द्वारा उत्तरित ]

**जनपद फतेहपुर के खखरेस मार्ग से आगे मण्डी समिति द्वारा निर्मित मार्ग की मरम्मत का कार्य**

143–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में खाल खखरेस मार्ग में ग्राम वसबां मोड़ से आगे एक किमी०मार्ग मण्डी समिति द्वारा निर्मित कराया गया है जो घटिया सामग्री एवं मानक से कम मैटीरियल डालने से सड़क टूट गयी है ? यदि हां, तो सरकार टी०ए०सी० से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1993 में पूर्ण कराया गया था और आवश्यकतानुसार मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य न करवाये जाने के कारण मार्ग काफी टूट गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग मरम्मत न होने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

**जनपद मिर्जापुर में धरवारपुर बंगला मार्ग के निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

144–इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के पांचवे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–47 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नगत प्रकरण में डा० राजेश कुमार मिश्र, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 17-1-2001 मा० पंचायती राज मंत्री जी व प्रतिलिपि सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? क्या प्रश्नगत पत्र मा० मंत्री जी के पत्रांक 223/वी०आई०पी०/2001, दिनांक 6-2-2001 द्वारा सचिव, पंचायती राज को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मिर्जापुर से आख्या मांगी गयी है, जो प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर के ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम पंचायतों की समस्त बैठकें पंचायत भवन में सम्पन्न कराने की मांग**

145–इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर में ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठकें पंचायत भवनों में न करके अपने घरों पर सम्पादित करायी जा रही है जिससे ग्रामवासियों को अभिलेखों की नकल प्राप्त करने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों का सम्पादन पंचायत भवन में ही सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी शासनादेश तत्काल निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद मिर्जापुर के सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विगत वर्ष में धारा–20 का प्रकाशन का विवरण**

146–इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारियों द्वारा वर्ष 1999-2000 में किस-किस ए०सी०ओ० सर्किल के किस-किस गांवों में कब-कब धारा 20 का प्रकाशन पूर्ण किया गया है ? क्या लक्षित वर्ष 2000-2001 में जनपद के किसी ए०सी०ओ० द्वारा नियोजित कार्यक्रम के अनुसार एक भी गांव में अब तक धारा 20 का प्रकाशन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करते हुए उक्त जनपद में धारा 20 का प्रकाशन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद मिर्जापुर में कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारियों द्वारा वर्ष 1999-2000 में संलग्न सूची के अनुसार सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र में लम्बित ग्रामों में उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तिथियों में धारा–20 का प्रकाशन कराया गया ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी (क्षेत्र) ओड़ी द्वारा नियोजित कार्यक्रम के अनुसार धारा–20 का प्रकाशन निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

ग्राम की नवगठित चकबन्दी समिति का अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होने के कारण निर्धारित समय में धारा–20 का प्रकाशन नहीं कराया जा सका । इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया जाता है । अतः दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है । ग्राम में चक निर्माण का कार्य प्रगति पर है । धारा–20 का प्रकाशन शीघ्र करा दिया जायेगा ।

दिनांक 31-5-2001 तक ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 144 पर)

**जनपद मिर्जापुर के प्रभारी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के भ्रष्टाचारों की जांच**

147–इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसान कल्याण मंच, जनपद मिर्जापुर के संयोजक श्री राम सिंह "वागीश" के शिकायती-पत्र दिनांक 27-11-2000 के साथ संलग्न श्री राम शरण दास, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, उ०प्र० पत्रांक 2141/2000, दिनांक 28-11-2000 जो प्रभारी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मिर्जापुर के न्यायिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक है, चकबन्दी आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण की जांच कब और किससे करायी गयी ? दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच जिलाधिकारी, मिर्जापुर से कराई गयी । जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

**जनपद फतेहपुर के सेवानिवृत्त सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समस्त देयों के भुगतान की मांग**

148–श्री समर पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दकी इकाई जनपद फतेहपुर से सेवानिवृत्त एस०ओ०सी० चकबन्दी श्री हंसनाथ त्रिपाठी को उनकी पेंशन ग्रेच्युटी, फण्ड, प्राविजनल पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सेवानिवृत्त सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी श्री हंसनाथ त्रिपाठी की जी०पी०एफ० का 90% का भुगतान दिनांक 9-1-98 को कर दिया गया है । श्री त्रिपाठी ने अभी तक अपने पेंशन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत नहीं किये हैं, इसलिए पेंशन ग्रेच्युटी आदि स्वीकृत नहीं की जा सकी है ।

श्री त्रिपाठी द्वारा पेंशन प्रपत्र भरकर समय से प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके लिए श्री त्रिपाठी स्वयं दोषी हैं । इसके लिए अन्य कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है । श्री त्रिपाठी के पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी । श्री त्रिपाठी दिनांक 5-9-95 से 18-12-95 तक चिकित्सा अवकाश पर रहे । अवकाश का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण इस अवधि की कटौती सामूहिक बीमा मद में नहीं की जा सकी इसलिए प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका । अवकाश स्वीकृत होने के उपरान्त सामूहिक बीमा मद में कटौती जमा कराकर प्रस्ताव भेज दिया जायेगा । श्री त्रिपाठी स्वयं पेंशन प्रपत्र भरकर उपलब्ध कराये जाने पर यथाशीघ्र नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

149–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[3रे मंगल में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद चित्रकूट के कर्वी में स्थापित दुग्धशाला में कृषकों के दुग्ध मूल्य के बकाया भुगतान की मांग**

150–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चित्रकूट के कर्वी में स्थापित दुग्धशाला के छः हजार किसानों का चार माह का दुग्ध मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त किसानों के दुग्ध मूल्य का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री जयपाल सिंह–

जी नहीं ।

जनपद चित्रकूट के कर्वी में स्थापित दुग्धशाला धनाभाव के कारण दिनांक 17-9-2000 से पूर्णतया बन्द है । लगभग छः हजार किसानों/दुग्ध उत्पादकों का चार माह का दुग्ध मूल्य भुगतान रु० 7,95,172.42 बकाया है । दुग्ध संघ के पास वर्तमान में ऐसी कोई धनराशि नहीं है जिससे बकाये दुग्ध मूल्य का भुगतान किया जा सके ।

दुग्ध संघ में किये गये गबन की जांच की जा रही है, दोषी पाये गये कर्मियों से वूसली के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर में मीना एक्सपोर्टस तिलहर द्वारा जिला पंचायत बलिया व गाजीपुर में लम्बित भुगतान सम्बन्धी एवं सचिव पंचायती राज को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही**

151–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मीना एक्सपोर्टस तिलहर का रजि० पत्र दिनांक 06-09-99 या इसके आसपास जो जिला पंचायत बलिया और जिला पंचायत गाजीपुर में लम्बित पड़े फर्म के भुगतान के संबंध में था, उन्हें तथा सचिव पंचायती राज को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद बागपत की फल पट्टी घोषित तहसीलों में मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संचालित ईंट भट्ठे**

152–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में किन-किन तहसीलों में फल-पट्टी घोषित हैं ? क्या घोषित फल पट्टी की परिधि में ईंट भट्ठे भी संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार घोषित फल पट्टी क्षेत्र में ईंट-भट्ठों को हटाये जाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

बागपत जनपद में खेकड़ा तहसील में फलपट्टी घोषित है ।

माननीय न्यायालय आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के अन्तरिम आदेश दिनांक 27-2-2001 के संदर्भ में ईंट भट्ठे संचालित हैं ।

मा० न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में डायवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट परियोजना लागू करने की नीति व उसे जनपद मैनपुरी में इसके क्रियान्वयन की जानकारी**

153–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में डायवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट परियोजना लागू करने की नीति क्या है ? क्या सरकार ने अन्य जनपदों के अलावा जनपद मैनपुरी में भी उक्त योजना लागू करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब से होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

यू० पी० डाईवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट को प्रदेश में क्रियान्वित करने की नीति के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

(1) कृषि व कृषि सहभागी क्षेत्रों में विविधीकरण की अधिकतम सम्भावनाओं का विकास ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों (चयनित जनपदों व विकास खण्डों ) में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन ।

(3) जनसहभागिता के आधार पर मांग आधारित विकास ।

(4) रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन व कृषकों की आय में वृद्धि करना ।

जी हां ।

जनपद मैनपुरी में परियोजना का क्रियान्वयन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 से प्रस्तावित है ।

**प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना से जिला व क्षेत्र पंचायतों को आवंटित धनराशि से कराये कार्यों की गुणवत्ता भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन हेतु गठित आडिट सेल द्वारा जनपद जालौन में कराये गये कार्यों की जांच की मांग**

154–श्री श्रीराम पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना से जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों को आवंटित धनराशि से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन हेतु पृथक से तकनीकी आडिट सेल गठित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन की जिला व क्षेत्र पंचायतों द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना से वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के सभी कार्यों का मूल्यांकन तकनीकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद गाजीपुर प्रधानाचार्य लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा मृतक आश्रित के रूप में श्री सुशील कुमार पुत्र स्व० श्री बल्ली राम को प्रशिक्षण देने का कथित प्रकरण**

155–श्रीमती सीमा द्विवेदी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी चन्दौली ने अपने पत्रांक–2344/सात-स०भू०आ०/2000, दिनांक 28 जनवरी, 2000 द्वारा मृतक आश्रित के रूप में लेखपाल के पद हेतु चयनित श्री सुशील कुमार पुत्र स्व० श्री बल्ली राम, ग्राम गुड़वल, पो० फतेहउल्लापुर, जिला गाजीपुर को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रधानाचार्य, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, गाजीपुर को आदेशित किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण दिलाकर नियुक्ति कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री सुशील कुमार पुत्र स्व० श्री बल्लीराम का चयन दिनांक 27-1-2000 को लेखपाल प्रशिक्षण हेतु मृतक आश्रित कोटे से किया गया तथा आदेश दिनांक 28-1-2000 के द्वारा प्रधानाचार्य, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, गाजीपुर के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया । श्री सुशील कुमार अति विलम्ब से लगभग चार माह पश्चात् 6-4-2000 को जिलाधिकारी, गाजीपुर के समक्ष उपस्थित हुये । तब तक प्रशिक्षण का काफी कोर्स पूर्ण होने के कारण राजस्व परिषद् के आदेश संख्या–1365/4-86 ए/98 दिनांक 19-2-2000 के परिप्रेक्ष्य में प्रधानाचार्य, लेखपाल प्रशिक्षण, गाजीपुर में अपनी आख्या दिनांक 1-5-2000 में यह अवगत कराया कि राजस्व परिषद् के निर्देश से ही नामित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया

जा सकता है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रधानाचार्य ने श्री सुशील कुमार को प्रशिक्षण हेतु ज्वाइन नहीं कराया । अगले सत्र हेतु प्रधानाचार्य को पत्र भेजकर जानकारी मांगी गयी है ।

**जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में कार्पेट सिटी योजना हेतु स्वीकृत धनराशि व भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय धनराशि के विवरण की जानकारी**

156–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में कार्पेट सिटी योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितना कार्य किया जा चुका है तथा कितना धन खर्च किया जा चुका है और कितना शेष है ?

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नरायन तिवारी)–

जी हां । कारपेट सिटी योजना फेज–1 हेतु 125 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

इस योजना के लिये शासन द्वारा अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से अब तक कुल रु० 4.50 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा योजना के प्रथम चरण में 125 एकड़ भूमि पर विकास कार्य कराये जा रहे हैं ।

बीडा के पास वर्तमान में रु० 4.16 करोड़ की धनराशि शेष है । इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के आवंटन आदि से होने वाली आय से भी अवशेष विकास कार्य कराये जाने का लक्ष्य है ।

**विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठायी गयी सूचनाओं का उत्तर संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जो प्रश्न हम नियमावली के नियम–56, 51, 300 आदि में प्रश्न उपस्थित करते हैं उसमें एक परम्परा चल गयी है कि हर प्रश्न का उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ही देते हैं वे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त हैं । लेकिन जिस विभाग के बारे में प्रश्न उपस्थित किया जाता है उनके माननीय मंत्री जी को उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती और वह इतने सुस्त बन जाते हैं कि उनके विभाग में उनका नियंत्रण नहीं हो पाता है । जबकि अधिकतर मंत्री सदन में उपस्थित रहते हैं लेकिन जवाब संसदीय कार्य मंत्री जी देते हैं । मान्यवर, पहले जब हम प्रश्न लगाते थे तो पूरे महकमें में हलचल मचती थी आज महकमें में बिल्कुल उदासीनता और बेरुखी है और इससे सदन की गरिमा पर ठेस पहुंच रही है । हम चाहेंगे कि विभागों के सम्बन्धित माननीय मंत्रीगण सम्बन्धित प्रश्नों और सूचनाओं पर उत्तर दें और अपने विभाग में कड़ा नियन्त्रण रखें । आज वह स्थिति समाप्त हो गयी । श्रीमन्, आप इतने दिन से सदन में हैं आप देखते हैं कि आपकी इस पीठ से जो निर्देश जारी होते हैं उनकी भी परवाह नहीं की जाती । इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस गम्भीर व्यवस्था के प्रश्न पर, जो गम्भीरता के साथ आपके सामने रखा है आप आदेशित करें कि हर मंत्री, जिन-जिन मंत्रियों के सम्बन्ध में नियम–56, नियम–51, नियम–300 के प्रश्न हैं वह सदन में उपस्थित रहें और पूरे विवरण के साथ इस सदन में आये तो इस सदन की गरिमा बढ़ेगी और आपके निदेशों का पालन अच्छी तरह से होगा । यह जो ऐसी स्थिति आ रही है सत्ता पक्ष के मंत्रियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही थी, ऐसी स्थिति में हमारी, व विधान सभा की गरिमा गिर रही है, इस पर पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था पर एक चोट पड़ रही है, और हर आदमी सोचता है कि विधान सभा माननीय विधायकों के

लिए एक ऐसी जगह रह गयी है कि भत्ता लेते, ठंढी हवा में बैठे और चले जायें । माननीय सदन की गरिमा को और मर्यादा को बहुत ठेस पहुंच रही है । तो इस व्यवस्था के प्रश्न पर मैं आपके निर्देश चाहता हूं । यह मैं उम्मीद करता हूं कि आप निदेर्शित करें, संसदीय कार्य मंत्री जी सर्वज्ञाता हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी की, क्या हालत हो गयी है कि यह किसी भी विभाग के हर एक विषय के न मास्टर हैं, न अध्यापक हैं । इसको बचाने के लिए इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो कहा है वह तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की क्षमता के लिए प्रमाण-पत्र है और यह इस पर विश्वास करते हैं कि न दैन्यम् न पलायनम् । जो दायित्व है उसका निर्वाह कर रहे हैं, मंत्रि-परिषद् का सामूहिक दायित्व है । यह बात बार-बार विपक्ष की ओर से उठती है, संवैधानिक स्थिति भी है, यह सब जानते हैं । कभी-कभी यह परेशानी आती है कि सम्बन्धित विभाग के मंत्री अगर उपस्थित नहीं रहते तो इस सदन को उनकी सेवा का लाभ नहीं मिल पाता उचित तो यह होगा कि कम से कम प्रश्न काल के समय वे उपस्थित रहें । नियम–56 और दूसरे नियमों के सम्बन्ध में एक व्यवहारिक कठिनाई आ सकती है । माननीय मंत्री जी को पहले से मालूम नहीं होगा कि कौन सी सूचना नियम–56 में या नियम–300 की उनके विभाग से सम्बन्धित आ रही है । हो सकता है उनका विधान परिषद् में कार्यक्रम लगा हो । इसलिए अगर उस दायित्व का निर्वाह संसदीय कार्यमंत्री जिनके पास समस्त सूचनायें उपलब्ध रहती हैं, करते हैं । इसमें आपत्ति की बात नहीं है लेकिन अपेक्षा यह करनी चाहिए कि जब सदन कार्य कर रहा हो तो सदन में मंत्रियों को अधिक से अधिक समय तक उपस्थित रहना चाहिए ।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं समय-समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता हूं और इनकी सहायता मिलती रहती है इसलिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, कल से पूरे 5 हजार कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं वह खुले आसमान में बैठे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियमित कार्य हो जाने दें कार्य-सूची का ।

(व्यवधान)

इस [illegible] से प्रश्न नहीं उठाये जाते हैं ।

**नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी । पहली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, दूसरी श्री महेन्द्र कुमार सिंह की है, तीसरी श्री समरपाल सिंह की है, चौथी श्री रूप चौधरी की है, पांचवीं श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की है, छठीं श्री भीम प्रसाद सोनकर की है और सातवीं श्री लालजी वर्मा की है । उक्त सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतीक्षा सूची में पहली सूचना श्री सुधाकर सिंह की और दूसरी श्री राम नरेश यादव की है । श्री सरवर अली तथा शिव सिंह चक की सूचनायें अस्वीकृत की गयी ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

**सुभाष इण्टर कालेज, मथुरा के प्राचार्य द्वारा किये गये छात्र विरोधी कार्य कलापों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अजय कुमार पोइया–

[ महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मथुरा जनपद में सुभाष इण्टर कालेज में प्राचार्य द्वारा छात्रों से अवैध रूप से शुल्क वसूला जा रहा है जनवरी 1995 से जून, 1995 तक की छः माह की ली गयी शुल्क की धनराशि 12000 की आज तक खातों में जमा नहीं किया गया है यही नहीं विद्यालय की भूमि कमरों को भी बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के 4 लाख से अधिक में सुपुर्दगी कर दी गयी है जिससे विद्यालय में पढ़ाई के लिए कमरों की कमी हो गयी, बिना निदेशक की अनुमति के छात्रों की पढ़ाई दो शिफ्टों (पालियों) में की जा रही है प्रधानाचार्य श्री भूरी सिंह द्वारा अपना कार्यकाल भी भ्रष्टाचार के चलते बढ़ाये जाने की जुगाड़ में है जबकि 31-12-1990 को शासनादेश संख्या 43–76(1) दिनांक 6-10-90 के अन्तर्गत 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त का विकल्प चुना था जो तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा वी० बी० थपलियाल द्वारा अन्य कर्मचारी के साथ 2-1-1991 को लिखित स्वीकृत हुआ जिस पर 30 जून, 2001 को सेवा से निवृत्त होना है सह जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा की जांच आख्या पत्रांक 5736, दिनांक 7-3-1998 के द्वारा प्रेषित भ्रष्टाचार के होने पर कर चुके है परन्तु अभी तक भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से विद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं हो पा रही है और न ही छात्रों से अवैध तथा अन्य शुल्कों को खातों विद्यालय आदि में दर्शा कर विद्यालय के चहुमुखी विकास में प्रयोग में ही लाया जा रहा है ।

अतः आपके माध्यम से विद्यालय की सुरक्षा हेतु कड़ी कार्यवाही के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानाचार्य वर्तमान का कार्यकाल जो कि नियमानुसार 30 जून, 2001 को समाप्त होना है, बढ़ाया नहीं जाय ।]

**जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा की ग्राम सभा भटपुरवा में ग्राम समाज की आरक्षित भूमि पर ही पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम– 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

[ महोदय, जनपद सीतापुर में विकास खण्ड रेउसा के अन्तर्गत ग्राम सभा सरैया भटपुरवा में पंचायत भवन बनाने हेतु ग्राम छेगपुरवा में खाता संख्या–733/गाटा संख्या–362/क्षेत्रफल 0.125 ग्राम समाज की भूमि आरक्षित है । शासनादेश संख्या–160/33–3–2001, दिनांक 9 जनवरी, 2001, तथा शासनादेश संख्या–987/33–3–2001–21/2001, दिनांक 15 फरवरी, 2001, के अनुसार आरक्षित भूमि में ही पंचायत घर भवन बनाने के लिए निर्देश सभी जिलाधिकारियों को गया है ।

अतः उक्त आरक्षित भूमि में भी पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं । ]

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद बागपत में बिनौली से अमीरनगर सराय मार्ग के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री समरपाल सिंह–

[महोदय, जनपद बागपत में बिनौली से अमीरनगर–सराय मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कई दशक पूर्व किया गया था । इस मार्ग के निर्माण हेतु किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी परन्तु आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है । किसानों द्वारा अनेकों बार अधिकारियों से सम्पर्क करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है । जिला प्रशासन एवं विभाग किसानों का मुआवजा देने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की तरफ सरकार का ध्यानाकर्षित करते हुये किसानों का मुआवजा यथा शीघ्र दिये जाने की मांग करता हूं ।]

**जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद, मकनपुर आदि कतिपय ग्रामों की आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री रूप चौधरी–

[ महोदय, आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किसानों के साथ हो रहे अन्याय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत साहिबाबाद, प्रहलादगढ़ी, कनावनी, अर्थला, मकनपुर आदि गांवों के किसानों की भूमि बसुन्धा आवासीय योजना के लिये अधिग्रहीत की गई थी । आवास विकास परिषद् ने यह उपजाऊ और कीमती भूमि किसानों से कौड़ियों के दाम पर खरीदकर और विकसित करके 5 हजार रु० से लेकर 20 हजार रु० वर्ग मीटर तक बेची है । दूसरी तरफ परिषद् के अध्यक्ष व आयुक्त ने किसानों से समझौता करके व उनके शपथ-पत्र लेकर भी उनकी भूमि का घोषित मुआवजा नहीं दिया है जोकि किसानों के साथ सरासर धोखा है ।

इसी प्रकार परिषद् ने मण्डौला, नानू, पंचलोक, अगरौला आदि गांवों की भूमि अधिग्रहीत करने की घोषणा की है । सरकार द्वारा यहां पर अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है, परन्तु किसानों से वार्ता नहीं की जा रही है और उनसे मुआवजे के बारे में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है । मेरे एवं क्षेत्रवासियों के बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी समाधान की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । उपरोक्त दोनों क्षेत्रों के किसानों में सरकार के इस उपेक्षा व लापरवाही पूर्ण कार्यवाही के कारण असंतोष व्याप्त है और कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों के किसानों को अतिशीघ्र बाजार भाव पर मुआवजा, प्लाट, दुकान दिलवाने एवं इन गांवों का विकास आवास विकास परिषद् द्वारा कराने का कष्ट करें ।]

**सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट का निवारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

[ महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान राज्य सम्पत्ति विभाग की सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

कुछ वर्ष पूर्व इस कालोनी में नियमित रूप से 24 घंटे जलापूर्ति होती थी लेकिन वर्तमान में जलापूर्ति अत्यन्त अनियमित हो गई है । स्थिति यह है कि प्रथम तल पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और भूतल पर भी 24 घंटे में मात्र 3-4 घंटे ही जलापूर्ति हो रही है । जल संकट से बचने के लिए प्रथम

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तल के अधिकांश अध्यासियों ने जेट पम्प/टुल्लू लगवा लिए हैं जिससे अवशेष अध्यासियों की जल समस्या और भी गम्भीर हो गई है । कुछ वर्ष पूर्व लाखों रुपये खर्च करके राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अतिरिक्त नलकूप का निर्माण कराया गया था किन्तु राज्य सम्पत्ति विभाग की निष्क्रियता के कारण उसे अभी तक क्रियाशील नहीं किया गया है जिससे शासकीय धनराशि का अपव्यय हो रहा है व अध्यासी भीषण गर्मी में गम्भीर जल संकट से त्रस्त है ।

मैं सदन का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

**जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील आलापुर में ट्रेजरी आफिस तथा स्टेट बैंक की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में निमय–301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[ महोदय, मान्यवर, आपका ध्यान अति लोक महत्वं की तरफ ले जाना चाहता हूं । पूरे प्रदेश में तहसीलों के बगल में आफिस खुला है लेकिन विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज तहसील आलापुर में रजिस्ट्री आफिस खुल गया है लेकिन ट्रेजरी आफिस न होने से तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है पूरे तहसील से जुड़े लोग ट्रेजरी आफिस न होने से 60 किमी० दूरी तय करके जनपद अम्बेडकर नगर में जाते हैं अगर किसी कारणवश समय से बस छूट गयी तो पुनः वापस आना पड़ता है साथ ही साथ आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि तहसील आलापुर में कोई बैंक नहीं है इसलिए आप एक स्टेट बैंक की संस्तुति का भी आदेश पारित करना सुनिश्चित कर दें ।

अतः आपके माध्यम से उक्त मेरी मांग पर विशेष बल देते हुए ट्रेजरी आफिस तथा स्टेट बैंक तत्काल खोलना सुनिश्चित करे जिससे जनता को सरकारी संसाधनों की सुविधा मिल सके । मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर एक घंटे की चर्चा की मांग करता हूं ।]

**जनपद अम्बेडकरनगर के अजनेरी बादशाहपुर मार्ग की मरम्मत कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में निमय–301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री लालजी वर्मा–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर में अजमेरी बादशाहपुर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड द्वारा कराया गया है । उक्त मार्ग की गुणवत्ता अत्यधिक खराब होने के कारण मार्ग की गिट्टी उखड़ गयी है, जिसके कारण उक्त मार्ग पर चलना असंभव हो गया है । इस कारण आज जनता में रोष व्याप्त है ।

अस्तु, सदन के माध्यम से सरकार से उक्त सड़क की मरम्मत कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

**आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–76 के उत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है" की ओर ध्यानाकर्षण**

* श्री अजय कुमार पोइया

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–76 की ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें उत्तर आया है, सूचना एकत्र की जा रही है, इसमें मतदाता सूची में नाम न होने का मामला है, इसके संबंध में 21-7-2000 को पत्र लिखा था । इसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह बहुत खेदजनक है, इस पर हम कार्यवाही की अपेक्षा रखते हैं, कार्यवाही न होना अत्यन्त दयनीय स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष–

जब किसी प्रश्न के उत्तर में यह आता है, कि "सूचना एकत्र की जा रही है" तो वह उत्तर पर्याप्त नहीं है । ऐसे प्रश्न को स्थगित मान लिया जाता है और 15 दिन बाद यह फिर से आयेगा ।

**सदन में माननीय सदस्यों की आसन व्यवस्था के बीच स्थित गैलरी में बाड़ों को लगाये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण**

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली के नियम–6 में सदस्यों के आसन की व्यवस्था की गई है, जैसा आप निर्देशित करते हैं, उसके अनुसार बैठने की व्यवस्था है, आसनों के बीच में एक गैलरी है, इसमें जाने के रास्ते में पहले यह बाड़ नहीं लगी थी । संसदीय व्यवस्था में अपना विरोध व्यक्त करने के लिये जब कभी वेल में जाने की बात आती है तो बड़ा अशोभनीय लगता है, ऊपर से फांदकर जाने में । जब सदन कार्य नहीं कर रहा होता है तो माननीय मंत्रीगण इधर आना चाहते हैं और माननीय सदस्य उधर जाना चाहते हैं तो असुविधा होती है, आप इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री से भी पूछ लें । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बात शोभा नहीं देती कि माननीय सदस्यों को बाड़ से घेरकर रखा जाय । सदन के परिचालन में बाड़ का लगा रहना उचित नहीं जान पड़ता, इसलिये निर्देश देने की कृपा करें कि इसे हटाया जाय ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, वैसे तो आपका विवेक है लेकिन सदस्य बीच में न आयें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष–

एक प्रदेश की विधान सभा में इस तरह की व्यवस्था है, मैंने स्वयं देखी थी । जिस समय सदन कार्य कर रहा होता है, उस समय यह अपेक्षा की जाती है कि सदस्य इधर से उधर और उधर से इधर नहीं जायेंगे, उसी अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में मैंने इस व्यवस्था को कराया था । अब यदि कोई माननीय सदस्य विरोध व्यक्त करने के लिये वेल में आना चाहते हैं तो थोड़ा सा अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपका विवेक है, विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 03 मई, 2001 को नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई पहली सूचना डा० अशोक बाजपेयी तथा श्री प्रमोद कुमार की है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजनाओं के लेखा प्रतिवेदनों का परीक्षण विधायी समिति के क्षेत्राधिकार में न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* डा० अशोक वाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद–202 में वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित है । राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, अनुच्छेद–202 में यह व्यवस्था भी दी गई है । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–203 में विधान मंडल में प्राक्कलनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी गयी है । इसमें है कि "प्राक्कलनों मे से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बन्धित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जायेंगे, किन्तु इस खण्ड की किसी बात पर यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह विधान मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है ।" मान्यवर, इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद–204 में विनियोग विधेयक की व्यवस्था है कि "विधान सभा द्वारा अनुच्छेद–203 के अधीन अनुदान किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से (क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की, और (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित, किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा ।" मान्यवर, इस प्रकार 204 में विनियोग विधेयक की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद–205 में व्यवस्था है कि (क) अनुच्छेद–204 के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गयी किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है या (ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राज्यपाल, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवायेगा ।" मान्यवर, इसी प्रकार अनुच्छेद–206 में लेखानुदान पारित कराने की व्यवस्था है इसमें है कि (1) "इस अध्याय के पर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य की विधान सभा (क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के सम्बन्ध में कोई अनुदान, उस अनुदान के मतदान करने के लिए अनुच्छेद–203 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद–204 के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की, (ख) जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है तब राज्य के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की, (ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किये गये हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य के विधान-मंडल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को शक्ति होगी ।" ऐसा कहा गया है मान्यवर, हमारे संविधान रचयिताओं ने वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए ये व्यवस्था की है ।

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी स्थापित प्रक्रिया है, प्रदेश का जो आय-व्ययक है वह विधान सभा में विभागवार माननीय मंत्रि-परिषद् प्रस्तुत करती है । पूरा सदन उस पर चर्चा करता है उस पर अपना मूल्यवान सुझाव देता है और उसके बाद बजट, वार्षिक आय-व्ययक पारित होता है । बजट में जो स्वीकृतियां होती हैं, अपेक्षा की जाती है कि कार्यपालिका उन स्वीकृतियों के अनुरूप आचरण करेगी । यह अपेक्षा ही नहीं बाध्यता भी रहती है कि जो आय-व्यय पारित हुआ है और जिन कार्यों के लिए स्वीकृतियां हुई हैं उनके अनुरूप कार्यपालिका उनका पालन करेगी और इसके लिए भारत सरकार ने सीएजी की व्यवस्था की है जो हमारे वार्षिक लेखों का परीक्षण करते हैं उसके बाद सदन में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है । उसके बाद जो प्रक्रिया है इस सदन की एक समिति, लोक लेखा समिति को उसका परीक्षण करने के लिए दिया जाता है कि वह परीक्षण करे कि जो बजट के उपबन्ध थे, जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसके अनुरूप व्यय हुआ है या नहीं, उसका परीक्षण करने के बाद पुनः लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सदन में रखती है उसके बाद माननीय विधान सभा उस पर विचार करती है । यह व्यवस्था केवल यही नहीं पूरे दुनिया में है कि लोक धन पर विधायी नियंत्रण बना रहे और कार्यपालिका इसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग न कर सके । इसलिए ऐसी व्यवस्था की गयी है । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है, हमारा जो रेगुलर बजट है, पिछले वर्षों में लगातार आर्थिक उदारीकरण से विश्व बैंक के साथ हमारे रिश्ते बढ़े हैं और विभिन्न परियोजनाओं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हों अरबों रुपये ऋण सीधे विश्व बैंक से स्वीकृत हो जाते हैं जब तक ये योजनाएं संज्ञान में नहीं होगी तो उस पर कैसे विचार कर सकते हैं ? प्रदेश में अनेक चुनौतियां है तो उसी के अनुरूप ऋण प्राप्त करें एवं विकास के काम को आगे बढ़ायें । मान्यवर, एक विभाग से परियोजना तैयार की जाती है सीधे विश्व बैंक से पैसा ले लेते है । मान्यवर, इसको सरल करने के लिये कोई वित्तीय अनुशासन लागू नहीं है । एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत करके एक समिति बनाकर विश्व बैंक से अरबों रुपये का धन परियोजनाओं के लिए प्राप्त कर लेते हैं । 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, पांच सौ करोड़, सात सौ करोड़, प्राप्त कर लेते हैं इस पर कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं है । परियोजना का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, प्रदेश के ऊपर अरबों रुपये का ऋण होता है इसकी न तो प्रदेश की जनता को जानकारी होती है और न माननीय सदन को होती है । हम देखते हैं कि अरबों रुपया व्यय होने के बाद न कोई गुणवत्ता में सुधार आया, बल्कि उस धन को उल्टे वरिष्ठ अधिकारी उसको कभी व्यक्तिगत निजी संस्थाओं के नाम पर प्रशिक्षणों के नाम, परियोजना के नाम पर उस धन का अपव्यय हो जाता है । उसके बाद भी उसका कोई लेखा नहीं रहता और उसकी चर्चा इस सदन में नहीं होती ।

मान्यवर, प्रदेश के ऊपर हजारों रुपये का ऋण प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है । मान्यवर, जिस तरह उत्तर प्रदेश का बजट सदन से पास कराकर उसका लेखा-जोखा रखा जाता है उसी तरह से इस पर भी तो प्रतिबन्ध होना चाहिए । जो धन व्यय किया जाता है उसका ब्योरा लेखा सम्प्रेक्षक के माध्यम से सदन के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया है । विश्व बैंक से लिये ऋण की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं प्रस्तुत की जाती है । मान्यवर, जो विदेशी ऋण लिया जाता है तो उसको सदन के सामने प्रस्तुत करने में क्या कठिनाई है ? मान्यवर, एक-दो परियोजनाएं सुचालित नहीं है निरन्तर विश्व बैंक से स्वीकृत हो कर आ रहा है । अरबों रुपयों का बोझ बढ़ा है । विकास और जो पैसे का व्यय कर रहे हैं इसकी प्राथमिकताएं नौकरशाही तय करती है । मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था दें ताकि भविष्य में

इस तरह से लोक धन पर विधायिका का नियंत्रण हो सके, जो विदेशी ऋण है उसका दुरुपयोग न हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

इसी विषय पर माननीय प्रमोद कुमार जी की सूचना है । आप अगर अभी अपने विचार व्यक्त कर रहे माननीय सदस्यों से अपने को सम्बद्ध कर लेंगे तो संक्षेप में हो जायेगा ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं डा० अशोक बाजपेयी जी के विचारों के एक-एक शब्द के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ । इनकी यह बात सर्वथा उचित है जिसको आप महसूस करेंगे कि कोई ऐसा पैसा आये जो अपनी स्वतंत्र एजेन्सी के द्वारा खर्च हो तो उचित लगता है । लेकिन जितने विभाग हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, इन सारे विभागों की स्थापना व्यय उत्तर प्रदेश सरकार देती है और उनके ऊपर खर्च होने वाले स्थापना व्यय की स्वीकृति सम्मानित सदन देता है । अब यही अगर एजेंसी बन जाती हैं तो कुल मिलाकर उनका रख-रखाव, वेतन भुगतान आदि उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिसके व्यय को हम इस सदन में पारित करते हैं लेकिन जो पैसा दिया जाता है जिसको वह खर्च करते हैं उसकी हमें जानकारी भी नहीं होती है, नियंत्रण तो दूर की बात रही । कोई ऐसा पैसा आये जिसपर हमारी देनदारी न हो तो बात समझ में आती है । पैसा आता है, खर्च हो जाता है । समुचित प्रयोग नहीं होता है, तो देनदारी उत्तर प्रदेश सरकार और जनता की हो जाती है और हमें फिर विधान सभा में आना पड़ता है उन ऋण और ब्याज को चुकाने के लिए । हमें जनता पर बोझ डालना पड़ता है । आप देखें एक अजीब सी व्यवस्था है जहां जिम्मेदारी तो हमारी हो जाती है, देनदारी हमारी हो जाती है लेकिन न तो हमारी जानकारी होती है न हमारा नियंत्रण होता है । आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता । मान्यवर, जो विश्व बैंक पोषित परियोजनायें हैं उन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए तभी उत्तर प्रदेश की जनता पर देनदारी आनी चाहिए ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा, विश्व बैंक से कोई पैसा सीधे प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं होता है, न आज तक हुआ है । विश्व बैंक एक एजेन्सी हो सकती है, एक राजस्व का श्रोत हो सकती है लेकिन वह श्रोत सीधे-सीधे प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच में नहीं है । जो पैसा आता है, केन्द्र सरकार प्राप्त करती है । जो शर्तें होती हैं वह केन्द्र सरकार से समझौते के बाद तय होती हैं । प्रदेश सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है वह केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है । यहां जो विधेयक पारित होता है सीधे-सीधे उसका हिस्सा होता है । बिना उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पारित कराये, यह बजट का हिस्सा बनाये एक भी पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है, न हुआ है, न खर्च होता है । शायद पत्र-पत्रिकाओं में, समाचार-पत्रों में छपता रहता है कि विश्व बैंक से फलां योजना का पैसा आ गया, या विश्व बैंक की फलां योजना के बारे मे प्रदेश सरकार के अधिकारी वार्ता करने के लिए जा रहे हैं । स्पष्ट स्थिति यह है कि जो भी पैसा आयेगा कन्सांलीडेटेड फण्ड है उसका हिस्सा बनेगा, उसका हिस्सा बनने के साथ-साथ विधान सभा में आयेगा । जब उस परियोजना की समीक्षा होगी तो जो सामान्य प्रक्रिया हमारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संविधान में निर्धारित है, नियमों में वह यह कि बजट पारित होने के बाद जो कन्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल आफ इण्डिया हैं, वह समीक्षा करते हैं, रिपोर्ट आती है, हाऊस में ले होती है, उसके बाद बराबर लोक लेखा समिति में जाती है, वहां पर उसका परीक्षण होता है।

मान्यवर, विश्व बैंक से जो पैसा आता है वह हमारे पास सीधे नहीं आता है, पैसा केन्द्र सरकार के माध्यम से आता है हमारी देनदारी केन्द्र सरकार के प्रति होती है, विश्व बैंक के प्रति नहीं। हर कार्यक्रम केन्द्र सरकार तय करती है कि कितनी ग्रान्ट होगी, कितना ऋण होगा। इस पैसे को मनमाने ढंग से नहीं खर्च किया जा सकता यह विनियोग लेखे का हिस्सा बनाया जाता है। कोई भी सरकार हो, इसको सीधे खर्च नहीं कर सकती है। विश्व बैंक से पैसा सीधे नहीं आता है। पैसा पहले केन्द्र सरकार में जाता है। तब वह प्रदेश सरकार को मिलता है। जिन योजनाओं की बात आप करते हैं वह योजनाएं तो जरूर अधिकारी बनाते हैं लेकिन उनका परीक्षण होने के बाद पैसा केन्द्र सरकार के माध्यम से ही मिलता है। और जब प्रदेश सरकार को पैसा मिलता है जिन योजनाओं के लिए, उनकी समीक्षा पी०यू०सी० और पी०ए०सी० करती है। ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके परीक्षण करने का अधिकार पी०यू०सी० या पी०ए०सी० या अन्य समितियों को न हो। आपकी जो भ्रान्ति है उसको मैं दूर कर देना चाहता हूं, हमारा बजट पेश होता है और वह पारित होता है और उसके बाद प्रदेश सरकार को खर्च करने का अधिकार होता है। किसी भी योजना के लिए पैसा विश्व बैंक से प्रदेश सरकार को नहीं मिलता है, वह केन्द्र सरकार के माध्यम से मिलता हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कोई पैसा प्रदेश को नहीं प्राप्त होता है। केन्द्र सरकार प्रदेश के वित्तीय व्यय के लिए कुछ न कुछ सहायता के रूप में या प्रदेश के हिस्से के रूप में पैसा देती है, लेकिन जो पैसा विश्व बैंक से परियोजनाओं के लिए मिलता है, जैसे इस वर्ष 12 सौ करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग को मिला और शिक्षा विभाग को जो दस सौ करोड़ रुपये मिला इस सम्बन्ध में, जो आपका बजट भाषण प्रस्तुत हुआ है उसको मैंने पढ़ा है। उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, हमारी चिन्ता यह है कि जो पैसा मिले भले ही वह भारत सरकार के माध्यम से मिले उस पैसे को आय-व्ययक में रखा जाय और बजट विवरण में उसको शामिल किया जाय। लेकिन बजट में उसकी व्यवस्था नहीं की जाती है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि विश्व बैंक परियोजनाओं को लेखा-परीक्षण जब सदन के पटल पर नहीं रखा जाता है तो पी०ए०सी० और पी०यू०सी० इसका परीक्षण क्या करेंगी ? विश्व बैंक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर नहीं रखे जाते हैं। प्रति वर्ष जब अन्य लेखों का परीक्षण होकर उनको विधान सभा पटल पर रखा जाता है तो विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए जो धन प्राप्त होता है उनका ब्योरा भी दूसरे ब्यौरों की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाय और माननीय अध्यक्ष की अनुमति से लोक लेखा समिति और पी०यू०सी०, उनका परीक्षण करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुझे खेद है कि मेरी बात मेरे योग्य मित्र तक नहीं पहुंच पायी। वह विद्वान हैं, पी०ए०सी० के चेयरमैन भी हैं। पता नहीं किसने उनको गलत फीड कर दिया। मान्यवर, विश्व बैंक एक एजेंसी है.। इसी तरह से दूसरी एजेंसियां हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक भी एक एजेंसी है और न जाने कितनी एजेंसी होंगी। यह बाहर का पैसा विभाग को क्या सरकार को भी सीधे प्राप्त नहीं होता है।

हमारे अधिकारी योजनाओं के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं । उनके बारे में मीटिंग कर सकते हैं । जब परियोजना स्वीकार हो जाती है तो उसका सारा धन केन्द्र सरकार के माध्यम से आता है और वह सामान्य बजट का हिस्सा होता है । जब वह सामान्य बजट का हिस्सा हो गया तो जिस प्रकार से अन्य व्ययों के सम्बन्ध में व्यवस्था है वह इस पैसे पर भी लागू होती है । कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि विश्व बैंक सीधे पैसा दे रहा हो और विभाग तथा अधिकारी उसे खर्च कर रहे हों । पैसा बजट के माध्यम से खर्च होता है यह मेरा कहना है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह संवैधानिक विषय है । मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीर चिंतन हो उसके बाद आप व्यवस्था दें । इस पर तत्काल व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर चिंतन नहीं किया गया है । जो सामान्य प्रक्रिया चल रही है उसकी जानकारी करने के बाद मैंने उत्तर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा० अशोक बाजपेयी, माननीय प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत सूचना पर उनके द्वारा उसके समर्थन में कही गयी बातों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की पृष्ठभूमि में मैं समझता हूं कि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है । इसलिये यह सूचना निरस्त की जाती है ।

**सदन में प्रस्तुत याचिकाओं पर शासन द्वारा कार्यवाई के समय याची से सम्पर्क न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय अजय कुमार पोइया की है ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मेरी जो सूचना है.....

श्री अध्यक्ष–

जो याचिका आप प्रस्तुत करते हैं अगर कोई अधिकारी याचिकाकर्ता से सम्पर्क नहीं करता है तो इसमें 300 का प्रश्न कहां आता है ?

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो 15 लाख रुपया भेजा गया है वह सूर्यस्थली पर न लगाकर गांव में खर्च हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको आप संगत नियमों में उठायें । यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है । मैं इसको अस्वीकृत करता हूं । चौथी सूचना माननीय डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है । इसमें सुनने की आवश्यकता नहीं है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री ( श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह भी खुद डाक्टर हैं, इनको भेज दें । मौका मुआइना कर आयेंगे और अपनी जानकारी देंगे ।

**दिनांक 10 मई, 2000 को श्री रघुवर दयाल वर्मा के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का शोधन वक्तव्य**

* कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, दिनांक 10-5-2000 को श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2.....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[ के सम्बन्ध में डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "जो उत्पादन लागत है और प्रदेश ने जो लाभकारी मूल्य निर्धारित किया है उसके बीच का जो गैप है क्या प्रदेश सरकार सब्सिडी के रूप में कृषकों को दिलाने की कृपा करेगी ?"

2–उस समय सदन में उत्तर दिया गया कि "मान्यवर, वर्ष 1999-2000 के प्रोजेक्टेड अनुमान में गेहूं 473 रुपये 49 पैसे है और 500 रुपये रेट फिक्स किया गया ।" मान्यवर,473 रुपये 49 पैसे पर 500 रुपये मूल्य दिया गया है अतः किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है ।

3–उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :–

"वर्ष 1999-2000 के प्रोजेक्टेड अनुमान में गेहूं 473 रुपये 49 पैसे है और 580 रुपये रेट फिक्स किया गया है । मान्यवर, 473 रुपये 49 पैसे पर 580 रुपये मूल्य दिया गया है अतः किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है ।"

4–मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियां संलग्न है ।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के लिये श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क्या कृषि मंत्री जी को जानकारी है कि रासायनिक खाद, कृषि उपकरण, कीटनाशक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है ? | रासायनिक खाद के मूल्यों में वृद्धि हुई है । परन्तु कृषि उपकरण एवं कीटनाशक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है । |
| क्या यह भी सत्य है कि कृषि उपज के लागत व्यय में भी वृद्धि हुई है ? | जी हां । |
| यदि हां, तो क्या सरकार कृषि फसलों के समर्थन मूल्य में भी उसी अनुपात में वृद्धि करेगी ? | विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है । |
| यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | प्रश्न नहीं उठता । ] |

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

## नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3-5-2001 को नियम–311 में प्राप्त 4 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्री रघुवर दयाल वर्मा, डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है, जो प्रदेश की जनता को विभिन्न विनिवेश कम्पनियों द्वारा ठगे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

माननीय वर्मा जी का नाम दो सूचनाओं में है, एक नियम–311 की सूचना में और दूसरा नियम–56 की सूचना में, स्वाभाविक है कि एक सूचना हट जायेगी ।

श्री राम अचल राजभर जी आपकी दो सूचनाएं हैं क्रम संख्या 7 पर जो आपकी सूचना है उस पर आपको सुन लेंगे ।

अब मैं पहली सूचना ले रहा हूं । इस पर तीन माननीय सदस्य बोलें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस प्रदेश में गम्भीर समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि चिट फण्ड के नाम पर पूरे प्रदेश में लोग कम्पनियां खोल लेते हैं, बैंक भी खोल लेते हैं । हजारों की संख्या हमारे गरीब निदेशकों की और मध्यम वर्ग के निवेशकों की जो ब्याज के लालच में वहां पूंजीनिवेश कर देते हैं, करने के बाद पूरा का पूरा पैसा लेकर यह चिट फण्ड वाले और बैंक हजम कर जा रहे हैं । इतनी गम्भीर स्थिति बन गई है, एक नहीं इसके अनेक उदाहरण हैं और यह प्रदेश में एक प्रकार का धन्धा चल गया है । यह सेंचुरी कन्सलटेंट जो मार्च में 200 करोड़ से अधिक रुपया निवेशकों का लेकर भाग गई और उससे पूरे लखनऊ और पूरे देश में असर पड़ा । बम्बई में भी एक तरह का हड़कम्प मच गया है । सेंचुरी कन्सल्टेंट वालों का एक बैंक भी सिटी कोआपरेटिव बैंक था इन दोनों में हमारे निवेशकों में बड़ी तादात में सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें पूंजी निवेश में लगा दिया लेकिन अफसोस की बात है जब उसके उदाहरण पहले से मौजूद हैं कि जे० वी० जे० कम्पनी, कुबेर गोल्ड फारेस्ट कम्पनी, तमाम छोटी छोटी कम्पनियां जिनके अनगिनत नाम हैं सब नाम लेना सम्भव नहीं है । यह देखा जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपया इस प्रदेश से बल्कि हजारों करोड़ रुपया एक हजार करोड़ से कम रुपया नहीं होगा पिछले पांच साल में निरीह निवेशकों की इन कम्पनियों ने हजम कर लिया । विडम्बना यह है कि यह पैसा हजम करने के बाद भी इनके विरुद्ध आज तक कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हो पाई है जिससे यह डिटरेंट बने दूसरे लोगों को जिससे कुछ लगे ।

दुर्भाग्य यह है कि रिजर्व बैंक ने और भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सके ।

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

यह चिन्ता की बात है । बहुत से लोगों ने आत्महत्यायें तक कर लीं । बहुत से लोगों की शादियां तक नहीं हो सकीं । बहुत से लोग जो रिटायर हो गये थे रिटायरमेंट के बाद जो लोग मिलेटरी में काम कर रहे थे उनका पूंजीनिवेश भी चला गया । 16 मार्च को ए० के० जौहरी इस देश से कहीं दूसरी जगह

फरार हो गया । प्रदीप माथुर था, यह मामला सी० बी० आई० को सौंपने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है । दुख की बात यह है कि अगर इस तरह से होता रहा तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बहुत से और नाम आने वाले हैं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन चिटफण्ड वालों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाय और सेंचुरी कंसल्टेंट के मलिकों की गिरफ्तारी कर इस देश में लाकर उन पर मुकदमा चलाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि इस सूचना पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और माननीय अध्यक्ष जी ने अभी आग्रह किया है कि कोई तीन माननीय सदस्य बोल लें तो मेरे विचार से सभी दलों के नेताओं को अवसर दे दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह साधारण प्रकरण नहीं है और इसकी गम्भीरता को भी समझना होगा । उत्तर प्रदेश के इतिहास में गत वर्षों में मैं नहीं जानता कि कोई प्रकरण आया हो जिसमें 400 से 500 करोड़ रुपये तक जमाकर्ताओं का धन आहरित करके फरारी न हुई हो और मान्यवर इसमें इस सरकार और प्रधान मंत्री कार्यालय की सांठगांठ है मैं इस आरोप को दोहरा रहा हूं कि इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र में बैठे प्रधान मंत्री कार्यालय की सांठगांठ से 400 करोड़ रुपये जो गरीब और मध्यम वर्ग का धन था, डुबाया गया है । जरा एक घटना देख लें । इधर भूकम्प आता है और उधर बदला स्कीम चलाई जाती है । पिछले दो तीन वर्षों में 50 से 60 कम्पनियां लखनऊ में स्थापित हुई और जब हम इनकी बात इन सदन में उठाते हैं तो आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा । बदला स्कीम के तहत 20 से 25 प्रतिशत ब्याज की रकमें बनाई गई । कमल इम्फोसिस बनाई गई । सेन्चुरी कन्सल्टेन्ट के साथ साथ फाइवर स्पेस के नाम से एक कम्पनी आई और इस सरकार ने उसे बगैर जाने समझे पार्क बनाने के लिये 25 एकड़ जमीन दे दी । 26 जनवरी को गुजरात में भूकम्प आता है पूरी दुनियां पूरी मानवता पूरा देश कराह उठता है सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिये जाते हैं कहीं न कहीं कोई तो बड़ा होता है इसका प्रमाण था । 31 तारीख को प्रधान मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर सेंचुरी के रंगारंग कार्यक्रम में भाग लेते हैं । उस कार्यक्रम के तहत सेंचुरी के मालिक जौहरी और माथुर के साथ प्रधान मंत्री जी का फोटो अखबारों में छपता है और इसी का फायदा उठाकर सेंचुरी के शेयर 10 से 14 में कर दिये जाते हैं और फिर 16 मार्च को यह कम्पनी चली जाती है ।

मान्यवर, यह सरकार केवल दो चीजें बता दें । पहली यह कि 16 मार्च से 15 दिन पहले इस कम्पनी ने किस-किस राजनेता अधिकारी का पैसा लौटाया आखिर राजनेता और अधिकारियों पर ही यह कम्पनी इतनी क्यों मेहरबान हो गई कि भागने से पहले उनका पैसा लौटा दिया । मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि यह उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदार है, इस पर कोई दाग नहीं है, तो इसी सदन में वह सूची रख दे जिसमें कि जमाकर्ता कौन-कौन हैं ? किस-किस का पैसा बकाया है । जमाकर्ताओं की सूची आपके पास आ जायेगी । आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ जायेगा कि माथुर और जौहरी इन दो प्यादों के पीछे सरकार के किन-किन माफियाओं का हाथ था । मान्यवर, देखा नहीं जाता है जब एक औरत रोती हुई आती है जिन्दगी भर जो एक शिक्षक रही अपनी जिन्दगी की पूरी जमा पूंजी इसमें इसलिये लगा दी कि हमने सोचा जौहरी और माथुर की इस संस्था का उद्घाटन प्रधान मंत्री जी ने अपने हाथों से किया है तो यह विश्वसनीय होगी, प्रतिष्ठित होगी । मान्यवर, आप उस कुर्सी पर बैठकर न कहें लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे इस विषय में किसी ने आकर

शिकायत न की हो । पिछले दो तीन सालों में ऐसी पचासों संस्थाएं जनता का पैसा लेकर भाग गई हैं । हमने मान्यवर, सी० बी० आई० जांच के लिये कहा था, महामहिम राज्यपाल से मिलकर, सरकार से मिलकर, मुख्य मंत्री जी से मिलकर कहा था कि इसकी सी० बी० आई० से जांच करवायें । लेकिन इन्होंने सी० बी० आई० को इसकी जांच नहीं सौंपी ।

उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें क्या कर लेती ? क्या बम्बई जाकर उसकी जांच कराते, कर्नाटक जाकर इसकी जांच करते । हमने कहा कि यह वित्तीय घोटाले का मामला है इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम नहीं है । इसको सी० बी० आई० को सौंप दें, लेकिन इन्होंने एक डेढ़ महीने तक इसकी जांच सी० बी० आई० को नहीं सौंपी । उनको पर्याप्त मौका दिया कि यह किसी तरह से भाग जायं । मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि जिनसे मेरी मंशा साफ हो जायेगी । मेरा तो कहना है कि सेवी जो संस्था है उसकी जांच हो कि उसका कितना हाथ है इसमें । दूसरा यह है कि प्रधान मंत्री कार्यालय से इसका क्या संबंध है, इसकी भी जांच हो ताकि सामने आ जाय कि किसका-किसका इसमें हाथ है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वन टाइम सैटेलमेन्ट की । आप भी परिचित होंगे, हम भी परिचित हैं । जनता का जितना पैसा है ब्याज के साथ उतना नहीं तो कुछ तो मिले । रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ गारन्टी के नाम पर इस संस्था के एक पार्टनर जो पकड़ में आये हैं, उनके साथ बैठकर जनता की जो गाढ़ी कमाई इन्होंने हड़प ली है, वह कुछ न कुछ वापस दिलाने का काम किया जाय । हम जानना चाहते हैं कि इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । मैं विनम्रतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं दृढ़ता दिखानी पड़ेगी । इन सफेदपोशों, नौकरशाहों जिन्होंने प्रजातंत्र को जो खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनके चेहरों पर पड़े पर्दे को हटाकर उन्हें बेनकाब करें । सेन्चुरी कन्सलटेंट कम्पनी में जो जमाकर्ताओं की सूची है वह सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाय तो बहुत से चेहरे देखने लायक नहीं रह जायेंगे । 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ उनके पास कहां से आया जिन्हें अभी नौकरी में आये मुश्किल से 10-15 साल हुए हैं । इन्होंने यह 70-80 लाख रुपया कहां से जमा किया है । इसमें दिक्कत क्या है । इन जमाकर्ताओं की सूची प्रकाशित की जाय । सेवी जो संस्था है, उसका जो रोल रहा है इस कम्पनी में उसकी जांच की जाय । वन टाइम सैटेलमेन्ट के लिये हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं ।

सरकार यह भी बताये कि डेढ़ महीने तक अभियुक्तों को भाग जाने का मौका क्यों दिया । अमौसी एयर पोर्ट पर जो गाड़ी खड़ी थी, उसका मालिक कौन है ? उसका अभियुक्त के साथ क्या संबंध है । जौहरी और माथुर ने जिनसे टेलीफोन पर बात की वह राजनीतिज्ञ और अधिकारी कौन हैं, जिससे यह निरन्तर सम्पर्क बनाये रहे । यह पुलिस के बस की बात नहीं है । 400 करोड़ रुपये जो कि इस प्रदेश की जनता की मेहनत की कमाई है उसका मामला है । यह कहा जा रहा है कि वह भारतवर्ष की धरती पर है, इतना ही काफी नहीं है, इसमें आप हाथ नहीं डालना चाहते कि कहीं इसके तर्क और तार प्रधानमंत्री कार्यालय तक न मिल जायं । 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के दिन गुजरात में भूकम्प की त्रासदी से लोग कराह रहे थे । वहां पर मानवता कराह रही थी और यहां पर प्रधान मंत्री सेंचुरी कन्सलटेंट का अपने कर कमलों से उद्घाटन कर रहे थे । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय कि केन्द्र सरकार में प्रधान मंत्री कार्यालय की इसमें कहां तक कितनी भूमिका है, यह सब सी० बी० आई० की जांच से ही निकल सकता है, प्रदेश सरकार की इसमें क्या भूमिका है, इसमें जमाकर्ताओं के नाम की सूची भी प्रकाशित की जाय । इसके साथ ही वन टाइम सेटलमेन्ट के बारे में सरकार विचार करे कि किस तरह से किया जाय । आप स्वयं उस सीट पर बैठकर, मान्यवर, अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपना निर्णय दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, लखनऊ में प्रदेश की राजधानी में करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी, पूंजीनिवेश के नाम पर सेंचुरी कंसलटेंट की संस्था घपला कर जाए जहां हमारे प्रदेश के मुखिया और सभी विभागों के मुखिया बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे घपला हो जाए तो जनता में उत्सुकता पैदा होती है । जो कम्पनी बनी उसमें पूंजी निवेश के लिये जिन लोगों ने पैसा जमा किया, पैसा जमा करने के बाद बैंक की गारन्टी दी गई । बैंक में पैसा जमा हुआ । उसके बाद उन लोगों का पैसा लखनऊ से सीधे चला जाए और पता न चले कहां पैसा गया, कौन ले गया । वह व्यक्ति जो घपला करने वाले हैं, वह बाहर चले जाएं यह चिन्ता का कारण है । इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं ? यह प्रश्न खड़ा हो जाता है और एक खतरा हम लोगों के लिये अब है कि कौन पूंजी निवेश के लिये आकर्षित किया जाए । कौन आगे आवे ? पूंजीनिवेश में आगे आने के लिये किससे कहा जाए । इस तरह की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं इसमें एक कारण बनता है । सबसे बड़ा कारण है सरकार इन संस्थाओं के आगे अक्षम है, उनके सामने सरकार बौनी पड़ गई है इसलिये उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई ।

जब पहली दूसरी घटना लखनऊ या उसके आस-पास हुई थी, रुपया लेकर संस्थायें चली गई थीं, यदि उनके खिलाफ फौरी कार्यवाही होती तो वह रुपया वापस करते, उनको जेल में डाला जाता तो निश्चित रूप से सेंचुरी कन्सलटेंट को करोड़ों का घोटाला करने का अवसर न मिलता । इसके पीछे सोची समझी चाल है । जो इस प्रदेश में पूंजी निवेश के नाम पर घपला करना चाहता है और लोगों की जेबों से पैसा निकालना चाहते हैं । ऐसे घोटालों को दो-तीन व्यक्ति नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें उच्च संरक्षण प्राप्त नहीं होगा । जिनका संरक्षण प्राप्त है उनकी जांच होनी चाहिये । जो इन्क्वायरी सी० आई० डी० को दी जाती है, वह कोल्डस्टोरेज में डाल दी जाती है, शीतगृह में पड़ी रहती है । जब मौका मिलेगा तो निकालेंगे शीतगृह का लाभ जिसने पैसा हजम किया है उसको मिलता है । इनक्वायरी का लाभ कब मिलेगा, हम लोग नहीं कह सकते हैं । यह जो कोल्ड स्टोरेज में डालने की नीति है यह सही नहीं है । हमारे यहां पुलिस की व्यवस्था है क्या ऐसे घपलों में त्वरित कार्यवाही करने के लिये पुलिस अक्षम है या सरकार का विश्वास उठ गया है । सी० आई० डी० को मामला देना फिर उपयुक्त अवसर प्रदान न करना कि उसको प्राथमिकता पर लिया जाय, यह तो सरकार की व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है और करोड़ों रुपयों का ठगी का मामला है । इसमें सरकार में बैठे लोग और सरकार की नाक के नीचे जो लोग बैठे हैं जिनका संरक्षण प्राप्त है । इसकी जांच होनी चाहिये और जिन लोगों का रुपया गया है उनके नाम प्रकाश में आने चाहिये । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों पर फौरी कार्यवाही हो जिससे जनता के मन में विश्वास पैदा हो कि ठगी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सेन्चुरी कन्सलटेंट द्वारा 250 करोड़ रुपये की ठगी की गयी इस प्रदेश की गरीब जनता और भोले लोगों को गुमराह करके उनका पैसा जमा कराया गया और उसके बाद जिस

तरीके से पैसा लेकर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स फरार हुए । उन्होंने सिटी बैंक में पैसा जमा किया और निकालकर फरार हो गये । निवेशकों के पास अब इससे ज्यादा कोई चारा नहीं है कि सरकार, पुलिस और थानों के चक्कर लगाता फिरे । इसमें तमाम निवेशकों ने निवेश किया । मान्यवर, सेन्चुरी कन्सलटेंट यह पहली एजेन्सी नहीं है जिसने यह कार्य किया है । इससे पहले भी जे० वी० जी०, राप्ती लीजिंग कम्पनी, कमल इन्फोसिस यह थी । यह प्रक्रिया प्रदेश में निरन्तर चल रही है । यह जो कन्सलटेंट और लीजिंग फाइनेंस कम्पनियां हैं यह उन सामान्य लोगों से नहीं है यह सत्ता की छतरी के नीचे भरपूर संरक्षण प्राप्त लोगों की है जो अच्छे और मजबूत रिश्ते के आधार पर लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, 250 करोड़ की डकैती डालकर चले गये ए० के० जौहरी और प्रदीप माथुर का अभी तक कोई पता नहीं लगा पाये हैं और महीने भर से ऊपर उनको मौका दिया गया, और अन्त में सी० बी० आई० को सौंपा । बार-बार फाइनेंस कम्पनियां निवेशकों का पैसा लेकर चली जाती हैं ।

मान्यवर, इसमें रिजर्व बैंक की कुछ गाइड लाइन्स हैं । जो व्यवस्था है वह यह है कि फिक्सड पेड अप कैपिटल 50 लाख की जमा कर दें और इसके विरुद्ध आप डेढ़ गुने से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि 75 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते हैं । लेकिन आर० बी० आई० से मिलकर अरबों का निवेश करते चले आ रहे हैं । मान्यवर, इसमें समय-समय पर आर० बी० आई० के द्वारा मानिटरिंग की व्यवस्था है । लेकिन वह भी नहीं हो रहा है । इसमें पहले वे हफ्ते, पन्द्रह दिन, महीने और फिर वार्षिक विवरण लेखे पत्र जमा करेंगे और आर० बी० आई० मानीटरिंग करेगा लेकिन इसकी औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है । दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी है यह इसका मूल्यांकन करती है यह मनमाने ढंग से कराया जा रहा है । एक और सेवी संस्था है, जो कि अर्धशासकीय संस्था है, उसके डायरेक्टर, डी० आर० मेहता है यह सारे लोग मिलकर कर रहे हैं । उनकी स्वीकृति के बिना क्योंकि जो सेवी है उसका काम है शेयर की वैल्यू निर्धारित करना और यह सारी सांठगांठ के चलते उनको लूट का पूरा अवसर दिया गया है । मान्यवर, जब उसमें प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन हो तो निवेशकों के मन में एक विश्वास जम जाना स्वाभाविक है । यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है जहां पर कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है वहीं की जनता की खुली लूट हो वहां के निवेशकों की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा जाये । मान्यवर, उच्चाधिकारियों का पैसा इसमें लगा हुआ है और उनका संरक्षण है । इसलिये महीनों महकमें की पुलिस कार्यवाही नहीं कर पायी है । प्रदेश सरकार मौन बैठी रही । दो साइबर पार्क आगरा और लखनऊ में बनाने का ठेका उनको दिया गया सेन्चुयरी कंसलटेंट को । कल और कं० जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर भाग सकती है । मान्यवर, सरकार इसमें कोई नीति बनाये उत्तर प्रदेश की सरकार का इन पर कोई अंकुश और वित्तीय अनुशासन कायम हो । समय समय पर लेखों का परीक्षण होता रहे । कोई अधिकारी इस विशेष कार्य के लिये इंगित किया जाय कितनी निवेश की सीमा है कहां पर पैसा लगाया गया है आज सारा पैसा बड़े बैंकों को छोड़कर सिटी कोआपरेटिव बैंक में लगाया गया है । मालिक वही हैं जो सेन्चुरी कंसलटेंट के हैं । तो उत्तर प्रदेश सीमा में जो भी वित्तीय कम्पनियां चलाई जायें उन पर नियंत्रण हो । यह लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो प्रधान मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, हजारों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इस कम्पनी में निवेश किया । मान्यवर, जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने इनके द्वारा प्रायोजित पार्क का उद्घाटन किया, वह जनता के लिये इसमें निवेश का एक कारण बना । मान्यवर, क्या हर बार प्रदेश में इसी तरह से सामान्य जनता लुटती रहेगी । अगर वह किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आकर्षक ब्याज दर पर जनता का पैसा निवेश करायें और सरकार उसको बेजान करे तो आम व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि यह फाइनेंस कम्पनियां कानूनी ढंग से स्थापित की गई हैं । इसमें जनता का 400–500 करोड़ रुपये जमा हुआ है और वह साइबर टेक्नालॉजी पार्क बना रही है ।

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं प्रधान मंत्री कार्यालय तक इसी बावज गुहार की गई । आर०एस०एस० के लोग लगे हुए हैं । मान्यवर, उनका पैसा निकालने के लिये प्रशासन क्या कार्यवाही कर रहा है इसका क्षोभ आक्रोश जनता ने व्यक्त किया है प्रधान मंत्री तक । 15-16 मार्च को कम्पनी फरार हुई है । इस पर आप चर्चा करा दें, यह लोक महत्व का प्रश्न है ।

* श्री अखिलेश कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में परम्परा बन गई है जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने की वह गाढ़ी कमाई चाहे वर्तमान सरकार लूटे, चाहे अधिकारी लूटे, चाहे नौकरशाह लूटे, चाहे फाइनेन्स कम्पनियां लूटे । क्या कारण है कि 4 सालों के अन्दर उत्तर प्रदेश के अन्दर 50 फाइनेन्स कम्पनियां रजिस्टर्ड हुई और सारी की सारी कम्पनियां पैसा लेकर भाग गई । यह बहुत गम्भीर मसला है । 400 से 500 करोड़ का गबन इस कम्पनी ने किया और मान्यवर, जब यह कम्पनी का यहां उद्घाटन हुआ तो माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी, प्रधान मंत्री जी आये तो उस समय 10 रुपया इस कम्पनी का शेयर था और यह बढ़कर रातो रात 14 रुपये हो गया । हजारों लोग मान्यवर, इससे प्रभावित हुए हैं । जब कम्पनी गबन करके पैसा लेकर भाग रही थी तो लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और सी०बी०आई० की मांग कर रहे थे लेकिन डेढ़ महीने तक इस प्रदेश की सरकार सोती रही और जब ये अपराधी भाग गये तो डेढ़ महीने के बाद सी०बी०आई० को इन्क्वायरी के आर्डर दिये । मान्यवर, यही नही 25 एकड़ जमीन सेन्चुरी कन्सलटेंट को पार्क बनाने के लिये साइबर स्टेट को दिये गये, जो इसकी संस्था है, तो इसका क्या कारण है ? यह एक गम्भीर मसला है हम जानना चाहते हैं कि पी०एम०ओ० से इस कम्पनी का क्या रिस्ता है आर०एस०एस० की संस्था विश्व संवाद केन्द्र से इसका क्या रिस्ता है और भाउराव देवरस संस्था से इसका क्या रिश्ता है ?

मान्यवर, आप मुस्करा रहे हैं, मान्यवर, खुशी तो तब होगी जब इन हजारों लोगों के चेहरों पर भी मुस्कराहट होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसलिये नहीं मुस्करा रहा हूं मैं मुस्करा रहा हूं जैसे ड्रामें में प्राम्पटेन होता है वह प्राम्पटिंग करता है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, इसमें असंसदीय तो कुछ है नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

असंसदीय होता तो मैं मुस्कराता नहीं नाराज होता । अब आप समाप्त करें । दो मिनट हो गये हैं, आप बैठें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सेन्चुरी कंसलटेंट का जो घोटाला है इसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, यह सेन्चुरी कंसलटेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का क्या नियंत्रण इसके ऊपर है और जो कांड हुआ उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया ? मान्यवर, 1934 का रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट है जिसके अन्तर्गत नान फाइनेन्सिंग बैंकिंग है उसमें उनको रेगुलेट करने का दायित्व रिजर्व बैंक का होगा, यह दिया हुआ है। उसके बाद कुछ तथ्य प्रकाश में आये, कुछ घोटाले की शिकायतें हुईं तो इसको संशोधित कर 1997 में यह प्राविधान किया गया कि ऐसी जो नान फाइनेन्सियल कम्पनी हैं उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया ! प्रदेश में पहले भी कई घटनायें हुई थीं, प्रदेश सरकार दायित्व क्या निभाये, यद्यपि हमारा उस पंजीकरण से कोई संबंध नहीं था ! एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्रदेश सरकार में उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। संभवतः उनको जानकारी यह होगी कि रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का है उसके अन्तर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा या किसी कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इनका रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक के अन्तर्गत होता है और रजिस्ट्रेशन 1997 से प्रभावी हुआ है, इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है ! इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने बार-बार प्रेस विज्ञप्ति जारी करके निवेशकों को आगाह किया, कि ऐसी कम्पनी में निवेश करने से पहले जानकारी कर लें और यदि पैसे का भुगतान न हो रहा हो अथवा यह शंका हो कि गबन हो सकता है तो पुलिस, प्रशासन, शासन को अवश्य जानकारी दें। एक बार नहीं, अनेकों बार प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा यह आगाह किया गया।

अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, यह बता दूं। जब आकर्षण पैदा होता है कि आज हम 100 जमा करेंगे तो इतनी जल्दी 200 हो जायेंगे तो सारी प्रेस विज्ञप्ति और सारे दावे खोखले होकर रह जाते हैं और लोग बराबर पैसा निवेश करते रहते हैं और ऐसे लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं। इसके लिये हमनें "प्रोटेक्शन आफ इंट्रस्ट आफ डिपाजिटर्स इन फाइनेन्शियल इस्टैबलिशमेंट" बिल तैयार किया है प्रदेश सरकार ने स्वयं यह बिल तैयार किया है यह विचाराधीन है और शीघ्र ही इस बिल को विधान मण्डल में लायेंगे ताकि आगे के लिये प्रदेश सरकार को यह अधिकार मिल जाय कि वह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सके। कुछ आरोप लगाये गये कि गबन होता रहा, लोग भागते रहे, पैसा ले जाते रहे,गाड़ी एयरपोर्ट पर छोड़ते रहे, कुछ देखते रहे, कुछ नहीं देखते रहे, ऐसी बातें काफी विस्तार से कही गईं। मैं बताना चाहूंगा कि पहली एफ०आई०आर० श्रीमती सुमन पाण्डेय व 26 दूसरे वादी उसमें हैं, उनके द्वारा 21 मार्च, 2001 को दायर की गई, जैसे ही एफ०आई०आर० दायर होती है, उसके बाद 7-8 केस और दायर हुये, इन सारे मुकदमों को पंजीकृत करके तुरन्त एडीशनल एस०पी० के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और उस टीम को उसके सदस्यों को यह अधिकार दिया गया कि यहीं नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाने का अधिकार है और जैसे भी हो, उनको गिरफ्तार करो। इसके बाद तफ्तीश जारी हुई, तफ्तीश में सारी की सारी जानकारी आई और जब यह देखा गया कि टीम के कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है तो 21 मार्च को मुकदमा दर्ज होता है और 4 अप्रैल को प्रदेश सरकार की ओर से स्वयं पत्र भेजा जाता है कि मामला सी०बी०आई० को दे दिया जाय। आरोप लगाया गया कि डेढ़-दो महीना हो गया। 11 अप्रैल को सी०बी०आई० ने इस मामले को टेकओवर कर लिया।

माननीय विद्वान नेता, कांग्रेस ने मांग की कि सूची हमारे सामने रखी जाय, कितने पैसे जमा हैं, सब बताया जाय । अब मान्यवर, एक केन्द्रीय एजेन्सी सारे प्रकरण की जांच कर रही है, यह चाहते हैं कि जांच बाद में हो, पहले सूची हमारे सामने लाई जाय, अभियुक्त गिरफ्तार बाद में हों, पहले सूची यहां लाई जाये, जिनका पैसा जमा था, उनके हितों की रक्षा के लिये कुछ करने की आवश्यकता नहीं । सूची तो आपके पास हो सकती है, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे तो कोई काम बचा नहीं, विद्वान सदस्य हैं । अब इस समय सी०बी०आई० जांच हो रही है । जहां तक हमारी टीम का प्रश्न है, 6 तारीख को राकेश टण्डन, जिसके खिलाफ बहुत सबूत थे, को गिरफ्तार किया गया, आज वह जेल में हैं, सी०बी०आई० भी उससे जानकारी कर रही है । इस मामले में पी०एम०ओ० का नाम घसीटा गया, संस्थाओं का नाम लेकर कहा गया कि उनका लेना-देना है । मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें पी०एम०ओ० का कोई लेना-देना इसमें नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

जमाकर्ताओं का नाम बताने में जांच प्रभावित हो रही है, हम कोई चोरों का नाम तो पूछ नहीं रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं जमाकर्ताओं के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह तरीका नहीं होता, मैं खड़ा हुआ हूं और मान्यवर इस तरह व्यवधान पैदा करना उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद जी आप बैठें, यह अंकित नहीं किया जायेगा । आपको बाद में बुला लेंगे अगर ठीक होगा तो अंकित किया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक केन्द्रीय एजेन्सी, सी०बी०आई० जांच कर रही है, क्या मैं उससे कहूं कि वह सूची हमें दे दें । माननीय नेता कांग्रेस को इसकी आवश्यकता है । जांच के बाद जो जानकारी की अपेक्षा की जायेगी हम देंगे । मान्यवर, साइबर टेक्नॉलोजी पार्क की स्थापना के संबंध में यहां पर बात आई । जब जानकारी में आया कि ये ठीक लोग नहीं हैं, हेरा-फेरी करने वाले लोग हैं मैंने तुरन्त निर्देश कर दिये, जो भू-खण्ड उन्हें आवंटित किया गया था उसे निरस्त करने की कार्यवाही की ।

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, बिना किसी परीक्षण के उनको साइबर पार्क के निर्माण के लिये अनुमति क्यों दे दी गई ?

श्री अधिष्ठाता–

जब संसदीय कार्य मंत्री अपने आसन पर विराजमान हो जाये तब कह लें ।

श्री हुकुम सिंह–

जब कुछ प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आये हमने कार्यवाही यह की कि अनुबन्ध को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी । प्री योजना हेतु जो भू-खण्ड दिया गया उसको न देने के लिये हिदायत दे दी । यह सरकार की प्रतिबद्धता थी, सरकार ने तीव्र गति से कार्यवाई की अगर और कोई सरकार होती तो हजारों का घोटाला हो जाता और जांच ठंडे बस्ते में पड़ी होती । हमने फैसला किया है, आवश्यकता पड़ी तो जांच के बाद उन्हें जेल भी भेजेंगे । केवल यही सरकार यह काम कर सकती है । मान्यवर, इसे कार्य स्थगन के रूप में निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात तो स्वीकार कर ली कि जिनको हमने साइबर पार्क बनाने को दिया था, जब इन्हें पता चला कि वह ठीक लोग नहीं हैं, हेरा-फेरी करने वाले लोग हैं, तब जमीन वापस ले ली । आपने मान लिया कि उनका चाल-चलन ठीक नहीं है । अगर इन लोगों ने पहले भी 2-4 पार्क इस तरह के बनाये होते, उन्हें अनुभव होता तब तो साइबर पार्क का ठेका देने की बात समझ में आती । मैं जानना चाहता हूं कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने साइबर पार्क का ठेका दिया जिसमें 26 प्रतिशत की भागीदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है और 74 प्रतिशत की भागीदारी उस कम्पनी की है, यह जिन परिस्थितियों में दिया गया ? मान्यवर, उसके बाद 16 मार्च से लखनऊ में लाइन लगने लगती है, लखनऊ में पहली एफ०आई०आर० 21 मार्च, 2001 को होती है, 4 अप्रैल को सरकार चिट्ठी लिखती है । 16 दिन जिस अधिकारी ने जांच की मैं उस अधिकारी की बहादुरी की दाद देता हूं । इसके सूत्र क्या हैं ये कौन लोग हैं । जो 16 दिन की जांच हुई । उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जांच कराई । उससे पता चल जाये यह अधिकार तो है जानने का कि बैंक में किसने अपराध किया । आपको जमाकर्ताओं की सूची देने में क्या दिक्कत है और दूसरा विश्व संवाद केन्द्र को इन्होंने चेक के द्वारा पेमेंट किया है ।

मान्यवर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं जौहरी और माथुर जो संचालक हैं, प्रधान मंत्री के साथ कार्यक्रम किन लोगों ने लगाया । साइंबर पार्क का ठेका लिया, किन लोगों के नाम लिया गया । मान्यवर, टाटा कन्सलटेंसी देश की एक प्रतिष्ठित कम्पनी है । बंगलौर की दो कम्पनियां हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं बैठ जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, टाटा कन्सलटेंसी को ठेका नहीं दिया गया और लूटेरे लोगों द्वारा उस कम्पनी को सह दी गई जिन्होंने सह दिया है वह भी लुटेरे हैं। विश्व संवाद केन्द्र और भाऊराव देवरस केन्द्र से उनका क्या संबंध है ? लोकतांत्रिक ढंग से जितना विरोध प्रकट कर सकता हूं, वह करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जायें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक बात तो यह पूछना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जोरदारी से कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, मार्च का मामला है मई आ गया मा० मंत्री जी कार्यवाई कर रहे हैं। कहते हैं कि मामले को सी०बी०आई० को सुपुर्द कर दिया गया है (क्या रिजल्ट निकला) निवेशकों में चिन्ता है। दूसरी बात है क्या प्रभावी कार्यवाही किया गया। प्रधान मंत्री का कार्यक्रम लगा, यह प्रधान मंत्री जी का लोक सभा क्षेत्र भी है, कार्यक्रम किन लोगों ने लगवाया, प्रधान मंत्री आ गये। मान्यवर, प्रधान मंत्री जी से क्या प्रदीप माथुर और जौहरी से सीधा संवाद था या किसके द्वारा प्रधान मंत्री ने यह प्रोग्राम किया ? दूसरी बात मान्यवर, वह सूची, जिन लोगों ने जमा कर रखी है बताने में क्या दिक्कत है जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताना नहीं चाहते हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गड़बड़ी जो कम्पनी द्वारा की गई, किस दिन सरकार के संज्ञान में आया जब प्रधान मंत्री जी का कार्यक्रम लगा या उससे पहले इनको जानकारी हुई या उसके बाद हुई ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 31 मार्च को मा० मंत्री जी ने कहा पहले एफ०आई०आर० दर्ज की गई, लेकिन एक महीना हो गया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जालसाजों के विरुद्ध क्या कार्यवाई किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने उनका नाम भी बता दिया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जब माननीय प्रधान मंत्री का कार्यक्रम जनवरी में लगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार के संज्ञान में मार्च में आया। इस बीच में दो महीने का समय निकल गया था। कोई जानकारी इस बात की नहीं थी कि कम्पनी गड़बड़ कर रही है। एफ० आई० आर० दर्ज हुई तब जानकारी में आया। एक प्रश्न यह आया कि एफ० आई० आर० दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की ? उत्तर प्रदेश सरकार ने एफ० आई० आर० दर्ज होते ही एक ए० एस० पी० की अध्यक्षता में टीम का गठन किया और एक अभियुक्त को 6 तारीख को गिरफ्तार कर लिया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह तथ्य आप बता चुके हैं। आप भी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी जो बातें कही गयी उसी का उत्तर दे रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका चौधरी जी, जो कह रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, स्थान ग्रहण करें। इस सूचना की ग्राह्यता पर माननीय सदस्यों ने विचार रखा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया। मैंने पुनः अवसर दिया कि किसी के मन में शंका हो या कोई नई बात कहनी हो तो कह लें, दुर्भाग्य से लगभग सभी बातों की पुनरावृत्ति हुई। संसदीय कार्य मंत्री जी जब उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो बिना मेरी अनुमति के आप खड़े हो गये। संसदीय कार्य मंत्री जी जब पुनरावृत्ति करने लगे तो मैंने स्वयं कहा। उन्होंने कहा कि दुबारा पूछा गया इसलिए उसका उत्तर दे रहे हैं। धैर्य होना चाहिए, उसको सुन लेते, सुनने के बाद कोई बात आती तो उत्तर आ जाता। अब अवसर देने का औचित्य ही नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप केवल जमाकर्ताओं के नाम पूछ लीजिए।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें जांच चल रही है, सी० बी० आई० के पास अभिलेख जा चुके हैं, यहां पर कोई अभिलेख नहीं है जिससे जमाकर्ताओं की सूची दे सकें। सारी जानकारी सी० बी० आई० के पास है। इसलिए कोई सूची देना सम्भव नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा जी को एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री राम प्यारे सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री श्रीराम यादव आदि अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और जमाकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने की मांग करने लगे)

(व्यवधान)

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

(शोर)

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

जो सदन के वेल से कहा जा रहा है वह अंकित नहीं किया जायगा। आप लोग अपने आसन पर जायं।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, यह अंकित नहीं किया जायगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

[× × ×]

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा।

एक सदस्य–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को निरस्त कर चुका हूं, कृपया आसन ग्रहण करिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर आप हमारे अधिकारों को संरक्षण नहीं देंगे तो जनता के सामने स्थिति कैसे स्पष्ट हो सकेगी। अगर यहां पर सवाल नहीं उठाया जायेगा, और उसका जवाब नहीं आयेगा तो प्रदेश की जनता को कैसे इसके बारे में जानकारी होगी ?

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने आसन पर जायें ।

(सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजे सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

(2 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहता हूं । अभी जब सदन स्थगित हुआ था तो सेंचुरी कन्सल्टेंट के संबंध में कुछ जानकारियां मांगी गई थीं हमारा सिर्फ एक अनुरोध है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस पीठ द्वारा सूचना निरस्त की जा चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद जी, इस सूचना का निस्तारण हो चुका है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए मुझे बोलने का अवसर दें । लगभग 400 करोड़ रुपये साधारण लोगों का डूबा हुआ है । मैंने सिर्फ दो जानकारियां चाही थी, पहली यह कि सरकार उन जमाकर्ताओं की सूची दे दे । आखिर एक महीने तक पुलिस ने जांच की है और सी० बी० आई० को जो पेपर दिये जाते हैं वह ओरिजनल तो दिये नहीं जाते तो फिर सरकार को जमाकर्ताओं की सूची देने में क्या परेशानी है ? यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहें तो एक दो या तीन या चार दिन में वह सूची आपके समक्ष रख दें यह आश्वासन दे दें । दूसरे जिनका पैसा डूबा है उनके बारे में विचार होना चाहिए । उनको पैसा दिलाने के रास्ते हैं । जिन संस्थाओं से लोन लिया गया है या अगर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री से अनुरोध करे कि जिनका पैसा लगा है अगर वह तैयार हो तो वन टाइम सेटेलमेन्ट करके कुछ पैसा तो दिलाया ही जा सकता है । आखिर कौन सफेदपोश लोग हैं जिनका करोड़ों करोड़ रुपया सेन्चुरी के पास जमा किया गया है । मेरे पास भी वह सूची है लेकिन मंत्री जी उसे मानेंगे नहीं ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

यह सूचना निरस्त की जा चुकी है ।

श्री हुकुम सिंह–

एक सूचना जिस पर निर्णय हो चुका है उस पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री प्रमोद कुमार–

ऊंची आवाज करके इसे दबाया नहीं जा सकता और जो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वे भी दोषी हैं और मैं तो कहूंगा कि वे [× × ×] हैं। जमाकर्ताओं की सूची कब दी जायगी ? आप आश्वासन दिलायें कि सूची कब तक सदन में ला दी जायगी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद जी आप नियमों के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। एक सूचना जो निरस्त की जा चुकी है, पीठ से व्यवस्था हो गई है, दोबारा उस पर व्यवस्था नहीं दी जा सकती है।

श्री प्रमोद कुमार–

पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा यहां नहीं होता।

श्री प्रमोद कुमार–

यदि आप ऐसा समझते हैं तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए और प्रधान मंत्री जी को भी त्याग-पत्र देना चाहिए। इस सरकार की गलत नीतियों के विरोध में मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है।

(तत्पश्चात् श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के सहित सदन का त्याग किया)

* श्री रामजग–

श्री अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह बहुत शर्मनाक घटना है। एक आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के परिवार और दलित महिला प्रधान के साथ बहुत गलत ढंग से कार्यवाही की गई। मैं स्वयं उस गांव में गया और जहां पर मैंने जांच की और सब कुछ सही पाया। असलियत यह है कि 24-4-2001 को आजमगढ़ जिले के ठिकमा ब्लाक में मोहन ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती निर्मला देवी उनके पति हैं महिन्दर और देवर हैं जीतेन्द्र। सी० डी० ओ० वहां गांव में गये थे प्राथमिक विद्यालय पर दलित महिला प्रधान को बुलवाया। वहां पर दलित महिला प्रधान हैं श्रीमती निर्मला। उस प्राथमिक विद्यालय में उसका पति और देवर मास्टर हैं। वहां पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सी० डी० ओ० ने कहा कि तुम्हारा रजिस्टर कहां है। उसने कहा, घर पर है, अभी ला रहे हैं, वह उठने लगी तो उसको उठने नहीं दिया और कहने लगे कि जवान महिला प्रधान कैसे हो गई ? और अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया। गांव वालों ने पूछा कि क्या बात हो गई इनके पति और देवर प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं, कौन सी गलती हो गई जो इस तरह से गाली गलौज दे रहे हैं। उसका देवर वहीं पास में खड़ा था। सी० डी० ओ० ने पूछा यह कौन है, लोगों ने बताया कि यह इसका देवर है। पहले सी० डी० ओ० ने कहा कि हमारे सामने चश्मा लगाकर खड़ा है फिर अपने गनर से कहा कि इसको धूप में ले जाओ। उनका गनर उसे धूप में ले गया और उससे कहा कि पचास बार कान पकड़ कर उठक-बैठक लगाओ। सी० डी० ओ० ने उसका चश्मा उतरवांने के लिए कहा। वह बेचारा खड़ा होकर धूप में उठक-बैठक लगाने लगा। 40 बार उठक-बैठक लगाने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा और पीने के लिए पानी मांगने लगा। पानी देने के लिए सी० डी० ओ० ने कहा

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको गिलास से पानी इस तरीके से पिलाओ कि गिलास छूने न पाये । जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सी० डी० ओ० साहब हमसे क्या गलती हो गई और वह रोने लगा । वहां पर सैकड़ों की जो भीड़ खड़ी थी वह भी रोने लगी । भीड़ ने भी सी० डी० ओ० से पूछा कि ऐसी कौन सी गलती हो गई तो उन्होंने कहा कि हम आई० ए० एस० अधिकारी हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे । सी० डी० ओ० ने महिला प्रधान से कहा कि [× × ×] आज से तुम इन्दिरा आवास नहीं बांट सकती हो, मैं बांटूंगा । सी० डी० ओ० के ऐसा कहने पर गांव के लोगों ने इसका प्रतिवाद किया तो सी० डी० ओ० ने अपने गनर से कहा कि इन दोनों को गाड़ी में बैठाओ । वहां से लाने के बाद चौराहे पर दोनों से उठक-बैठक लगाने के लिए कहा । कुछ देर तक तो वे लोग उठक-बैठक करते रहे उसके बाद वे बेहोश हो गये । भीड़ ने कहा कि गलती क्या हुई है तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और कहने लगे कि इसे न मास्टर रहने देंगे न इस महिला को प्रधान रहने देंगे । भीड़ ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने बी० डी० ओ० से कहा कि रिपोर्ट लिखवा दीजिये । बी० डी० ओ० ने कहा कि गलती क्या है, मैं तो कतई रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा । इसके बाद एक कागज पर हस्ताक्षर करवाकर चले गये ।

मान्यवर, आज इस तरह से पूर्वांचल में एक आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा सरेआम दलित महिला प्रधान की बेइज्जती की गई । ऐसे आई० ए० एस० अधिकारी को आजमगढ़ में एक भी दिन बने रहने का हक नहीं है । उसको तत्काल मुअत्तल करें या हटाएं और इस मामले की जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा । आजमगढ़ जिले में कमिश्नरी का कोई भी अधिकारी इसकी जांच न करे । वहां पर भी इनके रिश्तेदारी के लोग हैं । मान्यवर, यहां पर इस घटना को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश है, वे आन्दोलन कर रहे हैं और विरोध हो रहा है । सचिव स्तर पर किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराई जाय और ऐसे अधिकारी को, सी० डी० ओ० को तत्काल दण्डित करें ।

* श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न जो उठाया गया है तात्कालिक है । 24-4-2001 की घटना है अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है । अविलम्बनीय लोक महत्व की इसलिये है कि प्रधान एक जनप्रतिनिधि होता है पूरी गांव पंचायत का अध्यक्ष होता है । उसके साथ इस तरह की घटना सी० डी० ओ० द्वारा की गई । जबसे यह सरकार मान्यवर आई है, तबसे अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को लगातार उत्पीड़ित करने की कार्यवाही की जा रही है । अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश हो गये हैं ऐसा नहीं है कि इसका शिकार विपक्ष के लोग ही हो रहे हैं अधिकारियों की निरंकुशता का शिकार सत्तापक्ष के लोग भी हो रहे हैं । अगर इस पर नियंत्रण का काम नहीं करेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगेगा । जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से अमानवीय घटना, इस तरह से खुलेआम पिटाई करके जाति सूचक शब्दों को कहना, अपमानित करने का जो काम किया गया है इसलिए नियम 56 के अन्तर्गत मैं चर्चा की मांग करता हूं । साथ ही साथ इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जहां कमिश्नर की जांच की बात आई है, कमिश्नर उनकी रिश्तेदारी में है इसलिए न्याय हो सके विशेष रूप से अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ न्याय हो सके इसमें मांग करता हूं कि इसकी जांच सचिव स्तर के अधिकारी से कराने का काम करें । जांच के पहले उस सी० डी० ओ० को वहां से हटाएं उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करने का काम किया जाए यह मैं मांग करता हूं ।

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

एक अधिकारी विशेष के बारे में घटना का उल्लेख किया यह सही है कि किसी की शिकायत होगी तो वह करेगा, किसी को वेदना होगी तो वह अपनी वेदना को रखेगा ही, लेकिन उस शिकायत की आड़ में यह कहना कि प्रदेश सरकार जब से बनी है उनका मनोबल ऊपर हो गया है उनका मनोबल नीचे हो गया है यह सब कहने से घटना का प्रभाव जो होता है वह कम हो जाता है घटना विशेष तक सीमित रहे, घटना विशेष सही है निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए मैं मानता हूं। अब घटना क्या है आपने कहा इस घटना की सचिव स्तर से जांच कराएं। हमें जैसे ही जानकारी मिली आयुक्त आजमगढ़ जो यहां पर सिंचाई सचिव थे उन्होंने रिपोर्ट प्राप्त की है, हमने सी० डी० ओ० की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त की है वह सब रिश्तेदार हैं ? कोई आदमी इस दुनिया में ईमानदार भी रहा या नहीं ? हम किसी की वकालत नहीं करते हैं लेकिन जो सही बात है वह सामने रखेंगे हर आदमी पर शंका करना क्या ईमानदारी है ? यह तो ईमानदारी नहीं हो सकती है। श्रीमन्, 24-4-2001 में गांव है विकास खण्ड ठेकेमा, गांव है सरायजोन मुख्य विकास अधिकारी गांव में गये कुछ शिकायत आई। इन्दिरा आवास योजना के अन्दर व्यक्तियों को आवास आवंटन की बात आई शिकायत की जांच करने वह गये। ग्राम प्रधान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यह कहा गया, लेकिन जांच में आया कि उस समय ग्राम प्रधान वहां उपस्थित नहीं थी दूसरा आरोप लगाया, असलियत क्या है जब जांच हुई तो सामने आया। 12 आवासों के आवंटन का प्रकरण था। अपात्र अभ्यर्थी पांच पाये गये और पात्र अभ्यर्थी सात पाये गये। घटना वहीं से शुरू हुई। पात्र जो हैं उनको अपात्र लिखा जाए वह नहीं लिखे गये, न लिखने पर दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। बार-बार समझाया नहीं माने। केवल इतनी बात हुई। दो कांस्टेबिल बुलाये गये और उनसे कहा गया कि व्यवस्था बनाओ और उन्होंने व्यवस्था बना दिया। उस बात को लेकर कि अनुसूचित जाति के हैं उनको जातिसूचक शब्द कहे। मान्यवर, मैं जानता हूं कि वे ईमानदार अधिकारियों में से हैं। ऐसे ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिराने का काम करेंगे तो हम और आप शासन कैसे चला पायेंगे ? मान्यवर, ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा होनी चाहिए उनका सम्मान होना चाहिए। अगर इस फोरम का इस्तेमाल ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए करेंगे तो फिर इसका महत्व क्या रह जायेगा ? मान्यवर, यह जो आरोप लगाये गये हैं वह सब अनर्गल हैं। उन्होंने जो सही जांच की है उसका यह इनाम उन्हें मिला है कि उनके ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री राम जग–

मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं अगर एक भी आरोप गलत होगा तो मैं इस विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं। मेरा यह कहना है कि आप आयुक्त महोदय से जांच करा रहे हैं तो वह उनके रिश्तेदार हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना निरस्त हो गयी है।

श्री राम जग–

मान्यवर, अधिकारियों को बचाने का काम न किया जाय। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, ईमानदार कहकर उसे छूट न दी जाय । यह बड़ी दुःखद घटना है । अगर इसमें सत्यता नहीं पायी जाती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं । यह इनकी मानसिकता है, यह सह ही नहीं सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

तीसरी सूचना श्री राम प्यारे सिंह की है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, राम जग जी एक पार्टी के नेता हैं और एक इस सदन के सदस्य इस सीमा तक जाकर बात कर सकते हैं कि यदि यह सत्य न पाया जाय तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं तो इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है ?

(श्री राम जग सदन के फ्लोर पर आ गये)

अगर व्यक्तिगत रूप से किसी माननीय सदस्य की जानकारी में बात आयी है और तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए इतनी बात कहें तो इसको रूटीन में लिये जाने का काम न किया जाय । वे एक दल के नेता हैं, और अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहे हैं, इसको साधारण ढंग से न लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम जग जी कृपया अपने स्थान पर जायें ।

(श्री राम जग अपने स्थान पर वापस गये)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कहें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने सूचना के महत्व को देखते हुए रिपोर्ट मंगायी है उसके आधार पर यह बात आयी है । मान्यवर, व्यक्तिगत आधार पर कोई सदस्य कहे और मैं उसे सही मान लूं तो यह कैसे हो सकता है ? अगर इनके सामने यह घटना घटित होती तो मैं सही मान लेता ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं मौके पर गया था किसी अन्य अधिकारी से जांच करा ली जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें फैजाबाद के, बस्ती के या बगल के मण्डल के आयुक्त हो सकते हैं जो जांच कर लें ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

आप रिश्तेदारी बता दें क्या है ?

श्री लालजी वर्मा–

मतलब तो यह हुआ कि सारी घटना आपने कराई है । मान्यवर, कभी राम जग जी इतने उत्तेजित नहीं हुआ करते हैं आप किसी अन्य कमिश्नर साहब से जांच करा लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक कमिश्नर से आप जांच करा ही रहे हैं तो उसकी निष्पक्षता के लिए आप बगल के कमिश्नर से करा लें उसमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होनी चाहिए । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी दुबारा विचार कर लें ।

* श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी घटना की जांच कमिश्नर से कराने के लिए तैयार हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने जानकारी के लिए कहा कि कमिश्नर से की है । मैंने जांच वाली बात नहीं कही है मैंने इसकी जानकारी जिलाधिकारी से नहीं की है कमिश्नर से की है ।

श्री राम नरेश यादव–

कमिश्नर ने सारी घटना से आपको अवगत कराया है । माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि अगर उनका कहना गलत है तो वे विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे । इस पर गम्भीरता से विचार कर लीजिए किसी दूसरे कमिश्नर से जांच कराने में क्या आपत्ति होनी चाहिए ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी माननीय राम नरेश यादव जी द्वारा अपेक्षा की गयी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दुर्भाग्य यह है कि कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के बस का यह कहना नहीं है कि किसी जाति विशेष के सी० डी० ओ० हैं, कमिश्नर हैं इसलिए कमिश्नर की बात पर विश्वास न करें किसी अन्य जाति के कमिश्नर से जांच करायें, मैं यह नहीं कह पाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं इस सूचना को पहले ही निरस्त कर चुका हूं ।

(श्री राम जग के पुनः वेल में आने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम जग– (वेल से)–

मान्यवर, जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है ? मैंने जो कहा है वह अक्षरशः सही है । मैंने कहा है कि यदि मेरी बात झूठ हो जायेगी तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें । मैं इस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर इसको दिखवा लें, इसकी पुनः समीक्षा करवा लें । मैंने इसमें व्यवस्था दे दी है वह आपसे बात कर लेंगे, आप स्थान ग्रहण करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामजग (वेल से)–

मान्यवर, किसी कमिश्नर से जांच हो जाय जो हमारे यहां से बाहर का हो ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, यह एक दलित का मामला है ।

(श्री भीम प्रसाद सोनकर सदन के वेल में आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से कह दिया है कि व्यक्तिगत रुचि लेकर इसको दिखवा लें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अगल बगल के किसी कमिश्नर से जांच करवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर वह आवश्यकता समझेंगे तो करवा लेंगे । अगर एक अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह करने जा रहा है अगर कोई गलत चीज पकड़ लेता है तो आरोप लगा दें तो कैसे काम चलेगा तो पहले वह संतुष्ट हो लें इसलिए पीठ से निर्देश हुए हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी व्यक्तिगत रुचि लेकर इसको दिखवा लें ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, ये यह बता दें कि सी० डी० ओ० और कमिश्नर का क्या रिश्ता है ?

श्री लालजी वर्मा–

रिश्ता है ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी आप लोगों के साथ बैठकर कोई निर्णय ले लीजियेगा । वह कल आपके साथ बैठकर कोई निर्णय ले लेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

[× × ×]

श्री राम जग (वेल से)–

मान्यवर, इस सदन में कुछ घोषणा हो ।

(श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर श्री राम जग तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर अपने-अपने स्थान पर वापस गये)

श्री अधिष्ठाता–

कमिश्नर और सी० डी० ओ० का रिश्ता क्या है, यह बात रामजग जी बता दें, नरेन्द्र सिंह जी बार-बार कह रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, दूसरे कमिश्नर से जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किसी अधिकारी की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह तब लगता है, जब कोई बात सिद्ध हो। कमिश्नर की निष्पक्षता के ऊपर आपने प्रश्नचिन्ह यह कहकर लगा दिया कि वह रिश्तेदार हैं। मैं जानकारी आपसे कर लूंगा, वैसे भी जानकारी कर लूंगा, यदि आवश्यक होगा तो निश्चित तौर से किसी और कमिश्नर से जांच करा लूंगा।

* श्री राम प्यारे सिंह–

जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वह तात्कालिक है, लोक महत्व की है, अविलम्बनीय भी है। मान्यवर, यह 23-4-2001 की घटना है। एक राम समुझ यादव, पूर्व प्रधान, ग्राम महुला, जो इस समय महुला बाजार में रहते हैं। वर्ष 1996 में एक व्यक्ति जिसका नाम रमाकान्त महुला गांव का, रौनापार थाना, जिला आजमगढ़ का रहने वाला था, 6 वर्ष का बच्चा राकेश यादव, जो चार भाइयों के बीच अकेला बच्चा था, उसकी हत्या कर दिया था, हत्या करके लाश बोरे में भरकर दूसरे गांव में जाकर गाड़ दिया था, यह लाश राम समुझ यादव के प्रयास से बरामद हुई थी, उसके बाद अभियुक्त जेल गये। जेल से छूटने के बाद अभियुक्त ने कई घटनायें कीं और दिनांक 23-4-2001 को राम समुझ यादव पर कातिलाना हमला किया। जब राम समुझ यादव को गोली लगी, वह गिर गये उसके बाद बाजार में जो सैकड़ों लोग मौजूद थे, हल्ला करके पीछा किये, दोनों बदमाश वहां से भागते हुए, घाघरा नदी की तरफ भागने लगे। एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 19 वर्ष की थी, शाह आलम उसने देखा, मारने वाले घाघरा नदी में कूदकर गोरखपुर की तरफ भाग जाना चाहते हैं तो वह तेजी से दौड़ते हुए बदमाशों की गोलियों की परवाह न करते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। जब दूसरे बदमाश ने देखा कि हमारा एक साथी पकड़ लिया गया है तो उसने शाह आलम नाम के नौजवान को आकर गोली मार दिया। उस नौजवान ने गिरने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं। तब तक सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गये और पुलिस का गश्ती दल भी कहीं से आ गया। दोनों बदमाश मौके पर मारे गये।

मैं कहना यह चाहता हूं कि दो बदमाशों का पुलिस यदि कहीं इन्काउन्टर करती तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता। शाह आलम अपने माता पिता का एक ऐसा पुत्र था, जो साहसी था, दिलेर था और माता पिता को भी यह भरोसा था कि बुढ़ापे में यह बालक उनका सहारा बनेगा। वह लड़का बहादुरी और दिलेरी का परिचय देते हुए मारा गया। उसकी छोटी बहनें हैं, जिनकी शादी होनी है, छोटे-छोटे भाई हैं, जिनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है। आप जांच करा लें आज भी उनका मड़ई का मकान है। मैं आपकी पीठ के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से, इस सरकार से निवेदन करूंगा कि इस गरीब परिवार की परवरिश के लिए और उसके मां-बाप को, जिन्होंने इतना दिलेर और बहादुर बच्चा पैदा किया, उसकी बहादुरी के लिए, उस क्षेत्र की जनता के साहस को बढ़ाने के लिए, उसको 10 लाख रुपया देने का कष्ट करें और साथ ही जो भय की हालत में आज भी 10 दिन हो गये वहां के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जहां पर भय का वातावरण बना हुआ है। आज भी उन बदमाशों के बहुत से साथी राम समुझ यादव को मारने के फिराक में हैं। वहां पुलिस बल तैनात किया जाए जिससे एक समाजसेवी राम समुझ यादव की जान का खतरा टाला जा सके। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने विस्तार से तथ्य प्रस्तुत किये हैं। निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि जो दो बदमाशों को पकड़ा था उनमें एक बदमाश ने शाह आलम को भी गोली मारी। [illegible]

---

* अध्यक्ष के आसन पर [illegible] विराजमान हुईं।

राम समुझ यादव को गोली मार चुके हैं। मान्यवर, जहां तक गोली लगने का प्रश्न है उसमें मुकदमा कायम हुआ है पतीराम एवं एक अन्य बदमाश नाम पता अज्ञात के बारे में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है जो भी रिपोर्ट आयेगी उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–56 में नहीं आती है। अतः इसको निरस्त कर रहा हूं। अगली सूचना श्री राम नरेश यादव की है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं बहुत ही तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय को इस सदन में उठाना चाहता हूं और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए। मान्यवर, इस प्रदेश में कई सौ अनुसूचित जाति के प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं जिनमें करीब 10 हजार से ऊपर शिक्षक कार्यरत हैं और करीब एक लाख विद्यार्थी भी हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकार की नीति वैसे भी बहुत स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण और भूकरण भी किया जाए और कई कदम उठाये भी गये हैं। ऐसे समय में जो 10 हजार के करीब शिक्षक हैं उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। उन्हें 50 रुपये से 100 रुपये तक किसी तरह प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त होता है लेकिन वह समाज का काम कर रहे हैं और समाज का काम इस तरह से कर रहे हैं कि जो सरकार की मंशा है उसको भी पूरा कर रहे हैं। कई बार इन शिक्षकों ने आन्दोलन भी किया लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक माह से शिक्षक आन्दोलनरत हैं, धरना और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी से उनका प्रतिनिधि मण्डल मिला था, समाज कल्याण मंत्री से भी मिला था। मुख्य मंत्री जी से भी मिलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी महंगाई के जमाने में, यह 10 हजार शिक्षक काम कर रहे हैं, ये विद्यालय जो समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित हैं उनको कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि ऐसे जितने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के विद्यालय हैं मान्यवर जो 50 फीसदी अनुसूचित जाति का विद्यार्थी है उनको आवंटी आवर्ती सूची में रखने के लिए सरकार जल्दी से कदम उठाये, ताकि उनके हित की भी रक्षा हो सके। मान्यवर, इस महंगाई में वे अपना जीवन बिता रहे हैं इस पर भी सरकार को गम्भीरता से विचार करके निर्देशित करें। मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाये।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, राम नरेश यादव जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग जो कुछ भी सम्भव है कर रहा है फिर कहां से सेवा भाव आ जाता है। लोग सेवा भाव को लेकर जाते हैं वह सेवा भाव कहां चला जाता है ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की दो जिम्मेदारी है। सबसे प्रमुख जिम्मेदारी हर गांव में शिक्षा की व्यवस्था करा दे, और हर ढाई किलो मीटर के छोर पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराने का है जो 2002 तक पूरी हो जायेगी। उसके बाद कोई भी ऐसी स्थिति नहीं रह जायेगी जिससे अनुसूचित जाति का कोई गांव या आबादी असेवित रह जाये। आगे कोई कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 21-5-99 तक 345 विद्यालयों को आवर्ती अनुदान पर लिया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि और शासनादेश भी जारी हो गया है। अनुसूचित जाति या जनजाति या बाढ़ क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी है और जो हमारी आर्थिक स्थिति है वह किसी से छिपी बात नहीं है, कितना बोझ सरकार पर डालें। मेरा आग्रह है कि इस सूचना को निरस्त करने की कृपा करें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, इसको यह सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है । जो विद्यालय हैं उसमें अनुसूचित जाति के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं । मान्यवर, सरकार शिक्षा मित्र की भी नियुक्ति करने जा रही है , तो जो जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको यह सरकार क्यों नहीं पैसा दे देती जिससे उनका भी भरण-पोषण हो सके । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यह सरकार गम्भीरता के साथ विचार नहीं कर रही है । मान्यवर, इस पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं । अगली सूचना कौकब हमीद, गजेन्द्र कुमार मुन्ना, समरपाल सिंह आदि की है ।

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, तात्कालिक और लोक महत्व का प्रश्न है और लाखों लोगों से सम्बन्धित है । बागपत में बिनौली और पिलना ब्लाक हैं । विशेष रूप से बिनौली में भू-गर्भ जल स्तर बहुत नीचे चला गया है । इस क्षेत्र में दो नदियां कृष्णा और हिण्डन हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अच्छी तरह से इस क्षेत्र से वाकिफ हैं । दोनो नदियां काफी गहरी हैं और उसके मध्य का क्षेत्र नौगांवा क्षेत्र कहलाता है । जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, जिससे सिंचाई की दिक्कत है, पेयजल का संकट है और उस ब्लाक को डार्क-ब्लाक घोषित कर दिया गया है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो बिनौली ब्लाक है वह उन 22 ब्लाक्स में है जो डार्क घोषित किये गये हैं और अति दोहित श्रेणी में रखे गये हैं । डार्क ब्लाक होने के कारण बिजली विभाग ने नलकूप के लिए नये कनेक्शन देना बन्द कर दिया जिससे गम्भीर संकट इस बात का पैदा हो गया है कि सिंचाई कहां से करें, दूसरा साधन है नहीं, नहर का पानी नहीं है, नलकूप के ऊपर आधारित हैं, कनेक्शन न मिलने की वजह से किसानों के लिए सिंचाई का संकट है, फसल सूख रही है, मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं । कोई उपाय नहीं है । कृष्णा–हिण्डन दोआब नहर 22 साल पहले मंजूर की गयी थी, वहां पर चकबंदी का कार्य 20 वर्षों से लम्बित है, चकबन्दी न होने से यह परियोजना अधूरी पड़ी है, अगर चकबन्दी नहीं हुई तो विश्व बैंक का पैसा वापस हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाह रहा हूं कि इतना भयंकर संकट है, एक तरफ क्षेत्र रेगिस्तान होता जा रहा है, उपजाऊ जमीन है लेकिन पानी के अभाव में फसल नहीं हो रही है, पेयजल का गम्भीर संकट है। आम आदमी की हैसियत नहीं है कि वह 22 हजार रुपया खर्च कर हैण्ड पम्प लगवा सके । वहां पर काफी संख्या में हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता है । दूसरी आवश्यकता यह है कि वहां पर जल संचय किया जाये, बड़े-बड़े तालाब बनाकर । दो-दो नदियां हैं, विशेषज्ञों की राय है कि हर 5 किमी० पर बांध बनाकर पानी रोका जाये इससे भूगर्भ जल स्तर भी ऊपर उठेगा और किसानों की समस्या दूर होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि वहां की समस्या को देखते हुए वहां के नागरिकों की जो दैनिक समस्या है, उसको देखते हुए जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैण्ड पम्प लगाने का मानक 250 की आबादी का है, उसे 150 करने की कृपा करें। जल संचय के लिए तालाब बनायें और नदियों पर बांध बनाने की घोषणा करें।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, समरपाल सिंह जी ने बिनौली ब्लाक के बारे में विस्तार से बताया है। वहां पर बिनौली ब्लाक में सरकार को तीन चीजें करनी हैं। एक तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया से बैठ करके तय करवाना पड़ेगा कि कब तक यह क्षेत्र डार्क घोषित रहेगा। जो नहर निकलनी थी वह इसलिए नहीं निकल पायी है क्योंकि चकबन्दी नहीं हुई, वहां पर चकबन्दी करायें। वहां पर नलकूप नहीं चल पा रहे हैं, नये कनेक्शन मिल नहीं रहे हैं। उसके बारे में विस्तार से बात करें। मान्यवर, ये तीन चीजें कर दें, एक तो चकबन्दी करायें, नहर जल्दी खुदवायें और तीसरा भारत सरकार से बात करके जो ब्लाक डार्क है उसको खत्म करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो आपने पेयजल संकट के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, मैं उस बात को स्वीकार करता हूं कि वहां पेयजल का संकट है और यह संकट वहां कई वर्षों से है और वहां पानी का स्तर दिनोंदिन नीचे होता जा रहा है। मान्यवर, आपने दो बातें कही हैं कि वहां पर तालाब बनाये जायें और हैण्डपम्प लगवाये जायें तो मान्यवर, वहां जब पानी ही नहीं है तो तालाब खुदवाने से क्या फायदा और दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पहले तालाब थे, आज एक भी तालाब नहीं बचा है, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां तालाब तो क्या रास्ता ही बच जाये तो बड़ी बात है। रही दूसरी बात जगह-जगह हैण्ड पम्प लगवाने की तो इसके लिए पहले ही आदेश हो चुका है। प्रति 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगवाने का आदेश किया जा चुका है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, शायद मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि पहले 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प था, अब 150 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प कर दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह–

इस संबंध में युद्ध स्तर पर कार्य करने का आदेश जारी हो चुका है और हमारी सरकार बराबर इसकी समीक्षा करा रही है और जो आपने डार्क ब्लाक की बात कहीं हैं मैं उसका परीक्षण करा लूंगा।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो वहां पर पेयजल और सिंचाई हेतु जल की कमी है उसके लिए कृष्णा और हिण्डन नदी पर अगर जगह-जगह बांध बनाये जाये तो काफी हद तक किसानों की सिंचाई को पूरा किया जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जो हिण्डन नदी है वह आपके क्षेत्र में तो बाद में आती है, मेरे क्षेत्र से पहले गुजरती है तो जब उसमें जल ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है भी वह पेपर मिल का कचरा बहाता है तो उस पर बांध बनाने से क्या फायदा होगा ? मान्यवर, जो इन्होंने दूसरी बात कहीं जिसको इन्होंने कल भी सदन में उठाया था कि अगर किसी तरह से जमुना नहर का पानी आ जाये तो इस पर मैंने तत्काल ही मुख्य मंत्री से बैठकर विचार-विमर्श किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस समस्या से अवगत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराया है कि हरियाणा और केन्द्र सरकार के साथ बैठकर इस विषय पर विचार विमर्श कर इस समस्या का निराकरण करने का उपाय करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय समर पाल सिंह, माननीय कौकब हमीद और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री की बातों को सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः मैं इसको निरस्त करता हूं ।

* डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंककों का संवर्ग है 1988 से लेकर इनके 427 पदों को खत्म कर दिया गया है और इनको 1999 तक पदोन्नति नहीं दी गयी है जिससे इनका भविष्य पर असर पड़ रहा है ।

टंककों को अवर वर्ग सहायकों में संविलीन कर दिया गया है इसलिये अन्य संवर्ग जो अवर वर्ग सहायक के पदों पर पदोन्नति पाते थे उनके भविष्य पर असर पड़ रहा है और उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रहा है । इसी तरह से टेलीफोन आपरेटरों को 1988 से अवर वर्ग सहायकों में संविलीन किया जाय क्योंकि टेलीफोन आपरेटर ज्येष्ठ होते हुये भी टंककों से कनिष्ठ हो गये हैं । यह तकनीकी और महत्वपूर्ण संवर्ग है अगर इनमें असंतोष रहा तो काम प्रभावित होगा । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सचिवालय प्रशासन का मामला है । यह समस्या आती रही है और इस पर विचार होता रहा है । इस पर तो मान्यवर, सतत् विचार होता रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं, यह नियम–56 में नहीं आती है ।

श्री राम अचल राजभर–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर नंगा नाच कर रही है । आज हर शरीफ व्यक्ति पुलिस की इस कार्यवाही से संशकित और आंतकित है । मान्यवर, धरसौना गांव जनपद वाराणसी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 2-4-2001 को वहां पर मंगला गुप्ता के मकान के बगल में भइया लाल राजभर का घर है । कुछ असमाजिक तत्व उनके घर के बगल में पेशाब कर रहे थे उन्होंने टोका कि यहां से महिलाओं का आना जाना है, उनके इतना कहने पर वहां पर गालीगलौज शुरू हो गयी और भीड़ इकट्ठा हो गयी और मारपीट शुरू हो गयी । वहां पर चोलापुर थाने की पुलिस आ गयी जबकि उस थाने की पुलिस का वह हल्का नहीं था । वहां पर पुलिस ने नंगा नाच करना शुरू कर दिया और 3-4 थानों की पुलिस भी आ गयी और पूरे गांव में महिलाओं, पुरूषों, बच्चों को मारा पीटा गया, गर्भवती महिलाओं को मारा गया, यहां तक जानवरों को भी मारा गया । साइकिल, दीवाल घड़ी, टी०वी० चारपाई और खपरैल घर को तोड़ा गया । इतना ही नहीं गांव वालों को फंसाने के लिये एक 7 साल की बच्ची सरिता को रजाई में लपेट कर पुलिस ने जलाने का काम किया । लड़की के चिल्लाने पर गांव वालों ने आग बुझायी । गांव वाले मेडिकल न करा पायें इसलिये पुलिस उसका मेडिकल कराने ले गयी । वहां पर पूरे गांव में दहशत व्याप्त है और लोगों पर फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं । वहां पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तमाम समाजसेवी और राजनीतिक लोगों ने आन्दोलन और धरना प्रदर्शन किया है । वहां की जनता आन्दोलित है । मेरी मांग है कि वहां के एस०ओ० को हटाकर जांच करवायी जाय और इतना जुल्म और अत्याचार अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ । मुख्य मंत्री की नाक के नीचे यह अत्याचार हो रहे हैं इसलिये मैं इस विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो आरक्षी, एक श्री कृष्ण प्रसाद और दूसरे सुरमन यादव, यह दोनों आरक्षी जो थाना चोलापुर के हैं वहां गये । वहां पर दो पक्षों में गाली गलौज हो रहा था । इन दोनों ने समझाने बुझाने का काम किया तो गुलाब राजभर ने उनको ललकारा और 25 आदमियों को लेकर इन दोनों आरक्षियों को दौड़ा लिया और उनसे 20–20 कारतूस और राइफलें छीन लीं और कट्टे से फायर किया । आरक्षियों से कारतूस छीने गये, राइफल छीनी गयी और कट्टे से फायर किया गया तब भी वहां पर पुलिस न बुलायी जाय तो मैं समझता हूं कि कैसे कानून व्यवस्था रह पायेगी ?

मैं नहीं समझता हूं कि इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था रह पाएगी । इस संबंध में मुकदमा कायम किया गया । 8 आदमी गिरफ्तार किए गए है । छीनी गई एक रायफल गुलाब राजभर और दूसरी रायफल सूर्य बली के कब्जे से बरामद की गई । इसके बावजूद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं । मजिस्ट्रेट जांच के बाद जो उचित कार्यवाही होगी वह की जाएगी ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती अतः इसे निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री रामललित चौधरी की ।

श्री राम ललित चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार की पकड़ ढीली हो रही है । अभी एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा पिटे हुए एक व्यक्ति का जिक्र हुआ मैं दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं । बस्ती जिले में भानपुर तहसील के अन्दर तहसील दिवस पर राम किशोर नामक व्यक्ति वहां थे । तहसील से आय प्रमाण–पत्र जारी हुआ था उसी को उन्होंने चेलेंज कर दिया । तहसील में बैठे हुए उच्च अधिकारियों ने एस०डी०एम० के मार्फत यह मामला कर दिया । इस पर एस० डी० एम० साहब चिढ़ गए और उन्होंने राम किशोर को दर्जनों गालियां दी तुम्हारा कुर्ता फड़वा दूंगा । थाना शेखापुर इटविया में चकरोड का मामला था । चकरोड का मामला एस० डी० एम० साहब के पास आया एस०डी०एम० साहब उस पर कब्जा नहीं हटवा पाए । शिकायतकर्ता कमिश्नर साहब के पास गए कमिश्नर साहब ने आदेश दिया एस०डी०एम० को कि जाकर कब्जा हटवाएं । 29 तारीख को एस०डी०एम० शेखापुर इटविहा पहुंचे दोनों पक्षों को बुलाया राम किशोर जिसका कोई मतलब नहीं था उसको भी बुलाया क्योंकि उसने शिकायत कर दी थी । उन तीनों को बुलाकर जीप पर बिठाया और बाद में उनको मारा पीटा फिर उसको डाक बंगले पर लाकर मारा । मारने के बाद वह तहरीर लिखा रहा था उसी समय मैं पहुंच गया सोनाहा के बगल में एक गांव में आग लगी थी तो यह पता लगाने के लिए गया था कि राहत बांटी गई या नहीं एस०डी०एम० से पूछा कि क्या मामला है इस पर उन्होंने तुरन्त ही 151/116 की रिपोर्ट दर्ज करा दी इस सम्बन्ध में एस०डी०एम० के खिलाफ वहां आन्दोलन हो रहा है । इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए तथा एस०डी०एम० साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं ।

श्री हुकुम सिंह–

इस घटना के सम्बन्ध में मैंने मण्डलायुक्त से रिपोर्ट मांगी है रिपोर्ट हमारे पास आ जाए जो भी आवश्यक होगा कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राम ललित चौधरी–

इसमें आप चाहे जिस मण्डलायुक्त से जांच करवा लें । बस्ती के मण्डलायुक्त से इसकी जांच करवा लें इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री हुकुम सिंह–

उन्हीं से तो करा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है । अतः इसे निरस्त कर रहा हूं । अगली सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है ।

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जनपद आजमगढ़ में लालगंज तहसील में एक ग्राम चौकी टौबा, थाना तिरवा, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ आज भाजपा के शासन काल में जिस तरह से प्रशासन बेलगाम हो गया है ऐसा किसी और के शासनकाल में नहीं हुआ । एस०डी०एम० और तहसीलदार ने मिलकर एक आम के पेड़ को कटवा दिया और मड़ई गिरवा दिया । उसी के गांव के दो डाक्टर जौनपुर में रहते हैं, यादव जी और उनकी पत्नी इन लोगों ने कुंवर सेवा आश्रम अस्पताल चला रखा है और जो कि सदर अस्पताल में सरकारी डाक्टर है जो कि नाजायज पैसा कमाकर एस०डी०एम० और तहसीलदार को देते हैं और आम जनता को परेशान कराते रहते हैं । जिस पेड़ को काटा गया और जिस मड़ई को हटाया गया वह रास्ते से भी बहुत दूर थे । मैं मानता हूं कि यह ग्राम समाज की जमीन पर थे परन्तु पूरा गांव आज ग्राम समाज की जमीन पर है । एस०डी०एम० को कोई पावर नहीं है कि वह आम का पेड़ कटवायें । मैंने वहां के डी०एम०, एस०एस०पी० को दरख्वास्त भी लिखी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर सदन को स्थगित करके चर्चा कराई जाय । यही नहीं मान्यवर, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । एस०डी०एम० और तहसीलदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाय साथ ही इसकी उच्चाधिकारियों से जांच कराई जाय । स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि दो डाक्टर वहां नाजायज पैसा कमाकर गांव वालों को परेशान करते हैं । यदि जल्दी ही कार्यवाही न की गई तो यह मामला जन आन्दोलन में बदल जायगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मँगाई है आते ही कार्यवाही की जायगी । तथ्यों की जानकारी हो जाने दीजिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा तथ्यों की जानकारी हो जाय । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी इससे सहमत हैं कि ऐसा हो रहा है । मान्यवर, आज तालाबों पर कब्जा हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया जा रहा है । जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है, उसके संबंध में मेरा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि एक निश्चित तिथि को यह बता दें कब तक यह उस सूचना पर जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही कर देंगे ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नरेन्द्र सिंह जी से पूछ रहे हैं और जैसा वे कहेंगे उसी बात को वे भी कह देंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है । मुझे जानकारी है कि माननीय विधायक जी के बहुत निकटतम रिश्तेदार भी उस गांव में रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि इसको दिखवा लेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कोई टाइम बाउन्ड हो कि कब तक सूचना दे देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

रिपोर्ट के लिये भेजा है । जैसे ही आयेगी, कार्यवाही हो जायेगी । जैसे ही रिपोर्ट आयेगी माननीय सदस्य रेवती रमण सिंह जी और उसके बाद इनके उप नेता को बता देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नही आती है । अतः इसको निरस्त करता हूं ।

(दुर्गा प्रसाद यादव सदन के फ्लोर पर आ गये )

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

(फ्लोर से) मान्यवर, मैं कतई नहीं मानूंगा ।

(श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर श्री दुर्गा प्रसाद यादव अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसकी रिपोर्ट मंगाकर कल तक माननीय सदस्य को भी बता दीजियेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मुझे नहीं पता कि इनकी आपत्ति इसी बात पर है कि मैंने इनका नाम नहीं लिया । मैं इनको भी अवगत करा दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है ।

(श्री भीम प्रसाद सोनकर के उपस्थित न रहने पर )

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकृत नहीं की गई उनके नाम इस प्रकार हैं, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री सुधाकर सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी एवं श्री रामचन्द्र यादव।

**वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा † (क्रमागत)**

(श्री राम ललित चौधरी का नाम पुकारे जाने और उनके बोलने के लिये खड़े होने के बाद)

श्री अधिष्ठाता–

श्री जय प्रकाश निषाद जी हैं क्या ?

( सदस्य के उपस्थित न रहने पर)

ठीक है अच्छा चलिये।

श्री लालजी वर्मा –

मान्यवर, भा०ज०पा० के लोग मान रहे हैं कि यह बजट निरर्थक है, इसलिये कोई उसके समर्थन में बोलने के लिये नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

यह बोलने से पहले आप पीछे भी देख लीजिये।

श्री लालजी वर्मा–

यहां पर तो सब बोलने वाले बैठे हैं। वहां तो कोई बोलने वाला नहीं है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, वर्मा जी ने जो बात कही है बड़ी सोच समझकर कही है। इस बजट का विरोध करने के लिये दो दिन तक तो नेता विरोधी दल को ढुंढ़वाया गया। बाद में मजबूर होकर ऐसे समय में बैठाया गया जब कोई सुनने वाला नहीं था। तो मान्यवर, यह तो पक्ष तब लें जब प्रतिपक्ष न हों।

श्री लालजी वर्मा –

मा० मेरा निवेदन है आज बजट पूरी तरह से इस प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाला है इसलिए भाजपा का कोई सदस्य वित्त मंत्री जी के बजट के समर्थन में बोलने के लिए तैयार नही है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें। बजट के ऊपर जिस तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए वह नहीं है यह केवल सत्तापक्ष की बात नही है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिपक्ष बजट पर बात करता है। मुझे आश्चर्य है इस समय केवल प्रतिपक्ष के 10 लोग ही सदन में बैठे हैं यह चिन्ता की बात है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब अभिभाषण दे रहे थे उस समय भी जो स्थिति थी वह इस बात की गम्भीरता को प्रदर्शित करती है कि बजट के प्रति जो हमारी चिन्ता है वह बहुत गम्भीर नही है।

श्री राम ललित चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर इस बुकलेट को मैंने पढ़ा। आज जो बजट का लक्ष्य होना चाहिए वह नहीं है। बजट का लक्ष्य होना चाहिए "डेंवलपमेंट एण्ड इक्विटी" अर्थात् विकास हो लेकिन उनका विकास हो जिनको विकास की जरूरत है। बजट का लाभ उनको मिले जिनको उसकी जरूरत है। विकास का लाभ उनको मिले जिनको उसकी जरूरत है विकास का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए जो विकास की धारा से लम्बे समय से कटे हुए हैं विकास का लाभ टूटी साइकिल और फटी बनियाइन वालों को मिले

ऐसा बजट में कुछ नहीं है । आज सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 50 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जिन्दगी गुजर कर रहे हैं । जिनके पास न पहनने को वस्त्र है न खाने के लिए भोजन है । हजारों लोग झोपड़ियों में जिन्दगी की अन्तिम.सांसे ले रहे हैं उन्हें सांस लेने का अधिकार है लेकिन जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है । आज सम्पूर्ण बजट का कितना अंश ऐसे लोगों पर जो इस तरह के हैं उन पर पैसा खर्चा किया जा रहा है इसका जिक्र कहीं नहीं है । ऐसे लोगों की तादाद 27 परसेन्ट है आप 27 परसेन्ट लोगों को ओवरलुक करके कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए बजट का जो उद्देश्य है उसकी साफ-साफ अनदेखी हो रही है । जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय बहन मायावती ने 22 परसेन्ट स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए दिया था जिसके कारण अम्बेदकर योजना और आई०आर०डी० योजनायें चलीं । तमाम गरीबों के घर बने । सड़कें बनी बिजली लगी । आई०आर०डी० योजना के तहत जितनी योजनायें बनी वह बन्द हैं । चार–पांच हजार के छोटे छोटे लोन मिलते थे वह बन्द हैं । तो यह नीयत देखी जाती है टोटल आपके पास कितना धन है उसका कितना अंश आप कहां–कहां दे रहे हैं इस पर बजट की अच्छाई निर्भर करती है । यह कह देने से कि यह कर रहित बजट है यह कर रहित कितने दिन रहेगा जितने दिन चर्चा हो रही है आप इसको कर रहित कह लें लेकिन इससे आम जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है । क्योंकि आम जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इसके बाद उसके ऊपर करों का बोझ लादेंगे ।

लोक लेखा निधि से कर्जा लेकर वास्तविक घाटे को कम दिखाया गया है । लोक लेखा निधि से जो आपने पैसा लिया है वह भी कर्जा है । अगर दर्शाये गये घाटे को लोक निधि के कर्ज से निकाल दिया जाय तो 717.88 करोड़ की जगह 2476.59 करोड़ रुपया होगा । इससे जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है । आज जिस स्पीड से मुद्रास्फीति बढ़ी है उस स्पीड से प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ी है । इसलिए आज 70 प्रतिशत लोग भुखमरी का शिकार हैं, कुपोषण का शिकार हैं । बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है । आज करोड़ों लोग बेरोजगारी का शिकार है । एक परिवार पाँच व्यक्तियों का भी मान लें और एक परिवार से एक व्यक्ति को बेरोजगार मान लें, तो प्रदेश की आबादी 16 करोड़ की होगी, इससे मिलेगा साढ़े तीन करोड़ बेरोजगारी का शिकार हैं जो बम्बई कलकत्ता कानपुर दिल्ली में बड़े शहरों में धक्के खा रहे हैं बोरे ढो रहे हैं और इस सरकार को कोस रहे हैं कि इस सरकार के रहते हमें दूसरे प्रदेशों की सरकार के नीचे काम करना पड़ रहा है । यह हमारी सरकार की विफलता है । किसी भी सरकार की असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कौन–कौन सी व्यवस्था है, क्या–क्या उपाय हैं ? मान्यवर, लाल बत्ती बुझा दें । मैं अपने दल से अकेला बोलने वाला व्यक्ति हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप हमेशा हमारी पार्टी के साथ पक्षपात करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह बात नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस समय भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी यह तीन पार्टियां हैं जिनकी संख्या–40 के ऊपर है । आप हमें समय दे दीजिये अगर समय सीमा से एक मिनट भी ज्यादा लें तो कहियेगा । आप समय निर्धारित कर दीजिये । पांच घंटा आप भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिये, तीन घंटा समाजवादी पार्टी को दे दीजिये और डेढ़ घंटा बहुजन समाज पार्टी को दे दें । किसी भी संसदीय परम्परा में संख्या बल का महत्व होता है । हमारी जो संख्या बल है उसके अनुसार समय मिलना चाहिए । अगर उसके आधार पर नहीं देंगे तो आप निकल जाने को कहें हम निकल जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप बैठ जायें । जो इस पीठ से समय–समय पर निर्देश हुए हैं और वह छपकर आपके पास गये भी हैं । उसके अनुसार समय निश्चित है कि सामान्य चर्चा में सभी दलों के नेताओं को दस मिनट का समय .....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, किसी भी दल के नेता ने आधे घंटे से कम बोलने का समय नहीं लिया है । संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है उसके आधार पर समय निर्धारित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम ललित चौधरी जी को मैं 10 मिनट दे रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आधा घंटा दीजिए । जितना भी आप समय दें तीसरा हमें चाहिए । 5 घंटा हमें बहस करानी है तो हमें डेढ़ घण्टा चाहिए [ x x x ] संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप जैसे वरिष्ठ माननीय सदस्य बाहर जाने की बात कहेंगे तो यह बात उचित नहीं है । नेता प्रतिपक्ष के ऊपर समय सीमा लागू नहीं होती है ।

श्री लालजी वर्मा–

पार्टियों का संसदीय लोकतंत्र जहां भी है संख्या बल के आधार पर समय देने का काम किया जाता है । आपको पूरा समय दे दें । मान्यवर, [ x x x ]

श्री अधिष्ठाता–

यह पीठ पर आरोप लगाना उचित नहीं है । कृपया करके बैठ जायें । जो समय सबके लिए है वही समय दिया जायेगा और जो सदस्य उपस्थित हैं उन्हीं को बुलाया जायेगा । जो माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं उनका पूरा समय आपको दे दें यह कैसे संभव है ?

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आज गरीबी कोई मूल कारण नहीं है बल्कि मूल-कारण अगर है तो बेरोजगारी । वह आदमी के पास पहले बेरोजगारी आती है फिर उसके पास धन का आभाव पैदा होता है फिर शिक्षा का अभाव फिर दवा का अभाव और फिर परेशानियां पैदा होती हैं । जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से रोजगार का सृजन नहीं हुआ है क्योंकि सरकार की चाहत ही नहीं है कि रोजगार का सृजन हो फिर बेगारी कौन करेगा ? लेकिन जो कहावत है जहां चाह होगी वहां रास्ता निकल आयेगा । आप राष्ट्रीय कंपनियों के माया जाल में फंसे हुए हैं । बेरोजगारी का हल वे नहीं निकाल पायेंगे । वह कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने से निकलेगा । शिक्षा को रोजगार परक बनाने से निकलेगा, कुम्हार, बढ़ई लोहार उनको बढ़ावा देने से निकलेगा । रास्ता निकलेगा हस्त शिल्प को बढ़ावा देने से अन्यथा रास्ता निकलना नहीं है इसलिए आज प्रदेश का दरिद्रपन, पिछड़ापन प्रदेश में पड़ा वित्तीय संकट गरीबी और बेरोजगारी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कर्जे में इतना डूब चुकी है कि वहां से निकलना असंभव ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है । मान्यवर, वर्ष 1991–92 में प्रदेश की कुल ऋण ग्रस्तता 21 हजार 100 करोड़ रुपया थी । 1999–2000 में यह बढ़कर 65 हजार 135 करोड़ और 2000–2001 में बढ़कर 77 हजार करोड़ हो चुकी है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 18 प्रतिशत

ज्यादा बढ़ी है और अगर बढ़ोत्तरी का यही हाल रहा तो 2001–2002 में इस प्रदेश के ऊपर कर्ज 85 हजार 598 करोड़ रुपये हो जायेगी । तो पहले दिन में कटोरा लेकर जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक के सामने इनको भीख मांगनी पड़ती थी, अब रात में भी भीख माँगना पड़ेगा । प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है । प्रतिवर्ष आय का आंकड़ा आप देखें पंजाब में 18,713, महाराष्ट्र में 17,295, गुजरात में 13,932,तामिलनाडु में 11,708, कर्नाटक में 10,708 रुपये आंध्र प्रदेश में 9,867 रुपये और उत्तर प्रदेश में मात्र 6,713 रुपये ।

मान्यवर, वित्तीय स्थिति खराब होने के कुछ कारण है वह उनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूं । इस सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण वोट की भी राजनीति है आज जब सरकार के पास पैसा नही है और तमाम घोषणाएं होती चली जाती हैं घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा जितनी घोषणांए हैदरगढ़ में हो चुकी हैं उतनी अगर इस प्रदेश के आधे बजट का पैसा लगा दिया जाय, तो भी पूरी नहीं होगी तो इससे कर्ज में नहीं रहेगी सरकार तो और क्या रहेगी ? दूसरा कारण है कि राजकीय राजस्व की कम वसूली । मान्यवर, राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा जाता है उसका आधा भी यह सरकार नहीं वसूल पाती है प्रत्येक माह राजस्व वसूली का हिसाब किताब लगाया तो 500 करोड़ के अन्दर आता है । टैक्सेस लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसकी वसूली करना ज्यादा महत्व की बात होती है । लेस टैक्सेशन मोर कलेक्शन की नींव डाली जाय तो कुछ भला हो सकता है । मान्यवर, परिवहन निगम में लाखों रुपये की टैक्स की चोरी डग्गामार बसों के द्वारा की जा रही है । मैंने लिखकर दिया था तो परिवहन आयुक्त कार्यालय से मेरे पास चिट्ठी आती है कि आकर पूरा ब्यौरा दें, कौन बस्ती से आकर ब्यौरा देगा । जब कहा कि डग्गामारी हो रही है तो यहां के लोगों को जांच करने के लिए जाना चाहिए । आज कमिश्नर ने बस्ती आरटीओ के बारे में एक टिप्पणी लिखी है कि या तो यह कमजोर है, या डरपोक है या भ्रष्ट है, लुटेरा है तो इस टिप्पणी के बाद भी वह रह जाय तो भगवान ही मालिक है । जो 15 अरब रुपया विभाग के अनुदान की बची राशि के बाकी है अगर उसकी वसूली हो जाय तो भी काफी भला हो सकता है । फिजूलखर्ची के बारे में जिक्र करना चाहता हूं शादी ब्याह में , कामकाज में सरकारी गाड़ियां, सरकारी तेल पर धड़ल्ले से वहां जा रही हैं आज लाखों लाख रुपया इस पर खर्च हो रहा है । अगर सरकार ध्यान दे तो इस पर बचत हो सकती है । मंत्रियों के शाही खर्च हैं मंत्रियों के शाही खर्च को कम कर दिया जाय तब भी कुछ बचत हो सकती है, आपने गनर की कमी कर दी लेकिन आज मंत्रियों की संख्या में भी कमी कर दें तो मैं समझता हूं कि काफी वित्तीय स्थिति सुधरेगी ।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आपने कर्मचारियों के पदों को समाप्त किया और वर्ष 1998 में सरकार ने स्वीकारा कि 17 हजार पद समाप्त किये गये हैं और 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष समाप्त किये जाने की योजना है । लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 17 हजार पद जो समाप्त किये गये, इसमें कितने प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के पद थे । क्या केवल थर्ड ग्रेड के पद थे, क्या वही सबसे कमजोर हैं, उन्हीं को केवल समाप्त करते चले जा रहे हैं । आपने कितने प्रमुख सचिव, कितने पुलिस महानिदेशक, कितने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कितने सचिव, कितने विशेष सचिव के पदों को कम किया है । आज कर्मचारियों के वेतन को आप बोझ समझते हैं । मैं नहीं समझता कि कर्मचारियों का वेतन बोझ होता है । आज यह सरकार वेतन पर जिन्दा है, कर्मचारियों के वेतन का 1/6 हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में कटता है और फिर घूम फिर कर सरकार के पास किसी न किसी रूप में आ जाता है । इसी प्रकार जी० पी० एफ० के रूप में प्रदेश के कर्मचारियों का 15 प्रतिशत रुपया कटता है ।' अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाय तो एक साल में लगभग 2 महीने की तनख्वाह हर कर्मचारी की जी० पी० एफ० में जाती है । जब सरकार के पास कुछ नहीं रहता, सरकार एकदम कंगाल हो जाती है तो जी० पी० एफ० के पैसे को

रिजर्व बैंक को दिखाकर ओवरड्राफ्ट कराने का काम यह सरकार करती है। आज इस सरकार का जो धन है, वह भ्रष्टाचार में चला गया है। लखनऊ में गोमती नगर, इन्दिरा नगर में कितने सरकारी अधिकारियों के मकान बने हैं, आप सदन की एक कमेटी बनाकर उनका मूल्यांकन करा लें तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एक-एक मकान की इतनी कीमत आयेगी, इतनी कीमत आयेगी कि मकान बनाने वाले अगर चार- बार भी कमायें तो भी इतनी कीमत पूरी नहीं कर सकते हैं, आखिर यह पैसा कहां से आया है ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। सरकारी आवास के लिए ऋण दिया जाता है, फिर उनको आवास देने का क्या औचित्य है ? आज तमाम बड़े-बड़े अधिकारी ऋण लेकर पैलेशियल बिल्डिंग बनाकर अपने नीचे के विभागों को किराये पर देते हैं, इसी प्रकार जब गाड़ी का लोन दिया जाता है तो फिर सरकार द्वारा गाड़ी उपलब्ध कराने का क्या औचित्य है ? माननीय वित्त मंत्री जी इस पर आप विचार कर लें तो इस प्रदेश का कुछ भला हो सकता है। जहां तक उद्योग की बात है, यहां निवेशक कोई आ नहीं सकता। क्योंकि यहां ला एंड आर्डर इतना खराब है, सड़कें खराब हैं, बिजली की स्थिति खराब है कि यहां कोई उद्योग लगाने आ नहीं सकता, इसलिए प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है। जहां तक कुटीर उद्योग धन्धों की बात है, गांव का आदमी, चाहे शहर का आदमी जब बैंक से लोन लेता है तो सरकार का बैंक पर कोई नियंत्रण नहीं होता और बैंक से जब उस व्यक्ति के लिए लोन चलता है तो पहुंचते-पहुंचते वह राशि एकदम आधी रह जाती है, इस प्रकार जिस परपज के लिए उसने लोन लिया था, वह उसको पूरा नहीं कर पाता है। मान्यवर, यहां कृषि की बात बहुत की जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है कि प्रदेश की खुशहाली, देश की खुशहाली का रास्ता गांव की गलियों, खेत खलिहानों से होकर निकलता है, लेकिन क्या सिर्फ कह देने से होगा। खेत खलिहान वालों के लिए इन्होंने क्या किया है ? धान की खरीद ठीक ढंग से नहीं हुई उनका भुगतान नहीं हो रहा है, गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है और इस बात को जिस महापुरुष ने कहा था, उन्होंने क्या किया था, मुख्य मंत्री जी पता लगा लें। गन्ने का मूल्य उस समय उन्होंने 6 रुपये से 12 रुपये किया था। मुख्य मंत्री जी में अगर हिम्मत है तो वह गन्ने का मूल्य 80 से 160 रुपये कर दें। केवल कहने से तरक्की नहीं हो जायेगी। बिजली की जो दिक्कत है, चाहे गांव हो या शहर हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। विद्युत उत्पादन में भारी कमी के कारण प्रदेश के तमाम उद्योग लड़खड़ा गये हैं और उद्योगों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे 10 मिनट कहा था, बिना लाल बत्ती के मैं खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, इस सरकार ने जो बजट बनाया है उससे किसानों का, गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। इसमें सारा धन इस तरीके से पूंजीपतियों की भलाई के लिए नियोजित किया गया है और उसका लाभ टैक्स चोरों को मिलेगा, कमीशन खोरी को मिलता है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मेजर जगतपाल सिंह–

मैं आभारी हूं आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के बजट पर विचार-विमर्श करने का आदेश दिया है। मान्यवर, हमारे सामने के सदस्यगण कितना ही अच्छा बजट हो लेकिन हमेशा उन्होंने कोई न कोई खामियां निकालने का प्रयास किया है। मान्यवर, यह पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 5वां बजट आज प्रस्तुत कर रही है, साथ ही साथ जो विधायक निधि, विधायकों को दी गयी है इतनी सरकारें आयीं लेकिन किसी भी सरकार ने विधायक निधि विधायकों को नहीं दी और साथ ही साथ जो विकास के कार्य हुए हैं, मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को और भा०ज०पा० सरकार को समस्त जनता चाहे किसान हो, युवा वर्ग हो, सरकारी अधिकारी हो, चाहे किसी भी वर्ग के हों, सब ने बजट की सराहना की है और अभी तक किसी भी क्षेत्र से बजट के विरोध की बात नहीं आयी है। सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की किसानों के ऊपर रही है और साथ ही साथ आर्थिक विकास में

बहुत गति लायी गयी है इसलिए यह बजट सराहनीय है । खाद्यान्न उत्पादन 1999-2000 में 434.16 लाख मीट्रिक टन हुआ जो 1998-99 से 11 हजार मीट्रिक टन अधिक हुआ । इसके अलावा मान्यवर, प्रति व्यक्ति आय 99-2000 में 1998-99 की अपेक्षा 7.6 की वृद्धि हुई है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण भी हमारी सरकार में हमेशा राजस्व घाटे में कमी की दर में काफी वृद्धि आई है । इसके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री ने 2001-2002 में खास तौर पर बजट में सर्वाधिक ध्यान कृषि के ऊपर और गरीब किसानों पर दिया है । इसके अतिरिक्त ऊर्जा, सड़क और सिंचाई और पेयजल के ऊपर भी मान्यवर, बजट में सरकार ने पूरा ध्यान दिया है । इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों में रोजगार सृजन की भी योजना चलायी है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, करों की दरों में भी भारी कमी आयी है और साथ-साथ 40 वस्तुओं में हमारी सरकार ने व्यापार कर में कमी की है और व्यापारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना बनायी है । मान्यवर, यही नहीं स्टाम्प में भी सरलीकरण किया है । मनोरंजन की दरों में भी घटोत्तरी की गयी है, मोटर वाहन में स्पेशल टोकन व्यवस्था का भी हमारी सरकार ने प्राविधान किया है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं आबकारी के बारे में आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अब सिन्डीकेटों का सफाया कर दिया है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, अब हमारी सरकार कृषि निर्यात प्रोत्साहन में ध्यान दे रही है ट्रैक्टर ट्राली रजिस्ट्रेशन मुक्त किया है । मान्यवर, जो एक उपलब्धि का काम हमारी सरकार कर रही है । पोटास, फास्फेट कर मुक्त पशुधन, दुग्ध एवं मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की तरफ हमारी सरकार ने काफी प्रगति के साथ काम किया है ।

इसके अतिरिक्त सहकारिता के क्षेत्र में कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण दिया जो 1200 करोड़ रुपये का होगा, इस क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है । इसके अतिरिक्त पंचायती राज, में शिक्षा, हैण्डपम्प नलकूप तथा सड़क परिवहन तथा चिकित्सा, महिला, बाल विकास कल्याण एवं पशुधन, कृषि महिलाओं के लिए पूरी योजना बनायी है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर करने हेतु 300 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत आयात कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है । मान्यवर, इसके अरितिक्त विद्युत चोरी, तार कटिंग पर सरकार ने नियंत्रण लगाया है तथा जो 5 गांव विधायकों को दिया गया है उससे काफी गांवों का विद्युतीकरण हुआ है । मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र नहीं बचा है जहां विद्युतीकरण नहीं किया गया है । कई ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकरण करके जोड़ दिया गया है । मान्यवर, 20-20 लाख रुपये देकर नगरीय क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया है । सड़क परिवहन में 6 नये राजमार्गों का उच्चीकरण, 11 शहरी बाईपास बनाये गये हैं, हमारी सरकार ने 1763 नई बसों को क्रय करने का निर्णय किया है । सामने बैठे हुए हमारे साथी हमेशा कहते रहते हैं कि सड़क गड्ढामुक्त नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है और हमारे क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जो सड़कों से जोड़ा न गया हो, हमारे क्षेत्र के 173 गांव हैं उन सभी को सड़क से जोड़ दिया गया है चाहे 500 के आबादी वाले हों क्यों न हो । शिक्षा के क्षेत्र में भारी उन्नति हुई है, चिकित्सा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 52.33 करोड़ रु० की योजना बनायी गयी है । अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन तथा अनुसूचित जाति की पुत्री की शादी हेतु 10,000 रु० दिये जा रहे हैं । स्वतः रोजगार योजना चलायी जा रही है इसके साथ ही विकलांग, अल्पसंख्यक, महिला एवं बाल कल्याण की योजना चलायी जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए ग्राम विकास की कई योजनाएं चलायी जा रही हैं उनमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती योजना, इन्दिरा आवास योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना चलायी जा रही है । हमारी सरकार को यह गौरव प्राप्त है कि उसने विधायकों को 75 लाख प्रतिवर्ष की विधायक निधि दी है जिससे क्षेत्र के छोटे-मोटे कार्य आसानी से कराये जा सकते हैं । नगरों के विकास के लिए स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना तथा डूडा द्वारा कार्य कराया जा रहा है । माननीय

अधिष्ठाता जी, गन्ना मूल्य का कुल देय 3088.66 करोड़ रुपया था उसमें से 2274.97 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसी के साथ हमारी सरकार ने अगैती प्रजातियों का दाम 95 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 90 रुपये मूल्य दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करिये ।

श्री मेजर जगतपाल सिंह–

कानून व्यवस्था में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है । हमारी सरकार ने अपराध पर नियंत्रण किया है । सामने बैठने वाले [× × ×] रहते हैं कि इस सरकार में अपराध बढ़ रहे हैं । उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध घटे हैं । 80.50 करोड़ रुपया पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए दिये गये हैं । हमारी सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए 1600 सेन्टर्स खोले गये हैं और 5.40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी जो एक रिकार्ड है । हमारी सरकार ने गेहूं खरीदने के लिए 610 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य रखा है । सरकार ने बिचौलियों को दूर किया है और सीधे किसानों को 610 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिल सकेगा । माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री ज़ी के बजट का समर्थन करते हुए उस पर बल देता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । [× × ×] शब्द असंसदीय है जैसे अभी मेजर साहब [× × ×] रहे थे । मेरा निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको देख लूंगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। यद्यपि हरीश जी काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और इस सदन के लम्बे समय तक विपक्ष में रहकर तमाम सारे मुद्दों पर हमेशा सदन का मार्गदर्शन करते रहे हैं । मैं समझता था कि यह बजट भाषण तैयारी के साथ प्रस्तुत करेंगे लेकिन एक दिशाहीन बजट प्रस्तुत किया है, कोई ऐसी गम्भीर चीज नहीं है जिससे कल्पना की जाये कि वर्ष 2001-2002 में विकास की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ सकेगा । जहां तक विभागवार स्थिति है अभी मेजर साहब बड़े जोर-शोर से सरकार की प्रशंसा कर रहे थे । लेकिन वह औचित्य का निर्वहन कर रहे थे, सत्ता पक्ष में हैं । ट्रेजरी बेन्च से प्रस्ताव आयेंगे भारी मन से उसका समर्थन करना ही है और मेजर साहब ने अपनी उस औपचारिकता का निर्वाह किया । स्थिति यह है कि आप किसी क्षेत्र में देखें औद्योगिक उत्पादन शून्य के कगार पर पहुंच गया है । एक-एक करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बन्द होते चले जा रहे हैं । निजी क्षेत्र की स्थिति भी अत्यन्त दयनीय है । नये उद्यमी आपके प्रदेश में आ नहीं रहे हैं । निरन्तर घोषणायें की जा रही हैं कि हजारों करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश करवाने जा रहे हैं । विदेशों में भ्रमण करने के बाद, बताया जाता है कि 3 हजार करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश उत्तर प्रदेश के लिए ले करके आये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह 4 वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार है क्या एक भी उद्योग 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का आप प्रदेश में स्थापित करा पाये हैं । औद्योगिक विकास की दिशा में क्या सरकार एक भी कदम चल सकी ? आप औद्योगिक वातावरण का सृजन नहीं कर पाये । उद्यमियों के अपहरण हो रहे हैं, चन्दा उद्योग और अपहरण उद्योग पूरी तरह से फल-फूल रहा है । सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है । किसी भी उद्योग

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

के लिए बिजली मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । एक भी मेगावाट थर्मल पावर से बिजली नहीं बनवा पाये, आपकी कोई यूनिट नहीं लगी । विद्युत उत्पादन की दिशा में प्रयास नहीं हुआ है । जो यूनिटें हैं वह आउट डेटेट हो चुकी हैं । कभी आनपारा "ए" कभी आनपारा "बी" बन्द है । बहुत दयनीय स्थिति है । क्या होगा इस प्रदेश का ? कोयले के अभाव में थर्मल यूनिट्स बन्द हो रही हैं । यह जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है इसके कारण सारी विद्युत व्यवस्था चरमरा गयी है और विद्युत उत्पादन इतना अधिक गिर गया है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है । जब तक आप विद्युत उत्पादन ठीक नहीं करेंगे तब तक आप उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं ।

सरकार उर्वरकों और उन्नत बीजों की व्यवस्था नहीं करा पा रही है, नहरों में पानी नहीं है बिजली नहीं है, अन्नोत्पादन दिनोंदिन गिरता चला जा रहा है, नहरों की सफाई नहीं हो रही है, और विश्व बैंक, के दबाव में आकर आपने छूट और सब्सिडी भी खत्म कर दी है जो किसानों को मिलती थी। पिछले दो सालों में आप देख रहें कि आलू का किसान बर्बाद हो गया है, धान का मूल्य तीन सौ रुपये प्रति कुन्टल मिल रहा है, और जो गेहूं के लिए आपने क्रय केन्द्र खोले हैं वह सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं, व्यवहार में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे किसानों को लाभ मिल सके । हमारा उत्पादन घटता चला जा रहा है । आज देश आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया है विभाग वेतन नहीं दे पा रहें, बजट स्वीकृतियां जारी होती हैं और उसकी भी सैंक्टिटी सुचिता नहीं रह गयी है और समय पर पैसा नहीं होता है । पी० डब्ल्यू० डी० 2000-2001 के अन्तर्गत जिला योजनाएं की स्वीकृतियां जारी हुई हैं लेकिन धन के अभाव में उनका कार्य रोक दिया गया है, बजट स्वीकृतियों के विपरीत मनमाने ढंग से विकास कार्यों पर पैसा खर्चने से विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है । आपने एक कार्यक्रम चलाया है गड्ढा मुक्त, पुस्तायुक्त सड़कें बनाने का तो उस पर सड़क किनारे 10-10 इंच मिट्टी डाली जा रही और सड़कों के किनारे गड्ढा मुक्त पुस्तायुक्त सड़कों का बोर्ड लगवा दिया है, इससे उन सड़कों का सुधार नहीं हो सकता है, हमारे सामने राकेश जी बैठे हैं बेचारे बड़े ही कर्मठ व्यक्ति हैं लेकिन धन के अभाव में ईंट, गिट्टी, डामर नहीं खरीदा जा सकता है तो सड़कें कैसे ठीक हो सकती है ? यह सरकार केवल घोषणएं करती है, रोज ही एक नयी घोषणा की जाती है लेकिन इनकी घोषणा के पीछे कोई संकल्प नहीं होता है । उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं है । बेसिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है यह विश्व बैंक की सहायता से तमाम नये विद्यालय खोल रहे हैं लेकिन अध्यापक नहीं हैं, कक्षा एक से लेकर पांच तक पढ़ाने के लिए केवल एक अध्यापक है, और कहीं-कहीं दो अध्यापक हैं, लेकिन आज उन पर अध्यापन के अतिरिक्त कई अन्य काम हैं, उनसे जनगणना का काम, मतदाता सूची बनवाने का काम और पंचायतों का काम उनसे लिया जाता है जिससे वह शिक्षण कार्य कर ही नहीं पाते हैं । आज विद्यालयों में एक अध्यापक है और उससे एस० डी० आई० वी० एस० ए०, जिला पंचायतों की मीटिंग का तथा मतदाता सूची बनवाने का काम लिया जा रहा है । माध्यमिक शिक्षा की भी हालत किसी से छिपी नहीं है, तमाम पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं लेकिन उन पर नियुक्ति नहीं की जा रही है, उन रिक्त पड़े पदों को भरने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है अभी जो माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं हुईं उसमें नकल अध्यादेश लागू कर दिया गया लेकिन उसका अनुपालन कहीं नहीं हो पा रहा है, रोजाना एक पर्चा आउट हो रहा है, नकल की समस्या को रोक नहीं पा रहे हैं लेकिन नकल अध्यादेश लागू है । महाविद्यालयों की शिक्षा को भी सुधार नहीं पा रहे हैं पूरे वित्तीय वर्ष में एक भी नया महाविद्यालय प्रदेश में खोला नहीं जा सका है और शिक्षा क्षेत्र को इस सरकार ने पीछे ले जाने का काम किया है, शिक्षा के स्तर को सुधारने का कोई भी प्रयास इस सरकार ने नहीं किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप समय का ध्यान रखें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मुझे अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिए ।

मान्यवर, अगर मेरी बात अच्छी न लग रही हो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री अधिष्ठाता–

अच्छी लगने न लगने की बात नहीं है, कृपया समय का ध्यान रखें।

डा० अशोक बाजपेयी–

स्वास्थ्य विभाग का जहां तक सवाल है जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर न तो डाक्टर हैं, न दवायें हैं और न उपकरण हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है वहां साधारण दवायें तक नहीं हैं जिससे मरीज मारे-मारे घूम रहे हैं। लोग मेडिकल कालेज इस अपेक्षा के साथ जाते हैं कि उनका वहां पर अच्छा इलाज होगा लेकिन वहां पर एक्सरे मशीन, अल्ट्रा साउन्ड मशीन, एम०आर०आई०, सी० टी० स्कैन मशीनें तो हैं लेकिन यह सभी उपकरण खराब रहते हैं। वहां पर न तो टेक्निशियन हैं और न बिजली है जिससे इन मशीनों की कोई उपयोगिता नहीं है और करोड़ों रुपये स्वास्थ्य विभाग पर खर्च होने के बाद भी जनता को स्वास्थ्य के संबंध में सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। माननीय मंत्री जी बजट की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि डायगनोस्टिक सेन्टर खोले जा रहे हैं। मेरा कहना है कि यह डायगनोस्टिक सेन्टर केवल कागज पर खोले जा रहे हैं। वहां पर डाक्टर या टेक्निशियनों की व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, यही स्थिति सिंचाई की है। नहरों की सफाई नहीं हो रही है, ड्रेनों की सफाई नहीं हो रही है। सरकारी क्षेत्र के ट्यूबवेल एक-एक करके बन्द होते जा रहे हैं। पंचायतों को सौंपने के बाद, आपके तुगलकी आदेश के कारण आज राजकीय क्षेत्र के ट्यूबवेल बन्द हैं। आज प्रदेश में इतना बड़ा भीषण पेयजल संकट है, जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प में से 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प बेकार पड़े हैं और जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। परिवहन निगम प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का घाटा दे रहा है। निगम की बसें पुरानी हैं जिसके कारण डग्गामारी करके निजी बस मालिक लाभ उठा रहे हैं और आपका निगम घाटे में चल रहा है। पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी मची है और कानून व्यवस्था की हालत दिनों दिन गिरती चली जा रही है। जनजीवन सुरक्षित नहीं रह गया है। सरकार केवल विशिष्ठ लोगों की सुरक्षा में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। केवल एक हजार पद निजी सुरक्षा के लिये स्वीकृत किये हैं। 10 हजार आरक्षी निजी सुरक्षा में लगे हैं और नागरिक सुरक्षा के लोग भी निजी सुरक्षा में लगाये गये हैं जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ऐसे लोगों को ए०के०–47 राइफल दे रखी है जिनके नाम पुलिस की हिस्ट्री शीट में है। उनको सुरक्षा दी गयी है जिसके चलते नागरिकों की सुरक्षा के लिये नाम मात्र को पुलिस कर्मी रह गये हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है। लखनऊ में, राजधानी में, बैंक लूटे जा रहे हैं, डाकखाने लूटे जा रहे हैं, इंश्योरेन्स के कर्मचारी जो धन लेकर जमा कराने जा रहे थे उसको लूटा जा रहा है तो जब यह प्रदेश की राजधानी की स्थिति है तो प्रदेश में दूसरे जगहों की हालत क्या होगी। जब माननीय मुख्य मंत्री जी आये थे तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार देंगे लेकिन आज 6 महीने हो गये हैं कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

मुख्य मंत्री जी कहीं पर शिक्षक पंचायत करते हैं, कहीं पर किसान पंचायत करते हैं तो इन पंचायतों को करने से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। आप बेसिक शिक्षा को देख लें, माध्यमिक शिक्षा को देख लें स्थिति खराब होती चली जा रही है। किसान पंचायत करते हैं लेकिन उसको कोई सुविधा नहीं दे रही है उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और मुख्य मंत्री जी केवल किसानों के साथ पंचायत करके अपना फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अपना जनजीवन चलाना दिनों दिन दूभर होता जा रहा है। सरकार का यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तिका की छपाई तो बहुत अच्छी है लेकिन यह सारहीन, दिशाहीन बजट प्रस्तुत

किया गया है । सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सके । इसलिये सरकार को पैसा देना निरर्थक होगा । इसी के साथ सामान्य बजट पर जो माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, किसी भी सरकार का बजट उसके आने वाले साल में वह क्या करने जा रही है इसका आइना होता है । हर सरकार कोशिशें करती है कि नए साल में अपनी जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करे । मान्यवर, जिस प्रदेश में उद्योग बेहतर हो जाएं, जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए जहां सड़क ठीक हो जाएं तो मैं समझता हूं कि यह प्रतीक होगा कि वह प्रदेश आगे बढ़ रहा है । मुझे अफसोस है कि वित्त मंत्री जी उठकर चले गए । जो भी मंत्री इस समय बैठे हों वह हमारे सुझाव को नोट कर लें । आप इस प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसका मापदण्ड क्या है । जो आंकड़े हमारे पास हैं उसको रख रहा हूं । उत्तर प्रदेश का जमा अनुपात 29 फीसदी है । हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है वहां यह जमा अनुपात 42 फीसदी, महाराष्ट्र में 68 फीसदी, कर्नाटक में 72 फीसदी है । आपका जमा अनुपात सबसे कम होगा तो जहां से ऋण मिलता है वह मिलेगा नहीं और उद्योग किस प्रकार से लगेंगे । क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो उद्योग किस प्रकार से लगेंगे । आपकी सरकार के पांच साल होने जा रहे हैं । इतने सालों बाद भी यहां पर स्थिति क्या है ? यहां लिटरेसी रेट 42 प्रतिशत है जबकि नेशनल लिटरेसी रेट 52 फीसदी है । केरल में 90 फीसदी लिटरेसी रेट है, महाराष्ट्र में 65 फीसदी है, पंजाब में 60 फीसदी । जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वह प्रदेश विकास किस प्रकार करेगा ? मैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में बताना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 41 फीसदी है । पंजाब में 11 फीसदी, गोवा में, 13 फीसदी हरियाणा में, 23 फीसदी पंजाब में, 34 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं । वार्षिक विकास दर जो किसी भी बजट की जान होती है वह 1992 से 1999 तक देखें । उत्तर प्रदेश की मात्र 2.9 प्रतिशत बढ़ी है । 1999 से 2000 के बीच दो प्रतिशत विकास दर बढ़ी है । आपके यहां न उद्योग लग रहे हैं, न लोग ट्रेडिंग करने को तैयार है, कोई खाता भी खोलने के लिए तैयार नहीं है । उद्योग हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव में जा रहे हैं । राजस्थान में जयपुर हाईवे पर पूरा का पूरा उद्योग लगा हुआ है । मगर आपके किसी हाईवे पर नहीं लगा रहे हैं । यह कहना कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा बना दिया । हमने करोड़ों की लागत से फ्लाईओवर बना दिया । यह कोई खास बड़ी बात नहीं है । आज ग्रेटर नोएडा कालोनीज बनकर रह गया है । वहां आपने कोई बहुत बड़ा उद्योग तो नहीं लगाया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 15 दिन पहले एक स्टेटमेन्ट दिया था 16 हजार करोड़ रुपये दूंगा मैं उद्योग में लगाने के लिए मैं हरीश जी से पूछना चाहूंगा कि कितने एमओयूज हुये हैं । कहीं बिजली के क्षेत्र में जैसा किया था कि 50 एमओयूज पर हस्ताक्षर किये गये मगर पूरा एक भी नहीं हुआ, वैसा तो नहीं करने जा रहे । अब जरा कृषि पर आ जायं क्योंकि हमारे प्रदेश और देश में कृषि ही प्रधान है । आप अपनी तुलना बराबर वाले प्रदेश से ही नहीं कर पाये । हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रति कुन्तल पर 30 रुपये का फर्क है । अभी चार दिन पहले एक घोषणा हुई कि 4600 क्रय केन्द्र खोल दिये गये हैं गेहूं की खरीद के लिए । मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जहां अभी गेहूं कटा ही नहीं उसकी थ्रेसिंग हुई ही नहीं वहां आपने कैसे क्रय केन्द्र खोल दिये । अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक यही स्थिति है गेहूं अभी थ्रेसिंग में भी नहीं आया और आपने क्रय केन्द्र खोल दिये कितना गलत बोला जाता है सदन के अन्दर । कानून व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं । मैंने कुछ दिन पहले भी अर्ज किया था । आपने एफ०आई०आर० दर्ज करने के आदेश केस डायरी भरने के लिए दे दिये हैं । कोई जेब कतरा हो, चोर हो या दफा–25 हो सीधे गैंगस्टर लगा दो । अब तक 8400 गैंगस्टर केस दर्ज है और

एक साल में आप 155 से ज्यादा केस पूरे नहीं कर पाते तो आप खुद ही अंदाज लगा लें 65-70 साल में केस पूरे हो पायेंगे जब तक आदमी मर जायेगा ।

कानपुर का जिक्र न करें यदि यह न कहूं कि हर कोशिश के बावजूद कि हिन्दू मुस्लिम दंगा बन जाय नहीं बना । यह शर्म की बात है कि सरकार गुलिस्तां हिन्दू मुस्लिम का झगड़ा बना दिया । आपने उन लोगों को मारा, बन्द किया जिनका कोई कसूर नहीं था जबकि आप बजटिंग कर रहे हैं यह तो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है । जहां आपको मास मौब को रोकना पड़ता है । मुझे हैरत है कि कभी यह बात आई नहीं कि आप इस भीड़ को रोकने के लिये जो गोली चलाते हैं 303 की जो कि 315 रायफल की होती है उसकी कीमत 16 या 17 रुपये प्रति गोली है । इस गोली से आदमी मर जाता है । यह आज तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आपका होम डिपार्टमेन्ट क्यों नहीं समझ पा रहा है कि प्लास्टिक की गोलियां भी चल रही हैं और वे भी आपको इस भीड़ को रोकने में सहायक होंगी । इनसे कम से कम आदमी मरता तो नहीं है । सरकार किसी की भी हो, आप इतने सख्त दिल तो नहीं होंगे अंग्रेजी सरकार की तरह कि आप अपने इन भाई बन्धुओं पर गोली चलायेंगे । यह प्लास्टिक की गोलियां ऐसी हैं जिनसे चोट लगती है, हाथ पैर भी टूट सकता है पर आदमी मरता नहीं है । इससे दोनों काम हो जाते, भीड़ को तितर-बितर कर दिया जा सकता है और गोली के डर से आदमी भागेगा ही । यही मेरा एक सुझाव है । कानून व्यवस्था के बारे में यह न कहूं तो क्या होगा । यह हाल तो यहां का है जहां मुख्य मंत्री के आवास पर इसी सरकार के एम०पी० और होम मिनिस्टर यह दावा करें और यह आरोपित करें कि स्टेट मिनिस्टर ने नेपाल के जाने के लिये आर०डी०एक्स० का भरा ट्रक छोड़ दिया अस्सी हजार रुपये लेकर । यह मैं नहीं कह रहा हूं । इसी पार्टी के एम०पी० कह रहे हैं । यह मुख्य मंत्री के आवास की मीटिंग की घटना है । जब ऐसा हो जाय तो कानून व्यवस्था क्या अच्छी होगी ? उद्योग लगाने के लिये कौन आदमी गुजरात से आयेगा ? आपके हुन्डई और हाँडा कम्पनियां जो विदेश की हैं वह जरूर आयेंगी यहां कारखाना लगाने के लिये । यह बात आपकी पार्टी का आदमी कह रहा है, यह तस्वीर है कानून व्यवस्था की । इसी के साथ मान्यवर, मैं खाद्य और सिविल सप्लाई की बात करना चाहता हूं । आपने बहुत नारे लगाये और कहा कि हमने सारी दुकानें जो थीं बन्द कर दीं और गरीबी की रेखा से नीचे के जितने लोग हैं उनको खाद्य सामग्री देंगे । मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जो गरीबी की रेखा है वह बागपत में उनके आंकड़े निकले गरीबी की रेखा से नीचे के 4 प्रतिशत । मेरठ में 7-8 प्रतिशत होंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा जिला है और सहारनपुर में 9-10 प्रतिशत होगा । उस पूरे एरिया में जो गेहूं, चीनी दी जाती थी वह बन्द कर दी । आप गरीबों को नहीं देंगे तो हमको तो देना ही बन्द कर दिया । यह आपकी कोई बहुत बढ़िया नीति नहीं है । एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आवास योजना है एल०डी०ए० वगैरह की । गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिये जो इक्नोमिकली बैकवर्ड हैं प्रधानमंत्री की योजना के तहत रजनीकुण्ड में शारदा नगर के अन्दर 500 मकान बनाये और एक तस्वीर भी छपी है । मान्यवर, आप चाहेंगे देखना तो मैं भिजवा देता हूं । यह जो तस्वीर है इसमें जो दरवाजें हैं जिनसे चढ़कर अन्दर जाया जायेगा । यह 10 फिट ऊपर है और जमीन दस फुट नीचे है ऐसे घर पांच सौ हैं, शारदा नगर में रजनीकुण्ड की बात है, यह हाउसिंग पालिसी है । श्रीमंन् सारी बात खत्म हो जाए मैं तकरीर भी खत्म कर दूं और यह न कहूं कि बिजली की क्या स्थिति है और बिजली क्यों नहीं आ पा रही है ? बिजली कैसे आयेगी ? आपने इतनी बड़ी बजट योजना बनाई आपने इतनी बड़ी तकरीर करके आपने यह नहीं कहा कि यू०पी०एस०सी० खत्म किया यू०पी० पावर कारपोरेशन में क्या लाभ हुआ इसके बारे में आपने नहीं बताया आप यह जरूर बता दीजिएगा । जब आप बोलेंगे जो मुझे मालुम है उसके हिसाब से जो आपके चेयरमैन हैं जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसको वह नहीं सुनते हैं जो कारखाने चला रहे हैं जो आपकी प्रोजेक्ट हैं जैसे ओबरा है उनका कोआरडीनेशन नहीं है वह नहीं जानते हैं कि कितना कोयला है, कितना कोयला दिया जाना है और कितना कोयला देने से फैक्ट्री कितने दिन

चलेगी । इन दोनों में कोई कोआरडीनेशन नहीं है । बजट में कहीं नहीं आया कि आनपारा-सी पांच-छः साल में क्यों नहीं बन पाया ? क्या वजह रही आनपारा सी न बनने की, जबकि उसमें हिन्दोई का टेण्डर था वह रिजेक्ट हो गया, जापान की पेशकश ली बिड्रा क्यों कर ली ? उसके बाद एन०टी०पी०सी० की मदद से आप बनाने जा रहे थे, कहा गया कि केन्द्र से सहायता आ रही है, केन्द्र पैसा देने जा रहा है इसमें सरकार का वक्तव्य आना चाहिए । यह सबसे जरूरी है कि गांव में बिजली पहुंचे । गांव में दो-तीन घण्टे बिजली पहुंचेगी, ट्रांसफार्मर बदलने में एक-एक हफ्ता लगेगा तो स्थिति खराब होगी । मान्यवर, कल परसों मंत्री जी कह रहे थे कि आज की वित्तीय स्थिति में हमारा कोई दोष नहीं है । यह तो हमें विरासत में मिली है वह देख रहे हैं । यह बेबुनियाद बात है । हर प्लान पांच साल के लिए बनता है । पूरा देश इस पर चल रहा है, पांच साल आपको मिले पांच साल के अन्दर, मैं दो बात बताना चाहता हूं आपने पिछले साल जो ट्रांसफर पोस्टिंग की उसमें आपने 132 करोड़ रुपया दिया है, उनके भत्ते की वजह से जो आपने बेवजह ट्रांसफर किया वह आए फिर गए, आंकड़े मुझे नहीं मालूम हैं लेकिन प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल लगभग 23 करोड़ के हिसाब से दिया है । किसी चीज को प्लान करते हैं तो कैबिनेट बैठती है । वह यह तय करती है कि क्या करने जा रहे हैं । आपने तय किया कि बहुउद्देशीय कर्मी को रखेंगे । मान्यवर, एक आदमी सारा काम कैसे कर पायेगा । उसका नतीजा यह हुआ है सारा काम बन्द हो गया । आज हमारे ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, उसको ठीक करने वाले हैं नहीं ...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, खत्म कर रहा हूं । तो जो यह 28 हजार थे यह बन्द हो गये । आज आप दोबारा तय करने जा रहे हैं । जो झगड़े पड़े हैं । वित्त में और आपने प्लानिंग कर दी । आप सरकार चलाना नहीं जानते । आप इसे देख लें और जो सलाह हम लोगों ने दी है उस पर भी गौर कर लें ।

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं । अभी विपक्ष की ओर से बहुत जोर-शोर से यह बात कही जा रही थी कि जो बजट की पुस्तिका है यह असत्य का पुलिन्दा है, बजट दिशाहीन है और भावहीन है, इसमें कुछ नहीं है । मान्यवर, वास्तव में यह बजट उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट है । यह बजट उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने की दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया गया प्रयास है । यह सराहनीय प्रयास है जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए । सबसे पहले मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों को जो बेघर थे, उनको घर दिलाने का काम किया । विधायकों के लिए आवास बनाया । यह मेरे क्षेत्र में बन रहा है । इससे पहले किसी सरकार ने विधायकों को आवास देने की बात नहीं सोची थी । उनके क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा था । विधायक विकास निधि इसी सरकार की देन है और इस बजट में सबसे पहले विधायक निधि का प्राविधान किया है और इससे यह बात साबित होती है कि हमारी सरकार जो हमारे विधायक हैं उनके क्षेत्र में विकास के लिए कितनी चिन्तित है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इस बजट में कृषि और कृषकों को प्राथमिकता दी गयी । किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है । चाहे नहर की सफाई हो, चाहे धान की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खरीद हो, चाहे गेहूँ की खरीद हो, गन्ना की खरीद हो या फिर चीनी मिलों पर किसानों का बकाया धन की बात हो, हर तरह से हमारी सरकार ने किसानों के हितों को देखा है और उस दिशा में प्रयत्नशील है । मान्यवर, इस बजट में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उनको रोजगार के अवसर देने, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बल दिया है । स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क के विषय में भी हमारी सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है । पहले जहां पर रजिस्ट्री होती थी तो उसकी प्रतिलिपि मिलने में बहुत देर लगती थी और अब रजिस्ट्रार के यहां कम्प्यूटर की व्यवस्था हो गयी है प्रतिलिपि उसी दिन मिल जाती है । इसी तरह से किसानों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी गयी है अनेक प्रकार से उन्हें सुविधाएं दी गयी हैं । मान्यवर, इस सदन के अन्दर कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि भूगर्भ जल जो है उसका स्तर धीरे-धीरे नीचे गिरता जा रहा है हमारी सरकार ने वाटर रिचार्ज करने की ओर विशेष ध्यान दिया है मेरी जानकारी है इस सरकार ने एक आदेश भी पारित कर दिया जब कोई मकान बनायेंगे तो रेन वाटर को चार्ज करने के लिए उसे मकान के बाहर एक मशीन लगानी पड़ेगी ताकि रेन वाटर बेस्ट न होने पाये और भूगर्भ में चला जाये ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है । 50 इंजीनियरिंग कालेज अभी तक स्थापित किये गये हैं इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की गयी है जिससे प्रदेश के सारे इंजीनियरिंग कालेज में दक्षता आयेगी और उनका प्रशासनिक नियंत्रण अच्छा होगा और गुणवत्ता में सुधार आयेगा ।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है लखनऊ में आज एक भी प्राथमिक विद्यालय ऐसा नहीं है जिनकी हालत पहले जीर्ण-शीर्ण हुआ करती थी, किसी भी वक्त गिर सकते थे वे नवनिर्मित हो गये हैं । जहां मरम्मत हो सकती थी, वहां मरम्मत हो गयी है । डूडा विधायक निधि, सांसद निधि से उनका धन फूल करके इन सारे विद्यालयों का कार्य किया गया है इसी तरह से मेडिकल कालेज के जो अधूरे भवन पड़े हुए थे, हमारी सरकार ने उनके लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालयों को स्थापित करने और उनको सुदृढ़ करने के लिए 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है राजकीय होम्योपैथिक कालेज गाजियाबाद, फैजाबाद के छात्रों के लिए, छात्रावासों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चर्चा कितनी देर रहेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जारी रखे हमारे और भी कुछ काम हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी दो दिन हैं । चर्चा जारी रहेगी ।

## नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3-5-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री रूप चौधरी की प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में लाखों की संख्या में अवैध रूप से आकर बस रहे बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर वापिस भेजे जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री तेजभान सिंह की प्रदेश में लेवी चावल की खरीद पर हो रही घपलेबाजी तथा अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश

में साइबर कैफों में अश्लील वेबसाइटों के प्रदर्शन से बढ़ रही अनैतिकता पर रोक लगाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा की पुलिस की निरंकुशता तथा पंजीकृत अभियोगों में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत असेवित विकास खण्ड मिल्कीपुर में स्वीकृत कन्या इण्टर कालेज (मथुराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजरौली) के निर्माण की द्वितीय किश्त तथा हाई स्कूल की मान्यता प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठीं सूचना श्री संजय गर्ग की सहारनपुर मण्डल में टाण्डा, गैंगस्टर एवं बाल न्यायालयों की स्थापना न होने तथा एन०एस०ए० कोर्ट देहरादून के उत्तरांचल में चले जाने से वादकारियों एवं प्रशासन को हो रही असुविधाओं के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल का भवन जर्जर होने से कभी भी कोई दुर्घटना घटने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री अकबर हुसैन की जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी क्षेत्र में गांगन नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जलोत्सारण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीर क्षेत्र के अन्तर्गत आलापुर अन्नापुर रामनगर में प्रस्तावित तहसील भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम–56 में प्राप्त सूचना को नियम–51 में परिवर्तित करते हुये केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, ग्यारहवीं सूचना श्री राम जग की जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्र के अन्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, बारहवीं सूचना श्री नेतराम सिंह की कासगंज जनपद एटा में विद्युत लाइन के तार टूटने से हुई दुर्घटना के मृतकों एवं घायलों के परिवारों की सहायता राशि एवं क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हैं, तेरहवीं सूचना श्री विनोदमणि की जनपद महराजगंज व गोरखपुर में राप्ती नदी पर बने कतिपय तटबन्धों के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अब तक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हैं। चौदहवीं सूचना आचार्य रामदेव वैश्य की जनपद फैजाबाद के रूदौली क्षेत्र में घाघरा नदी के कटान से कतिपय ग्रामों को बचाने हेतु पस्ता तथा सराय नासीर के बीच ठोकर बनाये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हैं पन्द्रहवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के कपितय ग्रामों के जीर्ण-शीर्ण प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण पुनः कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हैं, सोलहवीं सूचना श्री कौकब हमीद की जनपद फिरोजाबाद के टुण्डला नगर के न्यू शिव नगर मोहल्ले में हुए अग्निकाण्ड पीड़ितों को सहायता राशि एवं मुआवजा दिये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, सत्रहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की लखनऊ महानगर में अलीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत शेखूपुरा कालोनी में नगर निगम सफाई कर्मियों द्वारा कालोनी के मध्य कूड़ा एकत्र करने का स्थल बनाये जाने तथा सीवर की सफाई एवं समुचित पेयजल पूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हैं, अठारहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1993 से 1997 में आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में विभिन्न विभागों द्वारा आरक्षण में रोस्टर के अनुसार अधियाचन न भेजे जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई। श्री श्रीराम यादव, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री बाबूलाल कुरील, श्री समरपाल सिंह, श्री हरपाल सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री राम कुमार एडवोकेट एवं श्री शिव सिंह चक।

**लोक निर्माण विभाग की आर०आई०डी०एफ० योजना के फेज–5 व 6 के अन्तर्गत सड़कों की स्वीकृति में की गयी अनियमितताओं के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य**

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

नाबार्ड वित्त पोषित.....

वन मंत्री (श्री राजधारी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राम प्रसाद कमल–

[ आर०आई०डी०एफ० फेज–5 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 1315 मार्गों के प्रस्ताव नाबार्ड की सहमति हेतु संदर्भित किये गये और नाबार्ड की सहमति के उपरान्त 1002 मार्ग कार्यों की स्वीकृतियां निर्गत की गईं । इन स्वीकृतियों में जनपद मैनपुरी का कोई भी कार्य सम्मिलित नहीं था । आर०आई०डी०एफ० फेज–5 योजना के अन्तर्गत शेष प्रस्तावों को नाबार्ड को सहमति हेतु संदर्भित नहीं किया जा सका, परन्तु आर०आई०डी०एफ० फेज–6 योजना में सम्मिलित करने के लिए वर्ष 2000-2001 में शेष कुल 1698 कार्यों का प्रस्ताव नाबार्ड की सहमति हेतु प्रेषित किये गये, जिसमें जनपद मैनपुरी के 14 कार्य सम्मिलित थे । नाबार्ड द्वारा 1468 मार्ग कार्यों हेतु सहमति प्रदान की गई, परन्तु भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ किये जाने के कारण 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है । जनपद मैनपुरी के प्रस्तावित सभी मार्ग कार्यों से जुड़ने वाले ग्रामों की आबादी 1000 से अधिक है । अतएव जनपद मैनपुरी के इन सभी कार्यों के प्रस्ताव अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने हैं । आर०आइ०डी०एफ० फेज–5 व फेज–6 योजना के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृतियों के संबंध में जनपद मैनपुरी के साथ कोई भेदभाव अथवा अनियमितता नहीं की गई है । ]

**प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त हजारों अध्यापकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य**

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

विशेषज्ञों के वेतन भुगतान के संबंध में उल्लेखनीय है .....

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री चन्द्र किशोर–

[ कि प्रदेश के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पदों के सृजन पर रोक लगा दिये जाने के कारण तथा बढ़ती हुई छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों के पदों में वृद्धि न होने के फलस्वरूप शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था, इसलिए प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित कराये जाने हेतु अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक निश्चित मानदेय रु० 5000/–प्रतिमाह पर विषय विशेषज्ञों की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्णय लिया गया है ।

विषय विशेषज्ञों के वेतन भुगतान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2000-01 के आय-व्ययक में धनराशि की व्यवस्था नहीं करायी गयी थी । विषय विशेषज्ञों के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2000-01 में अनुपूरक मांग के माध्यम से रु० 2.50 करोड़ का प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकार करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिस पर वित्त विभाग द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष में रु० एक करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी । नियोजन विभाग द्वारा उक्त धनराशि को आयोजनेत्तर पक्ष में व्यवस्थित मान लिए जाने के कारण, परिव्यय उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण विषय विशेषज्ञों को वेतन भुगतान के लिए धनराशि नियोजन/वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है ।

विषय विशेषज्ञों को वेतन भुगतान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2001-02 के आय-व्ययक में रु० 12.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था है । प्रथम त्रैमास की किश्त जारी की जा रही है । ]

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, विशेषज्ञों की जो नियुक्ति की गई थी, उनको वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । इस संबंध में मैं चाहता हूं कि उनके वेतन का भुगतान करा दें ।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, दूसरा पत्र 2-5-2001 को मिल गया है । उनके वेतन का भुगतान अतिशीघ्र करा दिया जायेगा । वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां लगाई थीं, जिस नाते भुगतान में विलम्ब हो गया था, उसको शीघ्र करा दिया जायेगा ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, कोई समयबद्धता सुनिश्चित करा दीजिए ।

श्री चन्द्र किशोर–

अतिशीघ्र करा देंगे ।

**प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुविधाओं को सरकार द्वारा समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा दिनांक –25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य**

श्रम राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा ...

(सदन की सहमति से मद संख्या–12 तथा 13 के वक्तव्य पढ़े हुये माने गये)

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री धर्मपाल सिंह–

[ संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के स्वस्थ मनोरंजन एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उद्योग बाहुल्य जनपदों में और बाद में अन्य जनपदों में भी राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना की गयी थी । इन राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों में वाचनालय, पुस्तकालय, बाहरी एवं भीतरी खेलकूद, श्रमिकों के परिवारों की स्त्रियों के लिए सिलाई एवं बुनाई का प्रशिक्षण तथा चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुलभ करवाई गयी । इसके साथ ही साथ रेडियो एवं टेलीविजन की भी व्यवस्थाएं इन केन्द्रों में सुलभ करवाई गई ।

केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर इन केन्द्रों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया था :–

(1) "क" श्रेणी के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों में एलोपैथिक डिसपेन्सरी, महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, भीतरी एवं बाहरी खेलकूद, पुस्तकालय तथा वाचनालय एवं मनोरंजन के लिए रेडियो तथा टेलीविजन का प्रबन्ध किया गया ।

(2) "ख" श्रेणी के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों में एलोपैथिक डिसपेन्सरी के स्थान पर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी डिसपेन्सरी का प्रबन्ध किया गया था और अन्य सुविधाएं "क" श्रेणी के समान उपलब्ध कराई गई ।

(3) "ग" श्रेणी के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों में वाचनालय, पुस्तकालय तथा भीतरी एवं बाहरी खेलकूद तथा सिलाई प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं भी सीमितता के आधार पर सुलभ करवाई गई थीं ।

इन राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं से मुख्यतया संगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी लाभान्वित हुए परन्तु समय के बदलाव के साथ-साथ इन केन्द्रों में उपलब्ध सीमित सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में अन्यत्र उपलब्ध होने, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रतिष्ठानों द्वारा स्वस्थ मनोरंजन की बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं सुलभ कराये जाने के फलस्वरूप तथा रेडियो एवं टेलीविजन और समाचार पत्रों की घर-घर में आपूर्ति की स्थिति से इन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति श्रमिकों की रुचि धीरे-धीरे कम होती गयी । साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि सीमित बजट के फलस्वरूप एवं बढ़ते हुए मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुये उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ा और इन सुविधाओं को समयानुकूल परिवर्तन के अनुसार उच्चीकृत किया जाना भी संभव नहीं हो सका । ऐसी स्थिति में इन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति श्रमिकों तथा उनके परिवारों के स्थान में धीरे-धीरे कमी अवश्य परिलक्षित हुई है ।

इस श्रृंखला में श्रम हितकारी केन्द्रों के निष्क्रिय एवं अनुपयोगी हो जाने के कारण वर्ष 1992 में 17 केन्द्रों को बन्द कर दिया गया था । इसी प्रकार शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासकीय आदेश संख्या–2303/36-4-2000–83/98, दिनांक 16-09-2000 द्वारा श्रम हितकारी संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से किराये के भवनों में संचालित 32 श्रम हितकारी केन्द्रों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

इन बंद किये गये राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अन्य रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित किया गया है । इन 32 किराये के भवनों में स्थापित केन्द्रों को बन्द करने के उपरान्त भी अभी भी प्रदेश में 43 केन्द्र कार्यरत हैं । यह कहना तथ्यपरक नहीं है कि इन 32 राजकीय

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रम हितकारी केन्द्रों को बन्द करने से कार्यरत स्थाई कर्मचारियों का आर्थिक बोझ अभी भी पूर्ववत् शासन पर बना हुआ है क्योंकि जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि इन केन्द्रों को बन्द करने के फलस्वरूप इनमें कार्यरत कर्मचारियों को श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत रिक्त अन्य पदों के विरुद्ध समायोजित किया गया है । इन केन्द्रों में उपलब्ध सीमित सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में इनकी लोकप्रियता संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा उनके परिवारों में पूर्ववत् जैसी नहीं रह गई थी, इसका कारण इन शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं का अन्यत्र सुलभ होने, आधुनिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने श्रमिकों को स्वस्थ मनोरंजन हेतु बेहतर सुविधाएं सुलभ कराये जाने तथा रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्र का घर-घर में सुविधा से सुलभ होने इत्यादि प्रमुख रूप से है ।

अतएव यह कहना तथ्यपरक नहीं है कि इन केन्द्रों को समाप्त करने से श्रमिकों में कोई घोर असन्तोष व्याप्त है । ]

**जनपद सहारनपुर में भू-माफियों द्वारा निर्बल तथा असहायों की भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[ श्री संजय गर्ग, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25-4-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में सूचित किया गया है कि जनपद सहारनपुर में भू-माफियाओं के आतंक से जन सामान्य में भयंकर आक्रोश व्याप्त है । जमीनों की अवैध कब्जेदारी से आए दिन गैंगवार होने से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं । इसी संदर्भ में मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा सहारनपुर नगर की निवासिनी स्व० श्री रामगोपाल अग्रवाल की विधवा श्रीमती कमलेश रानी की भूमि लगभग 759 वर्ग गज जिसका खसरा नम्बर–538 खेवट नम्बर 13 तथा प्लाट नम्बर 5 है पर कतिपय दबंगों जो कि डी०एस०ओ० कम्पाउन्ड सहारनपुर के निवासी हैं द्वारा अवैध कब्जेदारी की जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है । अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध आई०पी०सी० की धारा 147, 148, 427, 448, 506 के अन्तर्गत थाना सदर सहारनपुर में मुदकमा अपराध संख्या–141/2001 पंजीकृत हुआ है । कब्जेदारों का राजनैतिक प्रभुत्व होने के कारण प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है ।

2–इस प्रकरण की जांच जिलधिकारी, सहारनपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कराई गई । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जांच के अनुसार जनपद सहारनपुर में भू-माफियाओं का कोई आतंक नहीं है और न ही जनसामान्य में कोई आक्रोश व्याप्त है । जमीन के अवैध कब्जे को लेकर कोई गैंगवार होने की घटना घटित नहीं हुई है तथा कानून व्यवस्था सामान्य है । भू-माफियाओं को प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा संरक्षण प्रदान किए जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । श्रीमती कमलेश रानी पत्नी स्व० श्री रामगोपाल अग्रवाल निवासी मोहल्ला मिश्र मुरार सहारनपुर की तहरीर दिनांक 7-1-2001 के आधार पर पंजीकृत मु०अ०सं०–141/2001 धारा 147/148/427/506 भा०दं०वि० बनाम गजेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, प्रवीण ठाकुर, देवसुगन व कालीचरण आदि के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर दिनांक 15-4-2001 पर पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने की संस्तुति की गई है । ]

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद फिरोजाबाद के थाना मटसैना में अपहरण की घटनाओं के संबंध में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जनपद अम्बेडकर नगर के सिकन्दर पुर.....

उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[ नियमावली के नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 25-4-2001 को श्री रघुवर दयाल वर्मा, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा यह सूचना दी गयी है कि दिनांक 13-4-2001 को लगभग 7.00 बजे सायं पिलुआ मोड़ के पास कुछ बदमाशों द्वारा जो सफेद रंग की मारूति कार एवं मोटर साइकिल पर सवार थे, ने श्री कैलाश चन्द्र वर्मा को मारूति कार में डालकर अपहरण कर ले गये । उनका स्कूटर बजाज सुपर भी साथ ले गये । अतः इस मामले में सदन में वक्तव्य दिये जाने का अनुरोध मा० सदस्य ने किया । मा० सदस्य ने यह भी बताया है कि सायं 7-00 बजे श्री वर्मा के परिवारजनों ने बदमाशों का पीछा किये जाने हेतु थाने पर उपस्थित उप पुलिस निरीक्षकों से अनुरोध किया कि उन्हें जीप दे दें, परन्तु थानाध्यक्ष ने कहा कि जीप नहीं देंगे । एक सप्ताह पूर्व भी बदमाशों द्वारा जेदामई के प्रजापति का अपहरण भी थाना मटसैना के थानाध्यक्ष के कार्य-काल में हुआ, जिससे जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है ।

2-इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार श्री कैलाश चन्द्र वर्मा के परिवारजनों द्वारा थाना मटसैना पर उनके अपहरण की सूचना 20-10 पर दी गयी, जबकि थानाध्यक्ष, मटसैना श्री पवार जी०डी० सं०–27 समय 18-40 बजे अपने स्थानान्तरण पर रवाना हो चुके थे । अतः जीप मांगे जाने के आरोप की पुष्टि नहीं हो रही है । श्री कैलाश चन्द्र वर्मा के अपहरण की घटना में प्रयुक्त मारूति कार एवं स्कूटर बरामद कर लिया गया है और घटना में शामिल अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये, जो थाना नसीरपुर क्षेत्र के निवासी हैं । अपहृत कैलाश चन्द्र वर्मा को बदमाशों द्वारा बीहड़ क्षेत्र में रखा गया, जहां निरन्तर काम्बिंग की गयी और उन्हें दिनांक 25-4-2001 को नसीरपुर क्षेत्र के बीहड़ से बरामद करने में सफलता हासिल की गयी है । श्री कैलाश चन्द्र वर्मा के अपहरण के संबंध में थाना मटसैना पर मु०अ०सं०–42/2001 धारा–366 भा०द०वि० बनाम अज्ञात 9 बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री राममहर सिंह पवार का स्थानान्तरण हो चुका है । श्री राजू पुत्र श्री रामदास, निवासी जेदाई थाना मटसैना जो थाना मटसैना में हलवाई की दुकान करता है का, दिनांक 25-3-2001 को 4-5 बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया । इस संबंध में थाना मटसैना पर मु०अ०सं०–32/2001 धारा 364ए पंजीकृत हुआ । दिनांक 5-4-2001 को काम्बिंग के दौरान राजपाल उर्फ भैसा निवासी दतावली के ट्यूबवेल से अपहृत राजू की बरामदगी की गयी । इस अभियोग में राजपाल उर्फ भैसा, रामवीर, रामलखन तथा जगवीर के नाम प्रकाश में आये । इनमें से राजपाल उर्फ भैसा को दिनांक 24-4-2001 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के ठोस प्रयास जारी हैं । श्री कैलाश चन्द्र वर्मा के अपहरण के प्रकरण में विवेचना एवं मा० विधायक द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर से जांच करायी जा रही है । जिसके परिणामों से यथासमय अवगत कराया जायेगा । ]

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरी एस०पी० से बात हुई । वहां दरोगा से जीप मांगी गई, दरोगा ने नहीं दी तो उसका स्थानान्तरण कर दिया गया । इसमें लिखा है कि यह तथ्य गलत है । दूसरी बात यह कि दोनों में से कोई

मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है । उनकी गिरफ्तारी कब तक करा देंगे । साथ ही इन दोनों प्रकरणों की जांच जो सी०ओ० कर रहे हैं, उसे कब तक करा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मूल उत्तर में है कि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के ठोस प्रयास जारी हैं । अब कोई हमारे सामने तो बैठा नहीं है जो हम उसे तुरन्त पकड़ लें । हमने आश्वस्त किया है । प्रभावी तरीके से प्रयास कर रहे हैं । जहां तक जांच का सवाल है, जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

थानाध्यक्ष मौजूद था, जीप उन्होंने नहीं दी इसका भी जांच में संज्ञान ले लिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

जिस तथ्य का आपने उल्लेख किया है उसको संज्ञान में ले लिया है ।

**जनपद अम्बेडकर नगर के सिकन्दरपुर में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत होने तथा जमीन उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत श्री राम अचल राजभर द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जनपद अम्बेडकर नगर के सिकन्दरपुर .....

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हुकुम सिंह–

[ जनपद अम्बेडकर नगर के सिकन्दरपुर में नये 33 के०वी० उपकेन्द्र क्षमता 1x3 एम०वी०ए० तथा 10 कि०मी० 33 के०वी० लाइन का निर्माण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के द्वितीय पारेषण के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है । उपकेन्द्र तथा संबंधित 33 के०वी० लाइन के निर्माण की लागत रुपये 80.61 लाख है । इस उपकेन्द्र के निर्माण के लिए आयुक्त, फैजाबाद मण्डल ने भूमि गाटा संख्या–630, 631, 633, 634 को खतौनी में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के नाम स्थानान्तरित की थी । इस उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ करते ही स्थानीय जनता ने निर्माण कार्य का विरोध किया तथा यह भी इंगित किया कि चयनित भूमि कब्रिस्तान एवं कर्बला के प्रयोग में ली जा रही है इस कारण इस भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

वर्णित परिस्थिति में सिकन्दरपुर विद्युत उपकेन्द्र की क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सिकन्दरपुर के 5 कि०मी० की परिधि में अन्यत्र उपयुक्त भूमि का चयन किया जा रहा है । भूमि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा । ]

**जनपद बलिया में तहसील तथा पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अम्बिका चौधरी द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य द्वारा सूचना दी गई है ...

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य द्वारा सूचना दी गई है कि [ कि जनपद बलिया में तहसील व पुलिस के कर्मचारियों/अधिकारियों की मिली भगत से किये जा रहे अवैध बालू खनन एवं पट्टेदारों को परेशान किये जाने की शिकायतें आ रही हैं । उदाहरण के तौर पर बिल्थरा रोड तहसील के अन्तर्गत बालू खनन पट्टेदार श्री भूखन मल्लाह, जिनके पट्टे की अवधि 10-9-2001 तक है, किन्तु नायब तहसीलदार द्वारा 13-4-2001 को खनन बन्द करवा दिया है तथा बल प्रयोग करके नकदी रुपये 3,915/--व परिवहन के लिये जारी किये जाने वाले एम०एम०-11 स्टाक रजिस्टर व अन्य कागजात लूट लिये गये । इस समय वैध बालू खनन कार्य बन्द है और अवैध बालू खनन जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है ।

इस संबंध में जिलाधिकारी बलिया की आख्या के आधार पर वस्तुस्थिति यह है कि जनपद बलिया में तहसील व पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन कराये जाने का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है । जहां तक वैध पट्टेदारों को संरक्षण मिलने के स्थान पर परेशान किये जाने के संबंध में तहसील बिल्थरा रोड के अन्तर्गत बालू खनन के पट्टेदार श्री भूखन मल्लाह के विरुद्ध दिनांक 13-4-2001 को की गई कार्यवाही का प्रश्न है, के संबंध में अवगत कराना है कि अवैध बालू खनन व बिक्री की बहुत सी शिकायतें प्राप्त होने पर उसकी जांच के दौरान दिनांक 13-4-2001 को यह देखा गया कि ग्राम तुर्तीपार के कुछ लोग बालू खनन कर ट्रैक्टर पर लाद रहे थे तथा तुर्तीपार की सरहद के अन्दर नवनिर्मित पुल के पूर्व की तरफ अवैध रूप से बालू खनन का कार्य कर रहे थे । मौके पर पहुंचते ही वहां पर उपस्थित सभी लोग भागने लगे, जिसमें भागने वाला एक व्यक्ति श्री भूखन मल्लाह भी था, जो बालू खनन का पट्टेदार भी है । मौके पर दो ड्राइवर, एक मुन्शी तथा तीन ट्राली ट्रैक्टर बालू सहित पकड़ा गया, जिसे थाना उभांव के पुलिस के हवाले कर दिया गया । पकड़े गये व्यक्तियों में से एक पट्टेदार का मुन्शी भी था जो रसीद काटकर पैसा वसूल कर रहा था । उसके कब्जे से तीन रसीदें (प्रपत्र एम०एम०–11) प्राप्त हुई, जिसमें दो रसीदें अवैध थीं, जिस पर किसी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं थे । प्राप्त रसीदों पर ग्राम खेराखास एवं बिल्थरा बाजार अंकित किया गया था, जबकि बालू खनन का कार्य ग्राम तुर्तीपार के सीमा के अन्तर्गत किया जा रहा था । उल्लेखनीय है कि श्री भूखन मल्लाह को दिनांक 6-8-98 से 5-8-2001 तक ग्राम हल्दीरामपुर, बिल्थरा बाजार, खेराखास, आराजी खुलोरा और दियरा सीर सरकार के कुल 6 गाटाओं के 66 एकड़ रकबे के बालू खनन का पट्टा स्वीकृत हुआ है, परन्तु पट्टेदार द्वारा रायल्टी के निर्धारित किश्तों में अभी तक द्वितीय वर्ष की तृतीय किश्त मु० 1,08,900/– व तृतीय वर्ष की तीनों किश्तें मु० 2,39,580/–अभी तक जमा न करने के कारण उनके पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है । पट्टेदार द्वारा आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के न्यायालय में रायल्टी जमा न करने के संबंध में एक अपील भूखन मल्लाह बनाम जिलाधिकारी बलिया दाखिल की गई है ।

उपरोक्त से यह स्पस्ट है कि श्री भूखन मल्लाह द्वारा बालू खनन हेतु उनके पक्ष में स्वीकृत ग्रामों एवं रकबों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में भी बालू का अवैध खनन किया जा रहा था । इसे तहसील के अधिकारियों द्वारा रोक कर शासन को होने वाली राजस्व की क्षति से बचाया गया है । ]

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकरण की समुचित व्यवस्था कराने तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर रोक लगाये जाने के संबंध में श्री रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

ग्राम अलीनगर रेवडा [ नौसहरा विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज जनपद बहराइच के विद्युतीकरण का कार्य श्री जे०पी०एन० सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा कराया जा रहा था । ग्राम रेवडा और नौसहरा का कार्य, कार्य माह 11/2000 में पूर्ण कराया जा चुका है । ग्राम अलीनगर का कार्य श्री जे०पी०एन० सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा बिना कार्य भार सौंपे कारपोरेशन के आदेशानुसार स्थानान्तरित हो जाने के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था । ग्राम अलीनगर में यद्यपि कोई विद्युत बिल नहीं भेजे गये हैं तथापि त्रुटिवश कोई बिल चले गये होंगे तो उनको माफ कर दिया जायेगा । ग्राम डढ़ैला एवं उसके मजरों का विद्युतीकरण आर०एम०एन०पी० योजना के अन्तर्गत वर्ष 86–87 में किया गया था लाइन बनने के एक वर्ष बाद ही विद्युत तारों की चोरी हो गई थी किसी उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन न लिये जाने के कारण इस ग्राम की लाइन को पुनर्जीवित नहीं किया गया । वर्ष 1991–92 में जनपद बहराइच में मा० विधायक जी एवं जनप्रतिनिधियों ने इस विभाग/खण्ड को अपने बजट से कोई धन उपलब्ध नहीं कराया ।

गोहडिया नं० 4 व मंगल मेला जो ब्लाक कैसरगंज में है के तार दिनांक 1-2-2000 की रात्रि को चोरों द्वारा काट लिये गये थे इस चोरी की प्राथमिकी दर्ज न हो पाने के कारण यह तार नहीं बदले जा सके । प्राथमिकी दर्ज कराने के प्रयास किये जा रहे हैं । प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

वर्ष 2000-2001 में पांच-पांच गांवों के विद्युतीकरण हेतु पूर्ण धन उपलब्ध न हो सकने के कारण वर्ष 2000–2001 के लिये चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य नहीं किया जा सका । मा० विधायक यदि विधायक निधि से वांछित धन उपलब्ध करा दें तो उनके पांच गांवों के विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा । मा० विधायक श्री रामतेज यादव एडवोकेट जी द्वारा दिनांक 22-3-2001 को जरवल कस्बे के पास श्री के०एल० चौरसिया अवर अभियन्ता को बुलाकर जरवल कस्बे के ग्राम नया पुरवा में सात खम्भे बिना किसी स्वीकृति के गड़वाने के लिये दबाव डाल रहे थे श्री चौरसिया द्वारा अपनी असमर्थता व्यक्त करने पर मा० विधायक जी द्वारा अभद्रता की गई, जिसकी प्राथमिकी थाना जरवल रोड बहराइच में दर्ज कराई गई है ।

श्री जे०पी०एन० सिंह अवर अभियन्ता के विरुद्ध नाजायज पैसा लेने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है श्री दुबे नाम का कोई भी अवर अभियन्ता पिछले दस वर्षों से कैसरगंज में तैनात नहीं रहा है ।

कैसरगंज में फरवरी तथा मार्च माह में औसत 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है । ]

(सदन की सहमति से मद सं० 18, 19, 20, 21 एवं 22 के वक्तव्य पढ़े हुये माने गये ।)

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की दो सड़कों के सुधार एवं पुनर्निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

[जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में स्थित दर्जीकुआं-मनकापुर-बभनान मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और मसकनवा सिकन्दरपुर मार्ग ग्रामीण मार्ग की श्रेणी का है। यह दोनों लोक निर्माण विभाग के मार्ग हैं। दर्जीकुआं-मनकापुर-बभनान मार्ग की औसत क्रस्ट की मोटाई लगभग 17 से०मी० तथा मसकनवा-सिकन्दरपुर मार्ग की क्रस्ट मोटाई लगभग 14 से०मी० है। बभनान में चीनी मिल होने के कारण गन्ने के भारी ट्रक व ट्रालियों के चलने से यह दोनों मार्ग प्रायः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उपलब्ध सीमित संसाधनों से लगातार मरम्मत एवं गड्ढामुक्ति का कार्य कराया जाता है परन्तु मार्ग के क्रस्ट की मोटाई आवश्यकता से कम होने के कारण मार्ग की स्थिति संतोषजनक नहीं रह पाती है।

2—उपर्युक्त दोनों मार्ग की कुल लम्बाई तथा नवीनीकरण की प्रगति निम्न प्रकार है :–

| क्र०सं० | मार्ग | कुल लम्बाई | 2000–2001 में नवीनीकरण की गई लम्बाई | 2001–2002 में नवीनीकरण हेतु स्वीकृत लम्बाई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दर्जीकुआं-मनकापुर-बभनान (प्रमुख जिला मार्ग) | 66 कि०मी० | 7 कि०मी० | 11 कि०मी० |
| 2 | मसकनवा-सिकन्दरपुर (ग्रामीण मार्ग) | 05 कि०मी | 3 कि०मी० पूर्ण शेष 2 कि०मी० प्रगति में | —— |

3—अवगत कराना है कि नवीनीकरण में सड़कों की सतह का मात्र पुनः लेपन किया जाता है, इससे सड़क की क्रस्ट की मोटाई नहीं बढ़ती है और भार वाहन क्षमता में भी कोई सुधार नही होता है। सभी मार्गों की लगभग 10 प्रतिशत लम्बाई में प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। सूचना में अंकित जिलाधिकारी, गोण्डा के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 625/आ०लि० (लो०नि०वि०)/2000, दिनांक 3 अक्टूबर, 2000 में निम्नलिखित दो मार्गों के सुधार एवं पुनर्निर्माण करने हेतु पत्र प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया गया है :–

1—दर्जीकुआं-मनकापुर-बभनान मार्ग के कि०मी० 41 से 49 तक का सुधार एवं पुनर्निर्माण।

2—गौरा चौकी चन्द्रदीप घाट मार्ग का सुधार एवं पुनर्निर्माण।

4—उपर्युक्त मार्ग में से प्रथम मार्ग के सुधार एवं पुनर्निर्माण हेतु 75 लाख रुपये का आगणन मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा प्रमुख अभियन्ता को अपने पत्र दिनांक

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-11-99 द्वारा भेजा गया है किन्तु प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त सुधार/पुनर्निर्माण का कार्य सम्भव नहीं हो पाया है । मा० विधायक द्वारा दी गई नियम 51 की सूचना में अंकित दोनों मार्गों पर अनुरक्षण मद के अन्तर्गत उपलब्ध सीमित धनराशि से मरम्मत/रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है । प्रश्नगत सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं हो पाया ।]

**जनपद मथुरा की बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं पुलिस द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा मनमानी के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद मथुरा की बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा की जा रही अनियमितताओं व मनमानी किये जाने के संबंध में सूचना प्रेषित की गई है, उक्त सूचना में अंकित मामलों के संबंध में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :–

1—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्या के अनुसार रमाधिकारी एवं ललिता देवी (साध्वी) के द्वारा आज तक कोई बलात्कार का अभियोग गोवर्धन पर किसी सम्भ्रान्त व्यक्ति अथवा साधू सन्त के विरुद्ध पंजीकृत नहीं कराया गया है । स्थानीय पुलिस द्वारा सुरा-सुन्दरी का सेवन करके उसके इशारे पर चलने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है और न ही उसकी पुष्टि हुई है ।

मु०अ०सं०–54/2001 धारा 323/504/506/427 भा०द०वि० वादी श्री नृत्य कृष्ण अधिकारी द्वारा थाना गोवर्धन पर दिनांक 20-3-2001 को पंजीकृत कराया गया था । उक्त घटना में वादी के चोट आयी थी जिसका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोवर्धन, जनपद मनुरा में मेडिकल कराया गया था । अभियोग में अभियुक्त बी० पी० ज्योति दिनांक 21-3-2001 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त गोरा दास दिनांक 11-4-2001 को न्यायालय आत्मसर्पण कर जमानत करा ली है ।

मु०अ०सं०–61/2001 धारा 147/323/504/506/354/427 भा०द०वि०थाना-गोवर्धन पर दिनांक 23-3-2001 को वादी गोविन्द दास द्वारा अभियुक्त बी०पी० ज्योति, भजन, सत्यानन्द, रवि, निभाई चरन, पद्मनाथ, ग्रीश, दिनेश कौशिक के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । उक्त अभियोग में भगन, सत्यानन्द, निभाई चरन व रविशंकर की गिरफ्तारी की जा चुकी है । अभियोग में वादी गोविन्द नाथ को मारापीटा गया, जिसमें वादी का डाक्टरी मुआयना कराया गया । शिकायत के आधार पर दोनों अभियोगों की विवेचना दिनांक 13-4-2001 को उप निरीक्षक को सुपुर्द की जा चुकी है तथा विवेचना प्रचलित है ।

2—मु०अ०सं०200/2000 धारा 147/148/149/307/506 भा०दं०वि० वादी श्री राम बाबू अग्रवाल निवासी बड़ा बाजार, गोवर्धन ने दिनांक 15-10-2000 को थाना-गोवर्धन पर निरंजन, लाखन सिंह, कमल शंकर, भारत, चन्द्रपाल के विरुद्ध पंजीकृत कराया । उक्त अभियोग में कान्ता प्रसाद व घनश्याम के काफी चोट आई थी, इसके अतिरिक्त कैलाश, विनोद आदि 8 व्यक्तियों को चोटे आयी थीं, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया था । अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डों व फरसों से मारपीट की गई थी । मारपीट में निरंजन के सिर में अभियुक्तों द्वारा ही चोट पहुंचाई गई थी जिसका

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गिरफ्तारी के दौरान प्राथमिक उपचार कराया गया था । उक्त अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक द्वारा की गई तथा नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–139/2000 दिनांक 22-10-2000 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जहां तक शंकर, अमर सिंह, कमल सिंह, निरंजन के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट की कार्यवाही का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 26-10-2000 को थाना-गोवर्धन पर तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा मु०अ०सं०–289/2000 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट पंजीकृत कराया गया था उक्त अभियोग की विवेचना की गई । आरोप सत्य पाये जाने पर आरोप पत्र सं०–15/2001 दिनांक 17-3-2001 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कई अपराधिक मामले में विचाराधीन है । दिनेश पुत्र शंकर लाल निवासी रोहित पाइसा पर झूठा गुण्डा एक्ट लगाया गया है, सत्यता यह है कि कि दिनेश के विरुद्ध मु०अ०सं० 160/2000 धारा 394 भा०दं०वि०, मु०अ०सं०–180/95 धारा 363/366/368/376 भा०दं०वि० जैसे गम्भीर अपराध पंजीकृत हैं हेड कान्स० श्री गणेश मिश्रा द्वारा वीट सूचना दिनांक 25-3-2001 को दर्ज कराई गई थी कि दिनेश का क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है जिसके कारण जनता का कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध शिकायत करने को तैयार नहीं हैं, जांच द्वारा आरोप सत्य पाये जाने पर गुण्डा ऐक्ट में दिनांक 28-3-2000 को चालान किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है ।

3—मु०अ०सं० 37/2001 धारा 307 भा०दं०वि० थाना मगोरा जनपद मथुरा में मुण्डान आदि पर फर्जी चोटें एस०ओ० द्वारा मोटी रकम लेकर बनाई गई, इस बात की पुष्टि नहीं हुई । मु०अ०सं०–37/2001 धारा 147/148/149/307/427/323/504/452/506 भा०दं०वि० वादी श्री वीर सिंह पुत्र हरी सिंह द्वारा दिनांक 29-3-2001 को चौहान सिंह, शिवराम, वेदराम, शिवचरन, रमेश, जयपाल आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था अभियोग की विवेचना के दौरान सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–38 दिनांक 24-4-2001 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

राम किशोर विकलांग की भूमि पर पुलिस द्वारा भू-माफियाओं को कब्जा कराया गया, यह कहना असत्य व निराधार है श्रीमती ज्योति देवी पत्नी भिक्खी, नि० गोवर्धन द्वारा दिनांक 5-10-94 को हरिओम पुत्र चेतराम के नाम वसीयत की गई थी जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 18-10-2000 को हरिओम के नाम बतौर वारिस दर्ज कराया गया उक्त भूमि के संबंध में एस०डी०एम०, मथुरा के न्यायालय में धारा 145/146 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत वाद प्रचलित है । मु०अ०सं० 39/2001 धारा 420/471/323/504/506 भा०दं०वि० साक्ष्य न उपलब्ध होने के कारण विवेचना के दौरान अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

4—दिनांक 9-10-2001 को रात्रि को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अगरयाला के पास उद्यान में अभियुक्त नेहने अपने अन्य साथियों के साथ ठहरा हुआ है, जो संगीन अपराध भी कर सकता है । उपरोक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक, छाता एवं तत्कालीन थानाध्यक्ष शेरगढ़ अपने हमराही फोर्स के साथ ग्राम अगरयाला स्थित राजकीय उद्यान में पहुंचे जहां पर अभियुक्त नेहने अपने अन्य साथियों के साथ ठहरा हुआ था । पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों को ललकारने पर अभियुक्त नेहने एवं उसके साथियों सत्यपाल उर्फ सत्तो तथा मूसा आदि द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जिसके बचाव में पुलिस द्वारा भी फायर किये गये जिसमें एक फायर अभियुक्त सत्तो को लगा जिससे वह घायल हो गया शेष सभी भाग जाने में सफल रहे अभियुक्तों सत्तो के कब्जे से एक सी०एम०पी० 303 बोर मय

05 कारतूस जिन्दा तथा एक खोखा जोकि नाल में फंसा हुआ था, बरामद हुआ । अभियुक्त सत्तो को घायल अवस्था में मथुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई घटना के संबंध में थानाध्यक्ष शेरगढ़ द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध सं०–12/2001 धारा 147/148/149/307 भा०दं०वि० व मु०अ०सं०–13/2001 धारा 23 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत कराया गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अभियोग के निस्तारण हेतु प्रयास जारी हैं प्रकरण में मैजिस्ट्रीरियल जांच भी प्रचलित है ।

5—थाना–गोविन्दनगर क्षेत्र में मो० जयश्री कालोनी में घटित डकैती की घटना के संबंध में मु०अ०सं०–18/2001 धारा 395/397 भा०दं०वि० में किये गये गिरफ्तार अभियुक्त संजय शर्मा उर्फ बल्लड़ से लूटे गये माल सहित एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ जिसकी शिनाख्त वादी द्वारा की गई है । अभियुक्त संजय शर्मा उर्फ बल्लड़ ने बुलबुल शर्मा का नाम घटना में प्रकाश में लाये जिसकी विवेचना जारी है । अभियुक्त संजय शर्मा को दिनांक 10-3-2001 को जेल भेजा गया था जिसकी दिनांक 21-3-2001 को एस०एन० अस्पताल, आगरा में मृत्यु हो गई न्यायालय के आदेश धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पूर्व धानाध्यक्ष गोविन्दनगर सहित 10 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मु०अ०सं० 85/2001 धारा 147/148/211/218/304 भा०दं०वि० पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रचलित है । श्री योगेश शर्मा, सभासद के भाई बुलबुल शर्मा का नाम उक्त डकैती के अपराध में प्रकाश में आ जाने के कारण सभासद योगेश द्वारा पेशबन्दी में पुलिस के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं ।

6—थाना रिफाईनरी, मथुरा पर भिन्न-भिन्न मुकदमों से संबंधित निस्तार शुदा मालों की नीलामी हेतु उप जिलाधिकारी सदर, मथुरा द्वारा दिनांक 18-4-2001 को तिथि नियत की गई थी, उन्हीं के द्वारा कतिपय कारणों से उक्त तिथि को बदल कर दिनांक 30-4-2001 नियत की गई, जिसके संबंध में मुख्य आरक्षी द्वारा भी अवगत कराया गया नीलामी की तिथि नियत करने के संबंध में पुलिस का कोई संबंध नहीं है जहां तक दाखिलाशुदा वाहनों में से रातोंरात सामान गायब किये जाने वाली बात है यह बात असत्य एवं निराधार है क्योंकि उच्चाधिकारियों द्वारा थानों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है और थानों की सम्पत्ति को चेक किया जाता है जहां तक थाने पर दलालों एवं अपराधियों के जमघट लगे रहने की बात है यह तथ्य से परे है ।

7—थाना–फरह, जिला मथुरा की चौकी ओल पर तैनात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सूरजमल, नि० ग्राम ओल थाना–फरह, जनपद मथुरा द्वारा दिनांक 9-4-2001 को आरक्षी ना० पु० सुनील कुमार (826) एवं आरक्षी 841 (ना०पु०) महेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप लगाकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था आरोपों के परिप्रेक्ष्य में आरक्षी महेन्द्र सिंह एवं आरक्षी 626 ना० पु० सुनील कुमार को दिनांक 9-4-2001 को ही चौकी ओल से थाना–फरह स्थानान्तरित कर दिया गया ।

8—राधिका बिहार में दिनदहाड़े स्कूटर को छुड़ाकर ले जाने के संबंध में दिनांक 21-4-2001 को वादी श्री दिनेश चन्द्र गर्ग, नि० 316 जनरल गंज थाना-कोतवाली, मथुरा ने अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध चौकी कृष्णानगर पर अभियोग सं०–299/2001 धारा 392 भा०दं०वि० पंजीकृत कराया गया अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करने हेतु आर०टी० सैट के माध्यम से सभी थानों को सूचित कर तत्काल चेकिंग कराई गई । पुलिस द्वारा प्रभावी चेकिंग किये जाने के कारण अभियुक्तगण उक्त वाहन को छोड़कर भाग गये, जिसे पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया । अभियोग की विवेचना प्रचलित है अभियुक्तगण का पता लगाने/गिरफ्तारी करने हेतु सार्थक एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

9—मण्डी समिति चौराहा पर जबरन पुलिस संरक्षण में वाहनों से वसूली तथा वाहनों का मण्डी समिति चौराहे पर खड़े होने के संबंध में पाया गया कि संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग निर्धारित स्थान पुलिस चौकी कृष्णानगर पर की जाती है। मण्डी समिति चौराहा होने, मेन रोड के कारण वाहनों का आवागमन बना रहता है इस संबंध में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, जिससे आम जनता का कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ हो।

10—अभियोग अपराध सं०–222/2000 धारा 307 भा०दं०वि० वादी श्री गंगा प्रसाद नि०-महोली द्वारा दिनांक 20-10-2000 को उनके पिता को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पिता को जलाकर मार दिये जाने के संबंध में थाना नरहौली, जनपद मथुरा पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वादी के पिता की मृत्यु अस्पताल ले जाते समय होना बताया गया है। उक्त अभियोग को धारा 302 भा०दं०वि० परिवर्तित किया गया अभि० की विवेचना थानाध्यक्ष, नरहौली द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान अब तक किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया है। ]

**जनपद बहराइच में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मासिक मानदेय पर निश्चित अवधि के लिये नियुक्त कतिपय शिक्षकों का वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

[ प्रदेश में हाईस्कूल स्तर पर 10 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू होने के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त पेंशन धारी विज्ञान/गणित अध्यापकों से मानदेय देकर संविदा के आधार पर रखे गये अध्यापकों को मानदेय दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 में शासनादेश संख्या–1362/15-8-98/3007(46)/98–टी०सी० दिनांक 9 जुलाई, 1998 द्वारा रु० 25.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा की गई थी।

जनपदों/मण्डलों से प्राप्त सूचना के आधार पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा 13 मण्डलों को रु० 9.50 लाख की स्वीकृति संविदा के आधार पर रखे गये अध्यापकों को मानदेय के भुगतान हेतु संबंधित मण्डलीय अधिकारी को धन का आवंटन प्रेषित किया गया जिसमें फैजाबाद/देवीपाटन मण्डल में नियुक्त अध्यापकों के मानदेय के भुगतान हेतु रु० 50,000 + रु० 50,000 हजार की स्वीकृति निदेशालय के पत्र सं०–नियोजन/9820–9966/9899, दिनांक 18 फरवरी, 1999 द्वारा प्रदान की गई जो जनपद स्तर पर देयक आहरण वितरण अधिकारी वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद के हस्ताक्षर से दिनांक 15-3-99 को कोषागार फैजाबाद को पारण/भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो ट्रेजरी पंजिका के अनुसार कोषागार से आपत्ति सहित वापस कर दिया गया। जिसकी सूचना वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा जनपदीय कार्यालय तथा निदेशालय को सूचित नहीं की गई और न ही आपत्ति निवारण कर देयक पुनः कोषागार, फैजाबाद में प्रस्तुत किया गया फलस्वरूप स्वीकृत धनराशि कालातीत हो गई।'

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित डा० वकार अहमद शाह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–143 के उत्तरालेख्य, जो मण्डलीय अधिकारी से प्राप्त हुआ था, में धनराशि कालातीत होने की जानकारी हुई । इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक सामान्य (1)/शिविर/22305/99–2001 दिनांक 29-3-2000, पत्रांक सामान्य (1)/शिविर/8718/2000–2001, दिनांक 4-9-2000, तथा पत्रांक सामान्य (1)/शिविर/22599–600/2000–2001 दिनांक 15-3-2001 द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद से कालातीत धनराशि की आख्या मांगी गई । आख्या प्राप्त न होने की स्थिति में संविदा के आधार पर नियुक्त अध्यापकों को मानदेय की धनराशि की मांग कर प्रस्ताव निदेशालय द्वारा शासन को नहीं भेजा जा सका । फलस्वरूप उक्त शिक्षकों को मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी । जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच के पत्र संख्या–मानदेय/920–21/2001–02, दिनांक 1-5-2001 द्वारा देवी पाटन मण्डल के जनपद बहराइच के तीन अध्यापकों को नौ माह का मानदेय दिये जाने हेतु रु० 61,441/–की मांग का प्रस्ताव निदेशक के पत्र दिनांक 2-5-2001 के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है । ]

**जनपद उन्नाव में शारदा नहर उन्नाव ब्रांच में पुरवा में पानी न छोड़े जाने तथा शासन के आदेशों के बावजूद तालाबों को न भरे जाने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कृपा शंकर सिंह द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[ मा० कृपा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25-4-2001 को जनपद उन्नाव में सूखे की विकराल स्थिति के कारण गांव के तालाब सूख जाने, शारदा नहर उन्नाव ब्रांच व पुरवा में पानी न छोड़े जाने, शासन के निर्देशों के बावजूद तालाबों को न भरे जाने, हैण्ड पम्प के पानी न देने, कुओं में पानी नहीं बचने तथा फायर ब्रिगेड के पानी न मिलने के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य न करने और ऐसी स्थिति में जन-जीवन प्रभावित हो जाने की सूचना दी गई है ।

इस संबंध में मामले की छानबीन कराई गई । स्थिति इस प्रकार है कि शारदा नहर प्रणाली की नहरों की कुल लम्बाई लगभग 9,700 कि०मी० है । शारदा मुख्य नहर के शीर्ष क्षमता 11500 क्यूसेक है । शारदा मुख्य नहर से हरदोई ब्रांच शीर्ष चलित क्षमता 6000 क्यूसेक है । खीरी ब्रांच शीर्ष चलित क्षमता 2900 क्यूसेक है । शारदा नदी में अप्रैल, 2001 के प्रथम दो सप्ताह में लगभग 4500 क्यूसेक पानी उपलब्ध था । वर्तमान समय में पहाड़ की बर्फ पिघलने से शारदा नदी में लगभग 7000 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो रहा है । मुख्य शारदा नहर को शारदा नदी में उपलब्ध पानी के अनुसार चलाया गया । जनपद उन्नाव में हरदोई शाखा से निकलने वाली असीवन शाखा, उन्नाव शाखा एवं पुरवा शाखा द्वारा सिंचाई की जाती है । जनपद उन्नाव की असीवन शाखा एवं उन्नाव शाखा रोस्टर के अनुसार

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 22-4-2001 से चलाई गई तथा आसीवन शाखा क्षेत्र में हसनगंज एवं न्योतनी रजवाहों द्वारा आम फल पट्टी में पानी उपलब्ध कराया गया तथा तालाब भरे गये और उन्नाव शाखा से भी तालाब भरे गये । जनपद उन्नाव में कुल 404 तालाब भरे जाने हैं जिसमें से अभी तक 70 तालाब भरे गये हैं । दिनांक 29-4-2001 से प्रारम्भ सप्ताह में पुरवा शाखा रोस्टर के अनुसार तालाब भरने हेतु चला दिया गया है । शासन की तालाब भरने की नीति के अनुसार शारदा नदी में उपलब्ध पानी से नहर चला दी गई है एवं विभिन्न जनपदों में तालाब भरने का कार्य प्रगति में है ।

हैण्ड पम्प के पानी न देने, कुओं में पानी नहीं बचने तथा फायर ब्रिगेड के पानी न मिलने के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य न करने विषयक कोई सूचना सिंचाई विभाग को नहीं है और न ही विभाग इनसे संबंधित है । ]

**प्रदेश में पूर्व लोक निर्माण मंत्री द्वारा लोकार्पण/उद्घाटन करने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

[ लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों के शिलान्यास/उद्घाटन के संबंध में विभाग के शासनादेश दिनांक 2 जून, 2000 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं :–

(1) शिलान्यास/लोकार्पण दोनों शासन की अनुमति से ही किये जायेंगे ।

(2) शिलान्यास/लोकार्पण के शिलापट्ट पर किसी के नाम का अंकन न किये जाने का प्रतिबन्ध समाप्त किया जाता है ।

(3) यह आदेश उन कार्यों पर लागू नहीं माने जायेंगे, जिनके लिये धन लोक निर्माण विभाग को सांसद निधि/विधायक निधि/पूर्वांचल विकास निधि (केवल जिलांश)/बुन्देलखण्ड विकास निधि (केवल जिलांश)/जिला योजना/डी०आर०डी०ए० के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है ।

(4) मार्ग के किनारे जो बोर्ड लगाये जाते हैं उनमें केवल मार्ग संबंधी सूचना/विशिष्टियां ही अंकित की जाय, उनमें किसी का भी नाम किसी भी परिस्थितियों में अंकित न किया जाय ।

(5) यह आदेश केवल उन्हीं मार्गों/सेतुओं पर लागू होगा, जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है अथवा निर्मित होने के पश्चात् लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में आ जायेंगे ।

विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज, अम्बेडकर नगर में तत्कालीन मा० लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा दिनांक 3 जून, 1999 को लोकार्पण/उद्घाटन/शिलान्यास किये गये मार्गों के पत्थर लगाये गये हैं । साथ ही इनमें से कुछ पत्थर जो क्षतिग्रस्त हो गये थे, उनकी मरम्मत कर पुनः ठीक कराया गया है ।

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्तमान समय में सम्बन्धित क्षेत्र में कोई पत्थर नहीं लगाया जा रहा है । ]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
दिनांक 03 मई, 2001

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी (क)

(देखिये अता०प्र०सं०–91 का उत्तर पीछे पृष्ठ .51.पर)

**विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित श्री राजपाल सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–91 के उत्तर का संलग्नक**

मण्डी समिति, कन्नौज

| क्र०सं० | कार्य का नाम | वर्ष 2000–2001 में प्रगति | |
|---|---|---|---|
| | | भौतिक प्रगति | धनराशि (लाख रुपये) |
| 1 | पूर्व निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य | 10.% | 0.50 |
| 2 | एक नग 12.88 मी० एवं एक नग 9x40 मी० छायादार नीलामी चबूतरा का सिविल कार्य एवं विकास कार्य | 85 % | 17.91 |
| 3 | 8 नग "ब" श्रेणी की दुकानों का निर्माण | 85 % | 10.27 |
| 4 | 150 कि०ली० क्षमता अवर जलाशय का निर्माण | 50 % | 3.92 |
| 5 | 4 नग टाइप Π–आवासीय भवनों एवं 4 नग "स" श्रेणी की दुकानों का निर्माण | 60 % | 2.61 |
| 6 | 1 नग 12x88 मी० तथा 1 नग 9.40 मी० छायादार नीलामी चबूतरा का निर्माण | — | 0.37 |
| 7 | 1 नग पुलिया एवं 1 नग टाइप III आवासीय भवन का निर्माण | 30 % | 1.50 |
| 8 | बैंक भवन, 4 नग "ब" श्रेणी की दुकानें एवं 6 नग टाइप–1 आवासीय भवनों का निर्माण | 35 % | 10.49 |
| 9 | उपमण्डी स्थल तिर्वा में गेट एवं गेट पिलर का निर्माण | — | 0.12 |
| | | कुल योग : | 47.69 लाख |

मण्डी समिति, छिबरामऊ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | आन्तरिक मार्गों के सुदृढ़ीकरण का कार्य | — | 12.11 |
| 2 | 15 नग "घ" श्रेणी की दुकानें, 6 नग टाइप–Π आवासीय भवनों का निर्माण | 45 % | 11.03 |
| 3 | 20 नग "स" श्रेणी की दुकानें एवं 1 नग टाइप–III आवासीय भवन का निर्माण कार्य | 40 % | 7.73 |
| 4 | 8 नग टाइप–1 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य | 80 % | 5.25 |
| | | कुल योग : | 36.12 लाख |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी (ख)

(देखिये अता०प्र०सं०–141 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66.पर)

**सूची/विवरण**

आयोजनागत-पक्ष

राज्य सेक्टर की योजना (लाख रुपये में)

| योजना का नाम | वर्ष | आवंटित धनराशि | व्यय की गई धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना | 1998–99 | — | — | — |
| 10 मछुआ आवासों के निर्माण एवं एक हैण्डपम्प लगाने हेतु | 1999–2000 | 2.15 | 2.15 | लाभार्थियों द्वारा मछुआ आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। |
| | 2000–2001 (दिसम्बर, 2000) | (—) | (—) | |
| | योग: | 2.15 | 2.15 | |
| जिला सेक्टर की योजना | | | | |
| मत्स्य पालक विकास अभिकरण की योजना | 1998–99 | — | 4.06 | आवंटन से अधिक धनराशि का व्यय अभिकरण में पूर्व वर्ष की अवशेष धनराशि से किया गया। |
| ग्रामसभा के तालाबों के सुधार एवं निजी भूमि पर तालाबों के निर्माण पर अनुदान हेतु | 1999–2000 | 3.13 | 3.73 | |
| | 2000–2001 | 3.97 | 1.86 (दिसम्बर, 2000 तक) | |
| | योग : | 7.10 | 9.65 | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## आयोजनेत्तर-पक्ष

### मछली पालन आयोजनेत्तर अनुसंधान सामान्य

(धनराशि लाख रुपये में)

| मदें | वर्ष 1998–99 | | वर्ष 1999–2000 | | वर्ष 2000–2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटित धनराशि | व्यय | आवंटित धनराशि | व्यय | आवंटित धनराशि | व्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वेतन | 7.990 | 7.990 | 8.045 | 8.043 | 9.750 | 6.375 |
| मंहगाई भत्ता | 1.360 | 1.360 | 2.782 | 2.782 | 4.090 | 2.781 |
| यात्रा भत्ता | 0.148 | 0.148 | 0.250 | 0.249 | 0.050 | 0.050 |
| अन्य भत्ते | 0.207 | 0.207 | 0.430 | 0.390 | 0.520 | 0.372 |
| कार्यालय व्यय | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.010 |
| विद्युत देय | 0.071 | 0.071 | 0.060 | 0.053 | 0.080 | 0.048 |
| लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| गाड़ियों का अनुश्रवण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 0.270 | 0.270 | 0.070 | 0.069 | 0.050 | 0.050 |
| किराया/उप शुल्क/कर स्वामित्व | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | — |
| अन्य व्यय | 0.187 | 0.187 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 |
| योग : | 10.254 | 10.253 | 11.703 | 11.651 | 14.600 | 9.706 |

उपर्युक्त के अनुसार जनपद शाहजहांपुर में आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर पक्ष में एक अप्रैल, 1998 से दिसम्बर, 2000 तक आवंटित कुल रु० 45.807 लाख के सापेक्ष कुल रु०=43.41 लाख का व्यय किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी (ग)

(देखिये अता०प्र०सं०–146 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68.पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–146 का संलग्नक

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1999–2000 में धारा–20 के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्रवार प्रकाशित ग्रामों का विवरण

| क्र०सं० | ए०सी०ओ० क्षेत्र (सर्किल) | ग्राम का नाम | धारा–20 के प्रकाशन की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | स०च०अ० ओड़ी | सिकरा | 26-7-1999 |
| 2 | स०च०अ० रस्तोगिया | अमदहा | 12-1-2000 |
| 3 | स०च०अ० रस्तोगिया | गयासपुर | 28-1-2000 |
| 4 | स०च०अ० अहरौरा | मंझवा | 27-10-1999 |
| 5 | ,, | कुदारन | 29-11-1999 |
| 6 | ,, | मदापुर | 11-1-2000 |
| 7 | स०च०अ० भुड़कुडा | देवरिया | 17-5-1999 |
| 8 | ,, | बभनी | 30-2-2000 |
| 9 | ,, | सिरसी | 15-1-2000 |
| 10 | स०च०अ० बरेवा | शिवराजपुर | 15-10-1999 |
| 11 | स०च०अ० नरायनपुर | सरैया मु० मठना | 12-4-1999 |
| 12 | ,, | जोगवां | 28-7-1999 |
| 13 | ,, | रेवरी | 24-12-1999 |
| 14 | ,, | पुरैनी | 3-3-2000 |
| 15 | स०च०अ० जमालपुर | कैमारसूलपुर | 12-1-2000 |
| 16 | ,, | मनई | 3-3-2000 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 279 विधान सभा (493)–20001–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।